



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1975 (कार्तिक 3, 1897)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1975 (KARTIKA 3, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 सितम्बर 1975

सं० ए० 31014/1/75-प्रशा०-II—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग में भाषा एकक की अस्थायी कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (मराठी) श्रीमती इन्दुमती शैवडे को 1 मई 1975 से कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (मराठी) के स्थायी पद पर मूलरूप से नियुक्त करते हैं।

प्र० ना० मुखर्जी, अवर सचिव
होते सचिव, संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 सितम्बर 1975

सं० ए० 35017/1/75-प्रशा०-II—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये चयन किए जाने पर महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के कार्यालय के अनुभाग अधिकारी श्री एच० आर० सिंह को 9 सितम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से प्रथमतः दो वर्ष की अवधि के लिये अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सामान्य केन्द्रीय सेवा के राजपत्रित क्लास-II पद पर लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है।

पी० एन० मुखर्जी
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1975

सं० सी-8/72 प्रशासन-5—निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री सी० एम० राघवन, पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 12 सितम्बर, 1975 के अपराह्न में पुलिस उप-अधीक्षक (सूचक अनुभाग), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया और दिनांक 15 सितम्बर, 1975 से 108 दिन की सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले गए। उन्हें छुट्टी के साथ दिनांक 13 व 14 सितम्बर, 1975 वाला द्वितीय शनिवार तथा रविवार जोड़ने की अनुमति है।

गुलजारी लाल अग्रवाल
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 सितम्बर 1975

सं० पी० VII-4/74-स्थापना—इस महानिदेशालय के सम संख्या अधिसूचना दिनांक 17 मई, 1975 में क्रम संख्या 15 नाम "शिव नारायण सिंह" के स्थान पर "शेओ नारायण सिंह" जाएं।

दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० एफ०-2/33/75-ईस्ट० (सी० आर० पी० एफ०) — राष्ट्रपति, निम्नलिखित उप अधीक्षक पुलिस (कम्पनी कमांडर/क्वार्टर मास्टर्स) को उनकी तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में सहायक कमांडेंट के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इन अधिकारियों के पदस्थापन स्थान और उनके पद छोड़ने तथा ग्रहण करने की तिथियां उनके नामों के सामने दी गई हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद तथा यूनिट जिसका कार्यभार छोड़ा	कार्यभार छोड़ने की तिथि	पद तथा यूनिट जिसका कार्यभार सम्भाला	पद ग्रहण करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री बी० बी० शर्मा	उप अ० पुलिस/ क० कमांडर 5 बटा० सी० आर० पी० एफ०	17-7-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट 45 बटा० सी० आर० पी० एफ०	24-7-75 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एस० कन्स्टेनटाईन	उप-अ० पुलिस/ क० कमांडर (ऐडम०) ग्रुप सैन्टर, सी० आर० पी० एफ०, पूना	11-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट 56 बटा० सी० आर० पी० एफ०	26-8-75 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एम० के० धगत	उप अ० पुलिस/ क० कमांडर 51 बटा० सी० आर० पी० एफ०	25-7-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट 23 बटा० सी० आर० पी० एफ०	26-7-75 (अपराह्न)
	श्री एस० एन० माथुर	सहायक प्रिंसिपल आर० टी० सी० I सी० आर० पी० एफ० बरवाह	9-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट 19 बटा० सी० आर० पी० एफ०,	21-8-75 (अपराह्न)
5.	श्री रमेन्द्रा दिक्षिक	क० कमांडर/ उप-अधीक्षक, पुलिस ग्रुप सैन्टर-2, सी० आर० पी० एफ०, अजमेर	7-8-75 (पूर्वाह्न)	सहायक कमांडेंट 14 बटा० सी० आर० पी० एफ०	7-8-75 (पूर्वाह्न)
6.	श्री आर० के० वतस	उप० अधीक्षक पु० क० कमांडेंट, ग्रुप सैन्टर, सी० आर० पी० एफ० दुर्गापुर	16-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट 34 बटा० सी० आर० पी० एफ०	21-8-75 (पूर्वाह्न)
7.	श्री रामचन्द्र	उप० अधीक्षक पु० कम्पनी कमांडर, ग्रुप सैन्टर, सी० आर० पी० एफ० गोहाटी	7-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट, 55 बटा०, सी० आर० पी० एफ०	8-8-75 (अपराह्न)
8.	श्री जीत सिंह राजपूत	उप० अधीक्षक पु० कम्पनी कमांडर 31 बटा०, सी० आर० पी० एफ०	2-8-75 (पूर्वाह्न)	सहायक कमांडेंट, 31 बटा० सी० आर० पी० एफ०	2-8-75 (पूर्वाह्न)
9.	श्री सी० एम० बहुगुणा	उप० अधीक्षक पु० कम्पनी कमांडर, 37 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	19-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट 47 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	22-8-75 (अपराह्न)

1	2	3	4	5	6
10.	श्री राजेन्द्रपाल सिंह	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर, 9 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	8-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट, 48 बटा० सी० आर० पी० एफ०	19-8-75 (पूर्वाह्न)
11.	श्री बलवन्त सिंह आजाद	उप० अधीक्षक पु० कम्पनी कमान्डर, 22 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	13-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट 54 बटा०, सी० आर० पी० एफ०	24-8-75 (पूर्वाह्न)
12.	श्री मोलक सिंह सिधू	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर, 43 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	2-8-75 (पूर्वाह्न)	सहायक कमांडेंट 43 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	2-8-75 (पूर्वाह्न)
13.	श्री के० डी० पचोरी	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर, ग्रुप सेंटर, सी० आर० पी० एफ०, नागपुर	11-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट, 29 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	13-8-75 (पूर्वाह्न)
14.	श्री ए० न० श्रीनिवासन	सहायक प्रिंसिपल, आर० टी० सी०-2, सी० आर० पी० एफ० अवादी	13-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट, 50 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	26-8-75 (पूर्वाह्न)
15.	श्री एन० वेन्कटा स्वामी	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर, ग्रुप सेंटर, सी० आर० पी० एफ०, भुवनेश्वर	27-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट, 87 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	30-8-75 (अपराह्न)
16.	श्री भूपेन्द्र सिंह	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर, 20 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	6-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट, 2 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	7-8-75 (अपराह्न)
17.	श्री एम० सी० जोसफ	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर, 10 बटा०, सी० आर० पी० एफ०	6-8-75 (पूर्वाह्न)	सहायक कमांडेंट, 10 बटा०, सी० आर० पी० एफ०	6-8-75 (पूर्वाह्न)
18.	श्री एस० बी० एल० खेरे	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर/ क्यू० एम० 33 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	2-8-75 (पूर्वाह्न)	सहायक कमांडेंट, 33 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	2-8-75 (पूर्वाह्न)
19.	श्री एन० पी० दत्ता	उप० अधीक्षक पु०, कम्पनी कमान्डर, 56 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	25-8-75 (अपराह्न)	सहायक कमांडेंट, 26 बटालियन, सी० आर० पी० एफ०	9-9-75. (पूर्वाह्न)

दिनांक 26 सितम्बर 1975

सं.प्रो. II/1022/75-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर सनातन त्रिपाठी को तदर्थ रूप में पहले एक वर्ष के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनको 30 जुलाई, 1975 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. डाक्टर सनातन त्रिपाठी को 51 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में नियुक्त किया जाता है।

सं. जी. 1-3/74-स्थापना—भारत सरकार, मंत्रीमंडल सचिवालय के अधीन निम्नलिखित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के अधिकारियों की सेवायें, उनके भाये लिखी हुई तारीख से दी गयी हैं :—

- | | |
|---|----------------------|
| 1. श्री एच. एस. अर्नेजा, सहायक पुलिस अधीक्षक | 19-6-75
(अपराह्न) |
| 2. श्री एम. एस. राठौर, सहायक पुलिस अधीक्षक | 30-4-75
(अपराह्न) |
| 3. श्री पी. एन. शर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक | 30-4-75
(अपराह्न) |
| 4. श्री एस. पी. गेहरोहल्ला, सहायक पुलिस अधीक्षक | 15-3-75
(अपराह्न) |

दिनांक 1 अक्टूबर 1975

सं. प्रो. II-1038/72-स्थापना—राष्ट्रपति, खेद प्रकट करते हुये यह अधिसूचित करते हैं कि श्री एस. एम. अग्रस्थी, उप-पुलिस अधीक्षक, 19 बटालियन, के. रि. पु. दल की मृत्यु दिनांक 22 अगस्त, 1975 को हुई।

ए. के. बन्धोपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 सितम्बर 1975

सं. ए. 21-26-71-वायरलैस—श्री ए. डी. गुप्ता के रक्षा मंत्रालय/संयुक्त बीजलेख ब्यूरो में प्रत्यार्षित होने पर दिनांक 19 सितम्बर, 1975 के अपराह्न में समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) में अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद का कार्य-भार छोड़ा।

छत्रपति जोशी निदेशक,
पुलिस दूर संचार

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 सितम्बर 1975

सं. ई. 38013(3)/21/75-प्रशा. I—भांसी को स्थानान्तरित होने पर, श्री एम. के. चोपड़ा ने दिनांक 1 सितम्बर,

1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली, के पुलिस उपाधीक्षक/खुपिया इकाई के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने, जब वे नई दिल्ली में कैम्प पर थे, उसी दिनांक के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत भारी विद्युत् लि., भांसी के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 3 सितम्बर 1975

सं. ई. 38013(3)/11/75-प्रशा. I—हरिद्वार को स्थानान्तरित होने पर, श्री आर. के. भगत ने दिनांक 1 सितम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, भारत भारी विद्युत् लि. (भारी विद्युत् उपस्कर प्लांट) हरिद्वार, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में था।

दिनांक 22 सितम्बर 1975

सं. ई. 38013(3)/8/75-प्रशा. I—खेतरी को स्थानान्तरित होने पर, श्री वी. डी. बहुखण्डी ने दिनांक 1 सितम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं. ई. 38013(2)/11/75-प्रशा. I—हरिद्वार को स्थानान्तरित होने पर, लै. कर्नल जी. सी. एस. बिष्ट ने दिनांक 1 सितम्बर 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, भारी अभियन्त्रण निगम लिमिटेड, रांची के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं. ई. 31013(2)/5/74-प्रशा. I—राष्ट्रपति, निरीक्षक आर. बी. कुर्विल्ला को दिनांक 24 अगस्त 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, सलेम स्टील प्लांट, सलेम का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं जिन्होंने उसी दिनांक से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं. ई. 38013(3)/18/75-प्रशा. I—अरिया से स्थानान्तरित होने पर, श्री वी. दलाई, ने दिनांक 23 अगस्त 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया। उनका मुख्यालय पारादीप में होगा।

सं. ई. 31013(2)/5/74-प्रशा. I—राष्ट्रपति, निरीक्षक एच. सी. पंवार को दिनांक 8 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, भारी अभियन्त्रण, निगम रांची का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं, जिन्होंने उसी दिनांक से पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं. ई. 16014(3)/17/73-प्रशा. I—केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, श्री एस. एस. भवानन्द ने दिनांक 31 अगस्त 1975 के

अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एस० एस० बिष्ट,
महानिरीक्षक

पहिले उक्त पद की पूर्ति नियमित रूप से हो जाए, तब तक आगे बढ़ाई जाती है।

वि० ज० जोशी,
महाप्रबन्धक
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 22 सितम्बर 1975

सं० 990/(ए०)—दिनांक 29 मार्च 1975 की अधिसूचना सं० 3950/(ए०) और दिनांक 5 अप्रैल 1975 की अधिसूचना सं० 29/(ए०) के क्रम में निम्नांकित अधिकारियों को उप नियंत्रक अधिकारियों के पद पर तदर्थ नियुक्ति उन्हीं शर्तों के साथ 31 दिसम्बर 1975 तक अथवा इसके पहले उक्त पद की पूर्ति नियमित रूप से हो जाए तब तक आगे बढ़ाई जाती है:—

- (1) श्री एफ० एच० कोल्हापुरवाल
- (2) श्री एस० व्ही० चांदवड़कर
- (3) श्री एच० के० शेजवाल
- (4) श्री एन० सी० सेनगुप्ता
- (5) श्री बी० एस० पाटिल
- (6) श्री व्ही० वाई० देशपांडे
- (7) श्री जे० सी० लोध
- (8) श्री टी० एन० वलवी

सं० 991/(ए०)—दिनांक 18 मार्च 1975 की अधिसूचना सं० 3595/(ए०) के क्रम में निम्नांकित अधिकारियों को उप नियंत्रक अधिकारियों के पद पर तदर्थ नियुक्ति उन्हीं शर्तों के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 1975 तक अथवा इसके पहिले उक्त पद की पूर्ति नियमित रूप से हो जाए तब तक आगे बढ़ाई जाती है:—

- (1) श्री डी० एम० पत्की
- (2) श्री व्ही० श्रीनिवासन
- (3) श्री ए० जे० माऊस्कर
- (4) श्री बी० एम० मंडल

सं० 992/(ए०)—दिनांक 18 मार्च 1975 की अधिसूचना सं० 3596/(ए०) के क्रम में श्री डी० पी० जांबोटकर मुद्रांक पूर्ति अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति उन्हीं शर्तों के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 1975 तक अथवा इसके

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 27 सितम्बर 1975

पत्र सं० बी० एन० पी०/ई०/स्पे०/27—वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री राम अनन्त मिश्र का बैंक नोट मुद्रणालय देवास में कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर की गई तदर्थ नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 1975 से 21 दिसम्बर 1975 तक या पद के नियमित तौर पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्ववत् शर्तों पर निरंतर की जाती है।

डी० सी० मुखर्जी,
महाप्रबन्धक

प्रतिभूति कामकाज कारखाना

होशंगाबाद, दिनांक 22 सितम्बर 1975

चूंकि श्री ए० के० घोष, सहायक कार्य प्रबंधक 24 सितम्बर 1975 से 23 अक्टूबर 1975 तक 30 दिन के अजित अवकाश पर आ रहे हैं, श्री पीटर जाय फोरमैन, प्रोडक्शन को रू० 840-40-1000-ई० बी०-40-1200 के वेतनमान में सहायक कार्यप्रबंधक के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

ए० रा० पाठक,
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

महालेखाकार, प्रांथ प्रदेश-I का कार्यालय

हैदराबाद, 500004, दिनांक 1 अक्टूबर 1975

सं० ई० वी०- I/8-312/74-75/264—महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री बी० नटेश गत जो महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वेतन-मान रू० 840-40-1000-ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 26 सितम्बर 1975 के पूर्वानु से जब तक आगे आवेश न दिये जाएं, नियुक्त किया जाता है यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है।

एस० आर० मुखर्जी,
प्रवर उप-महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय रक्षा लेखा महा नियन्त्रक

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० 40011 (2)/75-प्रशा०-ए०--(1) वार्षिक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा :—

क्रम सं०	नाम, रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेंशन स्थापना को अन्तरण की तारीख	संगठन
सर्वश्री				
1.	सूरज प्रकाश एस० मलिक (पी०/1)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-10-75	रक्षा लेखा नियन्त्रक, (पेंशन) इलाहाबाद
2.	एम० के० मजुमदार (पी०/98)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-75	रक्षा लेखा नियन्त्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता
3.	वी० एस० ठंड (पी०/215)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-75	रक्षा लेखा नियन्त्रक, (अफसर) पूना।
4.	एन० सिव सुभ्रामनियम (पी०/228)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-11-75	रक्षा लेखा नियन्त्रक, (अफसर) पूना
5.	पिणोरी लाल गौहरी	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-75	रक्षा लेखा नियन्त्रक (वायु सेना) देहरादून

(2) रक्षा लेखा नियन्त्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ के संगठन में सेवारत श्री डी० जानकी राम शर्मा, स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० पी०/214) को 8 अगस्त, 1975 के पूर्वार्ह्न से अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया है।

(3) रक्षा लेखा महा नियन्त्रक श्री ए० के० सुभ्रामनियम, स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० पी०/429) जो कि रक्षा लेखा नियन्त्रक, दक्षिणी कमान, पूना के संगठन में सेवारत थे, के 7 अगस्त 1975 को हुए निवृत्त को खेद के साथ अधिसूचित करते हैं। तदनुसार श्री ए० के० सुभ्रामनियम को विभाग की नफरी से 8 अगस्त 1975 के पूर्वार्ह्न से निकाला जाता है।

(4) इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 40011(2)/74-प्रशा० ए० तारीख 24 जुलाई 1975 में निम्नलिखित को पैरा (3) के रूप में जोड़ा गया है :—

“श्री के० रामास्वामी, स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० पी०/213) को सेवा निवृत्ति पूरे 14 जुलाई 1975 से 30 सितम्बर 1975 तक 79 दिन की अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है।”

(5) इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 40011(2)/74-प्रशा० ए० तारीख 27 जून, 1975 में निम्नलिखित को पैरा (4) के रूप में जोड़ा जाता है :—

‘श्री पी० एम० सिद्धे, स्थानापन्न लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० ओ०/268) को निम्न छुट्टी मंजूर की गई है :—

21 दिन की अर्जित छुट्टी—5-7-75 से 25-7-75 तक

63 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी—26-7-75 से 26-9-75 तक

4 दिन की असाधारण छुट्टी—27-9-75 से 30-9-75 तक”

एस० के० सुन्दरम,
रक्षा लेखा अपर महा नियन्त्रक (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय
भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

कलकत्ता-700016, दिनांक 27 सितम्बर 1975

सं० 37/75/जी—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर, निम्नलिखित अधिकारीगण प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से सेवा निवृत्त हुए:—

नाम व पद	दिनांक
1 श्री जी० जी० बागले स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (स्थायी फोरमैन)	31 जुलाई, 1975 (अपराह्न)
2 श्री जी० पी० फारनाडेज, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक (स्थायी स्टोर होल्डर)	31 मई, 1975 (अपराह्न)
3 श्री जी० राजाराम, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक (अस्थायी स्टॉक असिस्टेंट)	31 मई, 1975 (अपराह्न)

सं० 38/75/जी—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर, श्री एच० दत्त, स्थानापन्न सीनियर डी० ए० डी० जो० ओ० एफ० (मौलिक अफसर सुपरवाइजर) दिनांक 31 जुलाई, 1975 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

एम० पी० आर० पिल्लाय,
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

मद्रास-600001, दिनांक 12 अगस्त 1975

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

विषय:—सर्वश्री जी० बी० के० सी० एण्ड कं०, मद्रास-3 को जारी किये गये आयात लाइसेंस सं० पी/ई/0210637/सी/एक्स एक्स/50/एम/37-38 दिनांक 12-3-74 की सीमाशुल्क प्रति को रद्द करना।

सं० आई० टी० सी०/डी० यू० पी० कापी/3/ए० एम० 76/ई-ए०—सर्वश्री जी० बी० के० सी० एण्ड कं० सं० 123, नयनियापा नाइक स्ट्रीट, मद्रास-3 को औषधि और भेषज सं० 87-109/4 का आयात करने के लिए अप्रैल 73 मार्च 74 अवधि के लिए 1797 रुपए (एक हजार सात सौ सत्तानवें रुपए मात्र) का आयात लाइसेंस सं० पी०/ई/0210637/सी/एक्स एक्स/50/एम/37-38 दिनांक 12 मार्च 1975 इस कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया था।

फर्म ने उक्त आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति बिना किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करायें और उसका बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खा गई / अस्थानस्थ हो गई है।

मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है / अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूँ कि लाइसेंस की सीमाशुल्क

प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक फर्म को जारी की जाए। उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति अंकित मूल्य की सीमा तक (जैसे 1797 रुपए) को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए इसकी रिपोर्ट की जाती है।

आई० ए० रसीद,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय
(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1975

सं० प्र० 1/1(242)—स्थायी सहायक निदेशक (ग्रेड-II) तथा पूर्ति निदेशालय (वस्त्र), बम्बई में स्थानापन्न उप निदेशक श्री मोहमान सिंह दिनांक 31 अगस्त 1975 के अपराह्न से निवर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

के० एल० कोहली,
उप निदेशक (प्रशासन)

कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700013, दिनांक 24 सितम्बर 1975

सं० 6387/बी/10/71/19ए०—श्री सुरजीत राय को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्रेस ऑपरेटर के रूप में 650 रु० प्रतिमाह के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में, आगे आदेश होने तक, 25 अगस्त 1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया गया है।

दिनांक 27 सितम्बर 1975

सं० 6420/बी/2251(एस० एच०)/19 बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ ड्रिलिंग सहायक श्री सैलन होरो को डीलर के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० (परिशोधित) के वेतनमान में, अस्थायी क्षमता में, आगामी आदेश होने तक, 30 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

वी० के० एस० वरदान,
महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० ए० 19011(150)/75-सि० ए०—राष्ट्रपति, श्री एम० के० घोष को 8 सितम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खान नियंत्रक के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 1 अक्तूबर 1975

सं० ए० 9011(180)/75-सि० ए०—राष्ट्रपति श्री प्रार० प्रार० गोपाल को 17 सितम्बर, 1975 के अपराह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खान निबंधक के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

ए० के० राषवाचारी,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
हुते नियंत्रक

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण
भारतीय संग्रहालय

कलकत्ता-700013, दिनांक 8 सितम्बर 1975

सं० 4-112/75-स्थापना—निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, श्री विद्यानन्द सिंह की 26 अगस्त, 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अस्थायी आधार पर इस सर्वेक्षण के उत्तर पश्चिम स्टेशन, देहरादून में सहायक कीपर के पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

सी० टी० शामस,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 सितम्बर 1975

सं० 2/12/75-एस०-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ इंजीनियरी सहायकों को उनके नामों के आगे लिखे आकाशवाणी, के केन्द्रों/कार्यालयों में उनमें से प्रत्येक के आगे उल्लिखित तारीखों से अग्रेतर आदेशों तक तदर्थ आधार पर सहायक इंजीनियर के संवर्ग में नियुक्ति करते हैं :—

क्र सं०	नाम	तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री गुरबचन लाल	कार्यालय, क्षेत्रीय इंजीनियर (उत्तर) आकाशवाणी, नई दिल्ली।	27-8-75
2.	श्री राजपाल गर्ग	उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी, खामपुर, दिल्ली।	29-8-75
3.	श्री रामकिशन फोड़िया	—वहीं—	8-7-75
4.	श्री ए० पी० सिन्हा	आकाशवाणी, रांची	20-6-75
5.	श्रीमती एम० एल० चौरसिया।	दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, बम्बई।	21-6-75
6.	श्री पी० के० अवस्थी	उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी, गोरखपुर।	28-8-75

प्रेम कुमार सिन्हा,
प्रशासन उपनिदेशक
हुते महानिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 सितम्बर 1975

सं० 4(98)/75-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा कुमारी बी० सेखोज को 11 अगस्त, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, कोहिमा में अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 29 सितम्बर 1975

सं० 5(60)/70-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा श्री लुत्फुर रहमान, कार्यक्रम निष्पादक, रेडियो कश्मीर, जम्मू को 28 जून, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ में अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 4(121)/75-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्वारा श्री सैयद मोहम्मद मुसन्ना रिजवी को 6 सितम्बर, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, भोपाल में अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 सितम्बर 1975

सं० 4(120)/75-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्वारा श्री लेवांग पिच् योलो को 28 अगस्त, 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी, खरसाङ् में अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

शांति लाल,
प्रशासन उपनिदेशक
हुते महानिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 सितम्बर 1975

सं० 2/6/62-एस०-दो—महानिदेशक आकाशवाणी, श्री एम० जी० बिकटर, लेखाकार, उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी, ग्रावडी, मद्रास को दिनांक 22 सितम्बर 1975 (पूर्वाह्न) से आकाशवाणी, कालीकट में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्ति करते हैं।

इन्द्रसेन बाँधी,
अनुभाग अधिकारी
हुते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 सितम्बर 1975

सं० 2/10/56-स्था०-1—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक ने सीनियर लेखाकार श्री सीयाराम गोयल को 4 सितम्बर, 1975 से इसी निदेशालय में श्री जे० एन० गुप्ता जिन्हें छुट्टी दी गई है के स्थान पर स्थानापन्न लेखा अधिकारी नियुक्ति किया है।

रोशन लाल जैन,
उप निदेशक (प्रशासन)
हुते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1975

सं० 9-14/75-एडमिन-1—अध्ययन छुट्टी पर जाते हुए श्रीमती आशा शर्मा ने 16 जुलाई 1975 के अपराह्न को राजकुमारी अमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली में ट्यूटर के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 1 अक्टूबर 1975

सं० 12-1/75-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-4 के स्थायी अधिकारी श्री के० सुन्दरराज को 8 सितम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

सूरज प्रकाश जिन्दल,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1975

सं० 16-42/74-एस०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने राजकीय चिकित्सा भंडार डिपो बम्बई के स्थानापन्न भंडार अधीक्षक श्री आर० एस० पागे को 22 जुलाई, 1975 (अपराह्न) से आगामी आदेशों तक चिकित्सा भंडार डिपो, बम्बई में सहायक डिपो प्रबन्धक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

संगत सिंह,
उप निदेशक प्रशासन (भंडार)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1975

सं० 41-34/75-डी—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने एतद्द्वारा श्री इलापति कृष्ण देव को 27 अगस्त के पूर्वान्ह से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय श्रौषध मानक नियन्त्रण संगठन के दक्षिण क्षेत्र के मद्रास स्थित कार्यालय में श्रौषध नियन्त्रक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

स० श्री० गोठोस्कर,
श्रौषध नियन्त्रक (भारत)
कृते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

तारापुर परमाणु विजलीघर

थाना-401504, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० टी० ए० पी० एस०/ए० डी० एम०/735-ए०/1119—परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु विजलीघर के मुख्य अधीक्षक, सर्वश्री पी० गणपति, वी० के० पी० पिल्लै तथा आर० आर० बन्नुनी की सहायक कार्मिक अधिकारी के पदों पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि को 1 अक्टूबर 1975 से तीन महीने की और अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक कि इन पदों को नियमित रूप से नहीं भरा जाता है, दोनों में जो भी पहले घटित हो, बढ़ाते हैं।

के० वी० सेतुमाधवन, मुख्य प्रशासन अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 20 सितम्बर 1975

सं० 5/1/75-स्था०-5—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियंत्रक इसके द्वारा सहायक श्री चितामणि वासुदेव पेंडसे को 7 अप्रैल 1975 से 23 मई 1975 तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में अस्थायी रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

वेद प्रकाश चोपड़ा,
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500 016, दिनांक 24 सितम्बर 1975

सं० ए० एम० डी०-1/18/75-प्रशासन—परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री शेख युसुफ को 19 सितम्बर 1975 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिए उसी प्रभाग में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

एस० रंगानाथन,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० ए० 32013/5/73-ई० ए०—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की 31 दिसम्बर, 1975 तक अथवा इन पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक, इन में से जो भी पहले हो, विमान क्षेत्र अधिकारियों के रूप में तदर्थ नियुक्ति को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र०	नाम	स्थान, जहाँ तैनात किया गया है
(1)	(2)	(3)
1.	श्री के० पी० वी० मेनन	मंगलौर
2.	श्री वी० आर० विश्वनाथन	भोपाल
3.	श्री एस० सी० जोशी	मुख्यालय विमानक्षेत्र अधिकारी (ए० आई० एस०)
4.	श्री ओ० पी० डींगरा	मुख्यालय तकनीकी अधिकारी (पी०)
5.	श्री एम० पी० खोसला	ऊधमपुर
6.	श्री जे० एस० आर० के० शर्मा	मद्रास
7.	श्री के० एस० प्रसाद	मोहनबाड़ी
8.	श्री एन० डी० घोष	दम दम
9.	श्री रवि तनखा	सफदरजंग

(1)	(2)	(3)
10. श्री सी० आर० राव		राजकोट
11. श्री कुन्दन लाल		श्रीरंगबाद
12. श्री जे० के० सरदाना		श्रीनगर
13. श्री के० सी० मिश्रा		सान्ताक्रूज
14. श्री जी० बी० के० नायर		सान्ताक्रूज
15. श्री डी० डी० सरदाना		सफदरजंग
16. श्री के० एन० वैकटा चालिहा		सान्ताक्रूज
17. श्री एस० दयाल		मुख्यालय टी० आ० (ए० एस०)
18. श्री एस० सी० सेखरी		उदयपुर
19. श्री एम० पी० जैन		सफदरजंग
20. श्री एस० के० जैन		दम दम
21. श्री डी० रामानुजम		सफदरजंग
22. श्री ए० टी० वर्गीज		कुंभी ग्राम
23. श्री के० वी० एस० राव		मद्रास
24. श्री एन० पी० शर्मा		सफदरजंग
25. श्री एस० के० बेनर्जी		दमदम
26. श्री आर० कोठांडारमन		तिरुपति/विष्नी

दिनांक 29 सितम्बर 1975

सं० ए० 32013/4/75 ई०-ए०—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री एम० एम० जोगलेकर को 19 सितम्बर, 1975 से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग के विमानमार्ग और विमानक्षेत्र संगठन में रूपए 1500-60-1800 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में उपनिदेशक/नियंत्रक विमानक्षेत्र के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री जोगलेकर को क्षेत्रीय नियंत्रक विमानक्षेत्र बंबई क्षेत्र, बंबई एयरपोर्ट, बंबई के रूप में तैनात किया जाता है।

विश्व विनोद जोहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

इलाहाबाद, दिनांक 23 अगस्त 1975

सं० 132/1975—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, मुख्यालय, इलाहाबाद में तैनात तथा आगामी आदेश होने तक इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या दो (3) 2-स्था०/75/28088, दि० 31-7-1975 के अन्तर्गत जारी किये गये स्थापना आदेश संख्या 212/1975 दि० 30-7-1975 के अनुसार रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी दो के पद पर नियुक्त श्री अब्दुल हमीद स्थानापन्न निरीक्षक (चयनग्रेड) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ने दि० 1-8-1975 को (दोपहर से पहले) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, मुख्यालय, इलाहाबाद में अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी दो के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

दिनांक 10 सितम्बर 1975

सं० 104/1975—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, कानपुर के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मण्डल, प्रथम, कानपुर में तैनात और इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या दो (3) 2-स्था/28088 दिनांक 31-7-1975 के अन्तर्गत जारी किये गये स्थापना आदेश सं० 212/1975 दिनांक 30-7-1975 के अनुसार आगामी आदेश होने तक के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी दो के रूप में नियुक्त श्री परम-हंस सिद्ध चौहान, स्थायी निरीक्षक (चयन-ग्रेड) ने सीमाशुल्क मण्डल, गोरखपुर के अन्तर्गत सीमाशुल्क बढनी में दिनांक 21-8-1975 को (दोपहर से पहले) श्री ए० सी० श्रीवास्तव, अधीक्षक श्रेणी दो को उनके अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी दो के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

सं० 105/1975—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, कानपुर के अन्तर्गत मथुरा में तैनात और इस कार्यालय के पृष्ठांकन-संख्या दो (3) 2-स्था०/75/28088 दिनांक 31-7-1975 के अन्तर्गत जारी किये गये स्थापना आदेश संख्या 212/1975, दिनांक 30-7-1975 के अनुसार आगामी आदेश होने तक के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, श्रेणी दो के रूप में नियुक्त श्री हुकुम चन्द्र अरोड़ा स्थायी निरीक्षक (चयन ग्रेड) ने दिनांक 26-8-1975 को (दोपहर से पहले) श्री आर० डी० सिंह, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी दो को उनके अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मंडल कार्यालय, रामपुर के अन्तर्गत अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, श्रेणी दो चन्दौसी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

दिनांक 18 सितम्बर 1975

सं० 108/1975—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मंडल, लखनऊ में तैनात और इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या दो (3) 2-स्था०/75-28088 दिनांक 31-7-1975 के अन्तर्गत जारी किये गये स्थापना आदेश संख्या 212/1975 दिनांक 30-7-1975 के अनुसार अगला आदेश होने तक के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, श्रेणी दो के रूप में नियुक्त श्री गुर नारायण श्रीवास्तव, स्थायी निरीक्षक (चयन ग्रेड) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ने दिनांक 29-8-1975 को (दोपहर से पहले) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मण्डल कार्यालय मिरजापुर में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी दो, के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

सं० 111/1975—इस कार्यालय के पृष्ठांकन सं० II (3) 168-गोपनीय/75/2605-2612 दिनांक 13-8-1975 के अन्तर्गत जारी किए गए स्थापना आदेश सं० 224/1975 दिनांक 13-8-1975 के अनुसार, श्री एस०पी० सिंह स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, श्रेणी दो ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-

लय, मुख्यालय इलाहाबाद के अधीक्षक (सेन्ट्रल एक्सचेंज) के कार्यालय का कार्यभार श्री बी० एस० सिंह, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, श्रेणी दो, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, मुख्यालय इलाहाबाद को दिनांक 13-8-1975 को (दोपहर के बाद) सौंप दिया और 14 अगस्त, 1975 को दोपहर के पहले से सरकारी सेवा से मुक्त हो गए।

एच० बी० दास,
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इलाहाबाद

पटना, दिनांक 26 सितम्बर 1975

मि० सं० 11 (7) 5-स्था०/75/9450—इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं० 271/75 दिनांक 4-7-1975 जो मि० सं० 11 (3) 43-स्था०/73/3402-27 दिनांक 5-7-75 द्वारा पृष्ठांकित किया गया तथा जिसके द्वारा श्री के० डी० घोष हाजरा, निरीक्षक (ब० श्रे०) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क को 650-30-750-35-810 द० रो० -35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 तथा निमान्तर्गत देय समान्य भर्तों सहित के वेतनमान में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद द्वितीय श्रेणी प्राविधिक मुजफ्फरपुर के रूप में दिनांक 11 जुलाई 1975 के अपराह्न कार्यभार ग्रहण किया।

हरिनारायण साहू,
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पाद पटना

नारकोटिक्स विभाग

ग्वालियर-474006, दिनांक 27 सितम्बर 1975

सं० 33—नागपुर समाहर्तालय से स्थानान्तरण पर, श्री आर० आर० टिल्लू, अधीक्षक श्रेणी II, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, ने 10 सितम्बर, 1975 के दोपहरपूर्व को श्री मुनीश्वर राम को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, जिला अफीम अधिकारी, शामगढ का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 34—श्री डी० डी० शर्मा, आसूचना अधिकारी, नारकोटिक्स आसूचना ब्यूरो, नारकोटिक्स आयुक्त का कार्यालय, को, 1 मार्च, 1974 से रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में 810.00 रु० के चरण पर दक्षतारोध पार करने की अनुमति दी जाती है।

अभिलाष शंकर,
भारत का नारकोटिक्स आयुक्त

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

कार्यालय मुख्य इंजीनियर और प्रशासक,

नव तूतीकोरिन पत्तन

तूतीकोरिन-4, दिनांक 10 सितम्बर 1975

सं० ए० 39013 (1)/75/एडमिन/4499—नव तूतीकोरिन पत्तन के मुख्य इंजीनियर और प्रशासक 27 अगस्त, 1975 के

अपराह्न से श्री एम० नामु का सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

डी० आई० पास,
मुख्य इंजीनियर और प्रशासक

अन्तरिक्ष विभाग

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह परियोजना

पोनया-562140 दिनांक 15 सितम्बर 1975

सं० 020/3 (061)/75—विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के निदेशक निम्नलिखित कामियों की पदोन्नति होने पर, उनके नामों के सामने दिए गए पदों पर, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह परियोजना में रु० 650-30-740-35-880 द० रो०-40-960 के वेतनमान में रु० 650 प्रति मास के मूल वेतन पर दिनांक 1 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

1. श्री पट्टैया—इंजीनियर एस० वी०
2. श्री के० एन० माधवन—इंजीनियर एस० वी०
3. श्री टी० एस० नारायणन—इंजीनियर एस० वी०

वी० वी० एस० चौधरी,
प्रशासन अधिकारी

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, 110022, दिनांक 22 सितम्बर 1975

सं० क० 19012/550/75-प्रशास० 5—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्वारा श्री एच० एस० जयराम, प्रधान प्रारूपकार को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता/सहायक अनुसंधान अधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद पर स्थानापन्न होने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 के वेतनमान में 18 जुलाई 1975 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री जयराम ने केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय निस्सरण वृत्त के अन्तर्गत दक्षिणी गेजिंग उप-प्रमण्डल, बंगलौर में सहायक अभियन्ता के पद का कार्यभार उपरोक्त तिथि एवं समय से सम्भाल लिया है।

के० पी० बी० मेनन,
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

मध्य रेल

बम्बई वी० टी०, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० एच० पी० वी०/220/जी०/दो०/एस०—श्री एन० नटराजन् इस रेलवे के भंडार विभाग में द्वितीय श्रेणी सेवा में दि० 13-12-1971 से स्थायी किये गये हैं।

वी० डी० मेहरो,
महा प्रबंधक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

पाण्डू, दिनांक 26 सितम्बर 1975

सं० ई०/55/III/93पी०II (0)—निम्नलिखित अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी सेवा में सहायक यात्रिक अधिकारी के पद पर उनके सामने अंकित तारीख से स्थायी किया जाता है।

क्र० सं०	नाम	स्थायी करने की तारीख
1.	श्री एच० डब्लू, रौजारिओ	31-7-1973
2.	श्री एस० एन० गुह नियोगी	31-7-1975

एम० आर० रेड्डी,
महाप्रबंधक

कम्पनी कार्य विभाग

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स फीकोन फर्टीलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 30 सितम्बर 1975

सं० 560/1868—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स फीकोन फर्टीलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

जे० गो० गाथा,
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य,
अहमदाबाद

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय,
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निदेशासं० 1287—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8284 दिसम्बर 1974 में है तथा जो गांव जगन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण, में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री दर्शन सिंह एडवोकेट जालन्धर (अन्तरक)
चनन सिंह गांव बाजरा तहसील
जालन्धर।

2. श्रीमती मोहिन्दर कौर पत्नी जसवन्त (अन्तरिती)
सिंह सपुत्र भगत सिंह और सतपाल
कौर पत्नी सुलखन सिंह वासी
जगन सिंह तहसील जालन्धर।

(3) जैसा कि नं० 2 में है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है

(4) कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखत में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8284 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय,

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 23 सितम्बर 1975

निदेश सं० के० पी० एल०/152/75-76—यतः मुझे
बी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
और जिसकी सं० 1/4 कोटी है तथा जो कपूरथला में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (190 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी
1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई आय की वास्तविक उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के
लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुरिन्द्र नाथ सपुत्र आर० बी० दुर्गा (अन्तरक)
दास वासी कपूरथला जी० ए० श्री
दपिन्द्र नाथ ।
2. श्री जरनेल सिंह सपुत्र श्री बग्गा सिंह
सपुत्र श्री हरनाम सिंह वासी कपूर-
थला । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है ।

(बहु व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(बहु व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेक्ष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो
उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1/4 कोटी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2371
जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में है ।

बी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 23-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 23 सितम्बर 1975

निदेश सं० के० पी० एल०/153/76-76—यतः मुझे
बी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 1/4 कोठी है तथा जो कपूरथला में स्थित है
(और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में
मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री सुरिन्द्र नाथ सपुत्र आर० बी० बुर्गा (अन्तरक)
दास वासी कपूरथला जी० ए०
श्री सपिन्द्र नाथ।
2. श्री मनजीत सिंह सपुत्र श्री बग्गा सिंह (अन्तरिती)
सपुत्र श्री हरनाम सिंह वासी कपूरथला।
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता
है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों
पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/4 कोठी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2540
जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में है।

बी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 23-9-75

मोहर :

प्ररूप आर० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जुन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 23 नवम्बर 1975

निदेश सं० के० पी० एल०/154/75-76—यतः मुझे
वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० कोठी जो कपूरथला में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी
तथा अप्रैल 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और] अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
'अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के
बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सुरिन्द्र नाथ सपुत्र आर० बी० (अन्तरक)
दुर्गा दास वासी कपूरथला जनरल
अटार्नी श्री दर्पिन्द्र नाथ।
 2. श्री जरनैल सिंह सपुत्र श्री बग्गा सिंह (अन्तरिती)
श्री मेजर सिंह सपुत्र श्री बग्गा सिंह
तथा श्री मनजीत सिंह सपुत्र श्री बग्गा
सिंह वासी कपूरथला।
 3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता
है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह
सम्पत्ति में हितबद्ध है)
- को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

कोठी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2371 तथा 2540
जनवरी, 1975 तथा अप्रैल 1975 की रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी कपूरथला में है।

(वी० आर० सगर)

सक्षमप्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज, अमृतसर

तारीख : 23-9-1975
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० ए०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय,

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 350/ए०सी० क्यू० 23-463/6-1/75-76--
अतः, मुझे, पी० एन० मित्तल, आयकर अधिनियम
1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त
अधिनियम' कहा गया है), की धारा

269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० न्यू सर्वे नं० 633 कुल माप 20207 वर्ग
गज जमीन है तथा जो कलानी रोड, एरलादरा रोड, बड़ौदा
में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक 5 फरवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से उसके दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजारमूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तर के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः, अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

3-296GI/75

1. श्री शशीकुमार देवीदास श्रोफ, एघसेल एस्टेट, एस०
वी० रोड, गोरेगाव (वैस्ट) बम्बई-400062 (अन्तरक)

2. श्री प्रिंसिपल आफिसर, ट्रांसपेक इंडस्ट्री प्रा०
लि०, 635, कालाली रोड, एरलोदरी, बड़ौदा (अन्तरिती)

3. श्री प्रिंसिपल आफिसर, कालाली कैमिकल्स प्रा०
लि०, 635, कालाली रोड, एरलोदरी, बड़ौदा (यह व्यक्ति
जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का वह भाग जो कालाली रोड, एरलोदरी
रोड, बड़ौदा में स्थित है और जिसका नया सर्वे नं० 633
और कुल माप 4-28 गुंथा अर्थात् 20207 वर्ग गज है
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के फरवरी 1975
के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 927 में प्रवर्णित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II
अहमदाबाद

दिनांक 20 सितम्बर 1975।

मोहर :

प्रारूप० आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय
अर्जेंट रेंज,

60/61, एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना-411004 दिनांक 26 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० ए० 5/थाना/मार्च 75/234/75-76—
यतः, मुझे, एच० एस० श्रीलख,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 21-एच० नं० 4 पार्ट
तथा 8 (पार्ट) है तथा जो चेंदणी, थाना में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय थाना में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
मार्च 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजारमूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
के पन्द्रह प्रतिशत के अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्रीमती लीलाबाई नारायण चौधरी, आर० बी० III
3-6, रेलवे क्वार्टर्स, कोकबाडा, बम्बई (अन्तरक)

2. म० राजपाल बिल्डर्स, सोलंकी सदन, शिवाजी पथ,
थाना। (अन्तरिती)

3. (1) श्री पी० जी० बोरडे,
(2) श्री बी० पी० तनपुरे,
(3) श्री एम० एन० सुप्रे,
(4) श्री डी० एम० खोपडे,
(5) श्री एस० एल० सालकर,
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखत में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

म्यु० कौन्सिल सं० नं० 21-एच०, मं० 4 (पार्ट)
सं० नं० 21-एच० नं० 8 (पार्ट), क्षेत्रफल 808 वर्ग यार्ड्स
फीहोल्ड ओपन प्लॉट मकान सहित, मंजे चेंदणी, जि०
थाना।

एच० एस० श्रीलख
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, पूना

दिनांक 26 सितम्बर 1975

मोहर।

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० आर० 62/4024/74-75—यतः, मुझे,
आर० कृष्णमूर्ति, आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त
अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 163 (एक भाग) है, तथा जो मैन रोड,
शेषादरी पुरम, (डिबीजन नं० 7) बैंगलूर में स्थित है
(और इससे उभावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर बैंगलूर दस्तावेज
नं० 5441/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन 19 मार्च 1975 को पूर्वोक्त
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधि-
नियम', के अधीन कर देने के अन्तरक दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जी० मरिथप्पा सुपुत्र लेट वी० देवप्पा, नं० 3,
किलारी रोड, बैंगलूर-2। (अन्तरक)

2. श्री जी० जे० कनधावी सुपुत्र लेट श्री जीवनदास
जे० खण्डारी, नं० 15, विष्वनाथ राव रोड, माधव नगर,
बैंगलूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज नं० 5441/74-75 दिनांक 19 मार्च
1975)।

खाली जमीन का भाग नं० 163, I मैन रोड, शेषादरी
पुरम, बैंगलूर (डिबीजन नं० 7)।

क्षेत्रफल:—पूर्व—पश्चिम 30' } 1650 वर्गफीट
उत्तर—दक्षिण 55' }

सीमाएं:—

उत्तर : IV फ़ास, नागम्पा स्ट्रीट,

दक्षिण : डा० नजप्पा की जमीन नं० 162,

पूर्व : जमीन नं० 163 का बाकी भाग जो ब्रेचने
वाले के पास है।

पश्चिम : पी० एन० राजगोपाल की जमीन।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख: 24-9-75

मोहर:

प्ररूप अर्द्धि० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बंगलूर का कार्यालय,

बंगलूर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० आर० 3832/74-75/एक्यू० (बी०)—

यतः, मुझे, आर० कृष्णमूर्ति,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 59/8 (पुराना नं० 7) है तथा जो
सर्वे नं० 113 दोड्डिगुटा चार्ल्स कैम्पल रोड, काक्स टाउन,
सिविल स्टेशन, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
12 मार्च 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कबित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री एम० सैयद इब्राहिम सुपुत्र लेट सैयद मोहम्मद
साहब, 67, विलियम्स टाउन, बंगलूर (अन्तरक)
2. (1) श्री के० ए० मान्यु सुपुत्र रे० फा० के० एम०
अब्राहाम क्रिस्टियन,

(2) श्रीमती एस्सी मान्यु सुपुत्री एम० ए० कोरत
परती के० ए० मान्यु, नं० 89 डिकोस्टा
स्कायर, बंगलूर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज नं० 4117/74-75 दिनांक 12 मार्च
1975)।

खाली जमीन सम्पत्ति कारपोरेशन नं० 59/8 (पुराना
नं० 7, चार्ल्स काम्पल रोड, जो 59/1 नं० का एक भाग था
और जो पहले नं० 113 दोड्डिगुटा का भाग था) चार्ल्स
कैम्पल रोड, (एक्सटेन्शन) काक्स टाउन, सिविल स्टेशन,
बंगलूर, कारपोरेशन डिवाजन नं० 49 में स्थित।

क्षेत्रफल:—उत्तर-दक्षिण 44' } 2860
पूर्व-पश्चिम 65' } वर्ग फीट

सीमाएं:—

उत्तर : 59/1-बी० और 59/1 चार्ल्स काम्पल रोड,
का एक भाग।

दक्षिण : बियप्पन हल्ली जाने वाली सड़क जो चार्ल्स
काम्पल रोड नाम से है।

पूर्व : 59/1, चार्ल्स काम्पल रोड का एक भाग
जो निजी उपयोग के लिए है।

पश्चिम : 59/1 जो बाद को जो जनाब नूर मोहम्मद
की सम्पत्ति है जिसका नया नं० 59/7
चार्ल्स काम्पल रोड है।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख: 24-9-75

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा,
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 27 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 126/75-76—यतः मुझे, के० एस०
वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 5-2-992 निजामशाही रोड है, जो रिसाले
अब्दुल्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन 4-2-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्त-
रकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'आयकर
अधिनियम', 1961 (1961 का 43) के
अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य
प्राप्ति को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री रमेशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ प्रारक } 14-5-220,
(2) प्रकाशचन्द्र पुत्र जगन्नाथ प्रारक }
नगरखाना बेगम बाजार, हैदराबाद (अन्तरक)
2. (1) श्री मोहम्मद अब्दुल हाफीज } 5-2-992
पुत्र अब्दुल गफूर } जिजाम शाही
(2) श्री मोहम्मद अब्दुल प्रजीज } रोड, हैदराबाद
पुत्र अब्दुल गफूर } (अन्तरिती)
3. (1) श्रीमती तारादेवी पत्नी संतोश गोयल
(2) विकास गोयल पुत्र सुभाष गोयल, अवस्थक,
पालक पिता द्वारा श्री सुभाष गोयल, 3-4-886/1
बरकत पूरा हैदराबाद (वह व्यक्ति जिसके बारे में
अधोहस्ताक्षरी जानता है) ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि,
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति मलगी जिसका नं० 5-2-992, निजाम शाही रोड,
रिसाले अब्दुल्ला, हैदराबाद, जिसका क्षेत्रफल 322.50 वर्ग गज
है ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 27-9-1975
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1975

निदेश सं० एच्यू 23-I-660 (229) 5-1/75-76—अतः, मुझे, जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ₹० से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट नं० 2275 ए है तथा जो कृष्णा नगर, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-2-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती ललिताबेन यशवंतराय मोदी
(2) श्री पंकज यशवंतराय मोदी, "कृष्णा कुंज" प्लॉट नं० 2174, आताभाई रोड, भावनगर (अन्तरक)
- (2) श्री हरीण कुमार सावदास पटेल कुबेर पटेल शेरी, कनवीवाड, भावनगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका कुल माप 1125 वर्ग गज है और जो प्लॉट नं० 2275 ए, कृष्णानगर, भावनगर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में निर्देशित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 25-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक सितम्बर 1975

निदेश सं० एक्यू 23-I-661(230)/16-6/75-76---

अतः मुझे जे० कथूरिया

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),

की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० सर्वे नं० 626 प्लॉट नं० 23, है, तथा जो गवर्नमेंट
सर्वे सोसायटी, ए० जी० आफिस के समीप, राजकोट में स्थित
है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1975
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री त्रंबकलाल मनीशंकर आचार्य "चैतन्य", 13,
जगनाथ प्लोट, राजकोट (अन्तरक)

(2) श्री भूपत लाल खीमजी लाडवा, प्राध्यापक : महिला
कालेज, कालवाड रोड, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका कुल माप 305.7 वर्ग गज है तथा जो
सर्वे नं० 626 प्लॉट नं० 23, गवर्नमेंट सर्वेस सोसायटी, ए० जी०
आफिस के समीप स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में निर्दिष्टित
है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद।

दिनांक : 25-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक सितम्बर 1975

निवेश सं० एम्बू 23-I-610 (231) 16-1/75-76—

अतः मुझे, जे० कथूरिया,

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 245 प्लोट नं० 3 है, तथा जो पाटीदार आइल केक इन्डस्ट्रीज के पास, धोराजी में स्थित है (और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धोराजी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1975 में

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृथमान प्रतिफल से ऐसे वृथमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री जीवा देवशी मावानी चाराखडी फालिया, धोराजी (अन्तरक)

(2) सोराष्ट्र फैंट्स एण्ड प्रोटीनस इन्डस्ट्रीज, अपने सहिचारी श्री भगनलाल नाथूभाई द्वारा, स्टेशन रोड, धोराजी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन, जिसका कुल माप 16698-0 वर्ग गज है और जो सर्वे नं० 245, प्लोट नं० 3 पर पाटीदार आइल इन्डस्ट्रीज के पास, धोराजी में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में निदेशित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

दिनांक : 25-9-1975

मोहर :

प्ररूप अर्द्ध० टी० एन० एस—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक सितम्बर 1975

निदेश सं० एक्यु 23-I-517 (232)/16-6/75-76—

अतः मुझे जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० सर्वे नं० 391-ए है, तथा जो स्ट्रीट नं० 17 पंचनाथ प्लॉट, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 13-2-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा

(1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

4—296GI/75

(1) श्री रतिलाल प्रेम चन्द भाई शाह दानापीठ, राजकोट (अन्तरक)

(2) श्री जयंतिलाल मंगललालभाई कव्वाणिया, शक्ति मौसष्ट्र कार्पोरेशन गरेडिया कुंदा मोड, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान जो 123.6 वर्ग गज खुली जमीन पर, स्ट्रीट नं० 17, पंचनाथ प्लॉट, राजकोट पर स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में निर्दिष्ट है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

दिनांक : 25-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 22 सितम्बर, 1975

निर्देश सं० आई 1/1091-3/फरवरी, 75—अतः मुझे एन० के० शास्त्री सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, बम्बई, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, कि अस्थायी सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25-000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सी० एस० नं० 3527, भुलेश्वर डिवीजन है, जो खोजा स्ट्रीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार बम्बई, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-2-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अब्दुल्लाभाई मूला कलीमुद्दीन
(अन्तरक)
2. श्री सालेभाई आदमअली और अन्य
(अन्तरिती)
3. किरायेदार
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त-अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बम्बई नगर एवम् बम्बई उपनगर पंजीकरण जिले तथा उप-जिले के अन्तर्गत बम्बई फोर्ट रहित नल बाजार के निकट खोजा स्ट्रीट पर स्थित 361 वर्ग गज के समतुल्य 301 वर्ग मीटर के लगभग वह समूचा भू-भाग अथवा रचनांश अथवा उन्मुक्त भूमि और किरायेदारी की जमीन और उस पर अथवा स्थित तेरह कमरों की निवास-गुहावली अथवा चाल-भवन, जिसकी सीमायें यानी पूर्व में अथवा पूर्व की ओर सफाई कामगार पथ और तत्पश्चात याहियाभाई इब्राहीम तथा अन्यो को सम्पत्ति, पश्चिम में अथवा परिष्म की ओर बाड़ा हमाम रोड, उत्तर में अथवा उत्तर की ओर खोजा स्ट्रीट क्रॉस लेन और दक्षिण की ओर इरस्काइन रोड से घिरी हुई है और म्यु-निसिपल क्लबट्टर द्वारा निवर्तमान सं० 85 और इस समय के सी० वाई सं० 7232 और 7233 तथा पुरानी स्ट्रीट सं० 1-21 और 23-27 और वर्तमान स्ट्रीट सं० 235 से 239 तक और 241-259 खोजा स्ट्रीट और 166-168 इरस्काइन रोड के अधीन मूल्यांकित तथा राजस्व समाहर्ता को पुस्तकों में पुरानी सं० 2846 और 2887 नवीन सं० 9828 और ए०/9828, पुराना सर्वेक्षण सं० 2838 नवीन सर्वेक्षण सं० 1/4714 और 2/4714 कैंडिडल सर्वेक्षण सं० 3527 और उपर्युक्त खोजा स्ट्रीट के पूर्वोन्मुख भूलेखन डिवीजन के सामने 3527 के भाग के अधीन दर्ज है।

एन० के० शास्त्री,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, बम्बई

तारीख: 22 सितम्बर, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास दिनांक 26 सितम्बर 1975

1. डाक्टर के० एम० सेलवराज, मद्रास -10

(अन्तरक)

2. डाक्टर एच० जान किरकपाट्रिक,
तिरुवनन्टपुरम-3

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

निदेश सं० IX/6/11/74-75—यतः मुझे, जी० रामनाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट सं० 4773, अन्ना नगर है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेस्ट मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, नडुवक्करे गांव, अन्ना नगर प्लॉट सं० 4773 में एक ओन्ड और 1116 स्क्वायर फीट की भूमि और मकान (आर० एस० सं० 13/5 आर०/4 भाग)।

जी० रामनाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख: 26-9-1975
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 111/75-76—यतः मुझे, के० एस०
वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन मध्यम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिगका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० भाग 16-8-242 काला डेरा, है, जो मलकपेट
हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय आजमपुरा,
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन 16-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाड़िए या, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती महमदी बेगम और
- (2) मुहम्मद मसीहूदीन फारूकी
मकान नं० 16-8-242, काला डेरा मलकपेट,
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. इसमार्शल एच० अजीज,
बेगम बाजार, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के
अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या उत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाय में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में
किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति: बाग घर नं० 16-8-242, पहला भाग वेस्टर्न 378
वर्ग याई, काला डेरा मलकपेट, हैदराबाद।

के० एस० वेंकटरामन
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 25-9-75

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० / 25/75-76—यतः मुझे के० एस०
बेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 16-9-682, पुराना मलकपेट है, जो हैदराबाद में
स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय आजमपुरा हैदराबाद में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन 27-2-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उसमें वचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम
1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम'
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अनः अथ 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के
अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रावनी विमलम्बा पत्नी सुभानाद्री चौधरी,
राजेन्द्रानगर,
गुडीवाडा, पी० ए० कृष्णा जिला । (अन्तरक)
2. (1) डाक्टर के० नारायणा राव
(2) डाक्टर के० ललीता,
(3) डाक्टर वी० हेमाकुमार,
मार्फत जी० पी० ए०, के० वीरास्वामी,
नायडु, घर नं० 3-4-876 बरकतपुरा, हैदराबाद
(अन्तरित)
3. नाजीम जीरात,
आन्ध्र प्रदेश सरकार
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. नाजीम जीरात, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता
है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पात्र लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति : घर नं० 16-9-682, 1000 वर्ग यार्ड, निकाल
देकर जी० टी० राव को बेच दिये । पहले ही पुराना मलकपेट,
हैदराबाद ।

के० एस० बेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 25-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1975

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-1-567(233)/16-6/74-75—अतः मुझे जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 373, प्लॉट नं० 24 है, तथा जो कर्सन बाबा लेन्ड, वार्ड नं० 7, भावडी प्लाट, राजकोट में स्थित है (और इससे उपायबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

1. (1) श्रीमती जसवन्ती प्रमोद चन्द्र भाई शाह
(2) श्री प्रमोद चन्द्र बी० शाह,
"श्री खेरा निवास" दीवान पारा-2, राजकोट।
(अन्तरक)
2. श्री अनिल मैन्युफैक्चरर्स,
सैन्ट्रल बस स्टेशन के सामने,
घेवर भाई रोड, राजकोट।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जो 706 वर्ग गज जमीन पर स्थित है जिसका सर्वे नं० 373, प्लॉट नं० 24 है तथा जो कर्सन बाबा लेन्ड वार्ड नं० 7, भावडी प्लाट राजकोट में स्थित है तथा जो पूर्व से 30' रोड, पश्चिम में प्लॉट नं० 23, उत्तर से 25, रोड और दक्षिण में प्लॉट नं० 60 द्वारा घिरा हुआ है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख: 26-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर दिनांक 24 सितम्बर, 1975

निर्देश सं० सी० आर० 62/3735/74-75—यतः मुझे,

आर० कृष्णामूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 29, 46/12, 27, 28, 38841 (1 एक 32 गुनटे) है, जो बिलोकहल्ली, बेलूर होब्ली, बैंगलूर सौत तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बैंगलूर, सौत तालुक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1-2-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है;

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

यतः अब उक्त अधिनियम, की, धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री एल० एस० रामलिनगप्पा पिता पटेल सिद्दीगौडा नं० 13, सौतएन्ड, बसवनगुडि, बैंगलूर सिटी।

(अन्तरक)

2. श्री सी० गोविन्दप्पा, सुपुत्र चिक्कन्ना, सारक्कि अग्रहारा, बैंगलूर सौत तालुक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 29, 46/12, 27, 28, 38841—1 एकड़ 32 गुनटे, बिलोकहल्ली, बेलूर होब्ली, बैंगलूर सौत तालुक।

सीमा:

पूर्व: : अन्तरिती की जमीन

पश्चिम: : रोड

उत्तर: : सकीरी नाला

दक्षिण: : अरसप्पा की जमीन

दस्तावेज नं० 8360/74-74 ता० 1-2-75

आर० कृष्णामूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख: 24-9-1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निदेश सं० सी० ए० 62/3736/74व75—

यतः मुझे आर० कृष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसका सर्वे नं० 39870 है, जो (3 एकड़ 21 गुनटे) बिलेकहल्ली में बेगूर होबली, बंगलूर सौत तालुक स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंगलूर सौत तालुक दस्तावेज नं० 8361/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1-2-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती बी० एस० सावित्री देवी पुत्री एच० सुम्बय्या नं० 12/6 भाडल स्ट्रीट, बसवनगुडी बंगलूर सिटी।
(अन्तरक)

2. श्री सी० गोविन्दप्पा पुत्र चिकन्ना सारक्की अग्रहारा, बंगलूर सौत तालुक।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 39870—2एकड़ 21 गुनटे, बिलेकहल्ली बेगूर होबली, बंगलूर सौत तालुक।

सीमा

पूः हनमन्त देव "सात्य" जमीन।

पः सर्वे नं० 38 में अन्तरिती की जमीन।

उः सरकारी नाला।

दः सरकारी नाला।

दस्तावेज नं० 8361/74-75 ता० 1-2-75।

आर कृष्णमूर्ति

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज बंगलूर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 20 सितम्बर 1975

निदेश सं० सी० आर० 62/3796/74-75 यतः मुझे
आर० कृष्णमूर्ति
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० सैट नं० 499 है, जो राजमहल विलास एक्सटेन्-
शन बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, गान्धी
नगर बंगलूर दस्तावेज नं० 4835 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अस्तरित की
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

1. श्री ए० श्रीरामय्या पुत्र स्वर्गीय श्री अनजनप्पा जब्बूर
गांव, एलहनका होब्ली, बैंगलूर नार्थ तालुक।

(अन्तरक)

2. श्रीमती निर्मला शनकर पत्नी जी० एम० भवानी शनकर,
नं० 30 "श्रमबाप्रसधा" नहरू सर्कल, बैंगलूर-20।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करती हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में
यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिक्त भूमि नं० 499, IX क्लास रोड, राजमहल विलास
एक्सटेन्शन, बैंगलूर। डिविजन 45।

क्षेत्रफल: पू० प० 75' × 76'

2 उ० द० 48' = 3628

सीमा :

वर्ग फीट

उ: सैट नं० 498:

द: सैट नं० 500

पू: रोड

प: सैट नं० 5-13

दस्तावेज नं० 4835/74-75 ता० 5-2-75

धतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

5-296 GI/75

आर० कृष्णमूर्ति

सक्षम प्राधिकारी

तारीख: 20-9-1975 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

मोहर:

अर्जन रेंज बैंगलूर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

प्रजंन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० आर० 62/3849/74-75--

यतः, मुझे आर० कृष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 54 है, जो इन्डस्ट्रीयल सबर्ब, राजाजीनगर,
बैंगलूर-22 में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में, और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
राजाजीनगर, बैंगलूर (दस्तावेज नं० 6692/74-75) में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
14-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. (1) श्री वी० आर० सुब्रमनयम पुत्र श्री वी० राज
मुदालियार

(2) श्री टी० जयप्रकाश पुत्र श्री सी० तनिकाचलम
राजा स्तो राजम्मा निलयम, नं० 209 एस० सी०
रोड बोशादरीपुरम, बैंगलूर 20 । (अन्तरक)

2. मैं थोरियन केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, 114,
मोन्नेस रोड, अजवारपेट मद्रास-18--द्वारा प्रबन्ध निर्देशक श्री पी०
गोविन्दास्वामी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

फैक्ट्री सैट नं० 54, इंडस्ट्रीयल सबर्ब, राजाजीनगर, यशवन्ता-
पुर, बैंगलूर-22 ।

इमारतें, बोरवेल और बगीचा सहित ।

क्षेत्रफल पू० ५० 195' उ० द० 251' + 154'

-----= 4486

सीमा

2 वर्ग जग

पूर्व : 60' रोड ।

पश्चिम : सैट नं० 41

उत्तर : सैट नं० 53

दक्षिण : 60 फुट रोड

दस्तावेज नं० 6692/74-75 तारीख 14-2-75

आर० कृष्णमूर्ति

सक्षम प्राधिकारी

तारीख : 24-9-75 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

मोहर : अर्जन रेंज, बैंगलूर

प्ररूप आई० टी० एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 25 नवम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 113/75-76—यतः मुझे के० एस०
बेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० भाग 16-8-242 काला डेरा मलकपेट, हैदराबाद
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आजमपुरा हैदराबाद
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन 18-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत,
उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) मौहमद बेगम पत्नी स्वर्गीय हकीम मौहमद मौजूदीन फारूकी
मार्फत कारखाना जीनदा
तिलासमठ, अम्बरपेट, हैदराबाद।

(2) मुहम्मद मशूदीन फारूकी पुत्र स्वर्गीय हकीम मुहम्मद,
मौजूदीन फारूकी, मार्फत कारखाना जीनदा, तिलासमठ
अम्बरपेट, हैदराबाद। (अन्तरक)

2. श्री इबराहीम एच अजीज
बेगम बाजार, हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति : नार्दन मिडल भाग—घर नं० 16-8-242 पहला
फ्लोर भाग 230 वर्ग यार्ड, काला डेरा मलकपेट हैदराबाद।

के० एस० बेंकटरामन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 25-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 111/75-76—यतः मुझे के० एस०
वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० भाग नं० 16-8-242 कालाडैरा है, जो मलक
पेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आजमपुरा
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन 12-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त-
रण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य जास्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या घन-
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रार्थितः—

1. (1) मुहम्मदी बेगम पत्नी हकीम मुहम्मद
मौजुद्दीन फारुकी
- (2) मुहम्मद मसीउद्दीन फारुकी कारखाना
जिनदा, तीलासमठ अम्बरपेट
हैदराबाद। (अन्तरक)
2. वहीद अजीज का बेटा नं० 16-8-242
काला डैरा मलकपेट हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अमुसुबी

भाग नं० 16-8-242 काला डैरा, मलकपेट हैदराबाद
विस्तृत 354 सकेयर बर्ग यार्ड

के० एस० वेंकटरामन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

तारीख: 25-9-75

अर्जन रेंज, हैदराबाद

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 110/75-76—यतः मुझे के० एस०
वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० एस० नं० 887 मिरयालगुडा है, जो नलरानिड्डी
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मिरयालगुडा में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)
के अधीन 1-2-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं,
उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री डिडुगु चेना केशवराव नं० 11-33
मिरयालगुडा नलगौडा जिला (अन्तरक)
2. श्रीमती कनती सननडा पत्नी चन्द्र शेखर
नं० 26-17 मिरयालगुडा नलगौडा जिला
(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सूची जमीन एकर्स 5.1936 वर्ग यार्ड सर्वे नं० 887
मिरयालगुडा के पास नलगौडा जिला।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 25-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

आई० ए० सी० (एक्युजीशन) रेंज-II

कलकत्ता-16

कलकत्ता-16 दिनांक 23 सितम्बर 1975

निदेश सं० ए० सी० 28/आर०-II/कलकत्ता/75-76—

अतः मुझे आर० वी० लालमोया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 8 ए० है तथा जो आलिपुर रोड, कलकत्ता
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार आफ
एसुरेन्स, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) के अधीन, तारीख 11-1-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के
लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजीव जिन्डाल, 8ए आलिपुर रोड, (अन्तरक)
कलकत्ता ।

2. श्रीमती सुशीला देवी मोदी, 55-क्यानिंग (अन्तरिती)
स्ट्रीट, कलकत्ता ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो
उम अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति सं० 8ए०, आलिपुर रोड, कलकत्ता, का दो तल्ला
में 1978 वर्ग फुट क्षेत्रफल का, तीन बेड-रूम का प्लाट है ।

आर० वी० लालमोया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, 54, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 23-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना 411004 दिनांक 23 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० ए० 5/हवेली-1/अप्रैल-75/—यतः मुझे,
एच० एस० श्रीलख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी संख्या नं० 1086 फा० प्ला० 466 है तथा जो
बम्बई, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हवेली-1,
पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, 17-4-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ए० से दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के
लिए :

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. रिअल एस्टेट डेवलपमेंट कारपोरेशन, (अन्तरक)
पूना।

पार्टनर—(1) ब्रैमचन्द रतनचन्द बाफना 122
भवानी पेठ, पूना

(2) सुरेश, चतुर्भुज झंवर "श्रीकृपा
हाउसिंग सोसायटी, पूना-5

(3) श्रीमती इन्दुमती पुनमचन्द परमार,
10 गीता हाउसिंग सोसायटी,
पूना-11

(4) सुरेश रतनचन्द बाफना, 122
भवानी पेठ, पूना (5) किरण र०
बाफना।

2. श्रीमती सरिता प्रतापराव शिर्के (अन्तरिती)
1205 शिवाजीनगर,
आपटे रोड, पूना-4।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किस व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो
उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फायनल प्लाट नं० 466, सी० एस० नं० 1086, मकान
सहित फाटका क्षेत्र—हे—0—49 आर०=52896 वर्ग

फीट अंशानः फ्रीहोल्ड और अंशानः फ्रीहोल्ड

मकान का क्षेत्रफल—4000 वर्ग फीट

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत के विलेख क्र० 1025 दिनांक 17-4-75
को सबरजिस्ट्रार बम्बई के दफ्तर में लिखा है)

एच० एस० श्रीलख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

तारीख : 23-9-75

अर्जन रेंज, पूना

मोहर :

प्रारूप० अई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 25 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 112/75-76—यतः मुझे के० एस०
वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी बाग नं० 16-8-242 कालाडेरॉ है, जो मलकपेट
हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमपुरा
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन 15-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्रीमती मोहमदी बेगम पति स्वर्गीय हकीम मोहमद मौजूद्दीन
फारूकी C/o कारखाना जिन्दा तिलिसमाथ अम्बेरपेट,
हैदराबाद (अन्तरक)

(2) मोहमद मशूद्दीन फारूकी C/o
कारखाना जिन्दा तिलिसमाथ
अम्बेरपेट, हैदराबाद

2. श्री अबदुलरहीम एच० नं० 16-2-242 एट काला डेरॉ
मलकपेट, हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नार्थ ईस्ट बाग घर नं० 16-8-242 कालाडेरॉ के पास
विस्तीन 318 वर्ग यार्ड मलकपेट हैदराबाद।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 25-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना, तारीख 23 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० ए० 5/बम्बई (धाना)/अप्रैल 75/232-
यतः मुझे, एच० एस० श्रीलख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी संख्या गट नं० 18, चिनकसर है तथा जो मानपाडा,
धाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख 2-4-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या
उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

6—296G¹

1. श्रीकृष्ण बूलन मिल्स, प्रा० लि० (अन्तरक)
166 डी० एन० रोड, बम्बई-1

2. बाम्बे कार्ड लोडिंग कं० लि० (अन्तरिती)
चिनकसर, मानपाडा, एस० व्ही० रोड,
धाना ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

श्री होल्ड लैंड गट क्र० 18, विहलेज चिनकसर, मानपाडा,
जी० बी० रोड, धाना ।

क्षेत्रफल :—4000 वर्ग यार्ड्स—3344 वर्ग मीटर्स

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत के विलेख क्र० 1451 दि० 2-4-75
सब-रजिस्ट्रार बम्बई के दफ्तर में लिखा है ।

एच० एस० श्रीलख

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23-9-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना, दिनांक 23 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० ए० 5/धुलिया/अप्रैल 75/—यतः मुझे एच० एस० श्रीलख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या सं० नं० 47/1, 47/2 है तथा जो माहिंदले, धुलिया में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय धुलीया में, रजिस्ट्री-कारण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-4-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री मारुती नारायण येवले, नवबुद्ध मोगलाई,
- (2) श्री शंकर नारायण येवले, नवबुद्ध मोगलाई
- (3) श्री श्रींकार नारायण येवले नवबुद्ध मोगलाई

(अन्तरक)

2. (1) श्री सखाराम नारायण सावंत, "सुयोग" बिल्डिंग, देवपूर, जि० धुलिया,

(2) श्री पूजा देवला पाटील, प्रोफेसर कॉलबी, प्लाट नं० सी० देवपूर, जि०-धुलिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सं० नं० 47/1 क्षेत्रफल 1 हे०—86 अर

सं० नं० 47/2—क्षेत्रफल 5 हे० 91—अर

मोजे-माहिंदले। ता० और जि० धुलिया।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत के विलेख क्र० 711 धि० 2-4-1975

को सब-रजिस्ट्रार धुलीया के दफ्तर में लिखा है।)

एम० एस० श्रीलख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4/14-ए०, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11/875/75-76/3723—

यतः, मुझे, चं० वि० गुप्ते

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 47/26 है, जो ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-5-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधिनियम कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुरजीत सिंह, सुपुत्र श्री जय सिंह, निवासी ए० (8) सी० कालकाजी, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्रीमती प्रवेश चड्ढा, पत्नी श्री मंगल सेन चड्ढा, निवासी 47/15, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि एक किनारे वाले प्लॉट पर जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है और जोकि 47/26, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में निम्न प्रकार की सिमाओं से घिरा हुआ है :

पूर्व : सड़क
पश्चिम : लेन
उत्तर : जायदाद नं० 27
दक्षिण : सड़क

चं० वि० गुप्ते

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 22 सितम्बर 1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,

60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना-411004

पूना, दिनांक 18 सितम्बर 1975

निदश सं० सी० ए० 5/बंबई (थाना)/अप्रैल '75/229—

यतः मुझे, एच० एस० श्रीलख

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 143 (पार्ट) सं० नं० 152 (पार्ट) है तथा जो नवघर, थाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बंबई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-4-1975 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मे० दालमिया सेल्स कोर्पोरेशन 5, न्यू मरीन लाईन्स चर्चगेंट चेबर्स, बंबई,

(1) हनुमान प्रसाद प्रलहांदराई दालमिया

(2) पुरुषोत्तम द्वारकादास सराफ

(3) सुशील कुमार हनुमान प्रसाद दालमिया (अन्तरक)

(2) मे० अमर इंडस्ट्रीज, (बंबई) 15 बडा मंदिर, गौशाला,

3 मोईवाड, बंबई-2

पार्टनर्स, (1) बालमुकुंद मंगलदास शाह (2) अमृतलाल

बाडीलाल शाह (3) लालभाई अमृतलाल शाह (4) तालीका बुधालाल शाह

(5) रमलाबेन बालमुकुंद शाह,

(6) विनोद हरगोवींददास पटेल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड प्लॉट सं० नं० 143 (पार्ट) और 152 (पार्ट), नवघर, जिला थाना,

क्षेत्रफल—3891 वर्ग यार्ड्स याने 3253.35 वर्ग मीटर्स

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख क्र० 738 दिनांक 2-4-75 को सब रजिस्ट्रार बंबई के दफ्तर में लिखा है।)

एच० एस० श्रीलख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 18-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,

60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना, दिनांक 18 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी० ए० 5 (बंबई (धाना) अप्रैल/75/230/
75-76—यतः मुझे (एच० एस० औलख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० नं० 143 (पार्ट) सं० नं० 152 (पार्ट) है तथा जो नवघर, धाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2-4-1975 ।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मे० दालमिया सेल्स कांपॉरिशन 5 न्यू मरीन लाईन्स चर्च-गेट चेंबर्स, बंबई ।

पार्टनर्स—(1) हनुमानप्रसाद प्रल्हादराई दालमिया,

(2) पुरुषोत्तम द्वारकादास सराफ

(3) सुशीलकुमार हनुमान प्रसाद दालमिया (अन्तरक)

2. मे० अमर इंडस्ट्रीज (बंबई) 15 बड़ा मंदिर, गोशाला, 3 भोईवाडा, बंबई-2

पार्टनर्स—(1) बालमुकुंद मंगलदास शाह (2) अमृतलाल

बाडीलात शाह (3) लालफाई अमृतलाल शाह (4)

तालीका बुधालाल शाह (5) रमीलाबेन बालमुकुंद शाह

(6) विनोद हरगाबीदास पटेल । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड प्लॉट सं० नं० 143 (पार्ट) और 152 (पार्ट)
नवघर, जि० धाना ।

क्षेत्रफल—3990 वर्ग यार्ड्स, धाने 3336.12 वर्ग मीटर्स,

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख क्र० 737 दि० 2-4-1975

को सबरजिस्ट्रार बंबई के दफ्तर में लिखा है) ।

एच० एस० औलख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 18-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

आई० ए० सि० अर्जन रेंज-IV, कलकता

कलकता, दिनांक 16 सितम्बर 1975

निर्देश सं० ए० सि० 223/आर०-IV/कल०/75-76—प्रतः
मुझे ए० के० बटथाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी प्लॉट सं० 43, ब्रक-ए है तथा जो बंगुर एभेन्यू में स्थित
है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काशीपुर, दमदम में, रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
8-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिगाने में सुविधा के लिए ;

प्रतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित
व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री दुलाल चन्द्र पाल (अन्तरक)

2. श्रीमती रेखाराणी साहा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधि-
नियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट सं० 43, ब्रक-ए०, बंगुर एभेन्यू, थाना-दमदम, कलकता
में स्थित 3 कट्टा 4 छटाक 20 स्कोयार फिट जमीन, साथ दो मंजीला
मकान।

ए० के० बटथाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-IV, कलकता
54, रफीग्रहमद किदवाई रोड,
कलकता-700026

दिनांक : 16-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 15 सितम्बर 1975

निर्देश सं० III-103/अर्जन/75-76/1069—यतः मुझे
ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है। और जिसकी
सं० हो० नं० 239/343 ब वा० सं० 2 है, तथा जो फ्रेजर रोड,
पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है); रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 22-1-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अन्त-
रण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269 घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गेन्दा लाल अग्रवाल बल्द श्री रामचन्द्र अग्रवाल,
फ्रेजर रोड, पटना।
थाना-कोतवाली (अन्तरक)

(2) श्रीमती मनोरमा देवी जोजे श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता को
श्री कौलाश प्रसाद गुप्ता बल्द श्री नानक चन्द अग्रवाल फ्रेजर रोड,
थाना-कोतवाली, पटना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन मय मकान, फ्रेजर रोड, पटना, तौजी नं० - 673 शे० नं०
239/343 'ब' सं० नं० 6, वा० नं० 2, जो कि दस्तावेज दिनांक
22-1-1975 में पूर्णतया वर्णित है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 15-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1235—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8799
जनवरी, 1975 में है तथा जो मुजफरपुर में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया
गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत
उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे
बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य
आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र श्री रांगा सुपुत्र श्री ऊतम
गांव रुडका सुरद तहसील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री निर्मल सिंह सुपुत्र श्री वन्ता निवासी मुजफर-
पुर तहसील जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ती है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां, करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8799 जनवरी,
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश न० 125—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 8918 जनवरी, 1975 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

7—296GI/75

(1) श्री भाग राम पुत्र रखा राम हरनाम सिंह 35-सन्तनगर लाडोवाली रोड जालन्धर (अन्तरक)

(2) मैसेर्स ज्ञानी फार्मैसु कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जालन्धर द्वारा श्री जगजीत सिंह मेनेजिंग डायरेक्टर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नम्बर 8918 जनवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1266—रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2765 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती दीपो पुत्री श्री बालीपा निवासी धाली नजदीक शंकर । (अन्तरक)

(2) श्री बलबीर सिंह, सुरिन्द्र सिंह, जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र करतार सिंह निवासी धाली तहसील नकोदर ।

(3) जैसा कि नं० 2 में है। (अन्तरिती)
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2765 मार्च, 1975 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-9-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1271—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/र० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8791 जनवरी, 1975, 985 अप्रैल, 1975, है तथा जो न्यू जवाहर नगर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, अप्रैल 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० डी० शोरी सुपुत्र श्री तीर्थराम 121 न्यू जवाहर नगर जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्री ज्ञान सिंह सुपुत्र करतार सिंह, कुलदीप कौर पत्नी ज्ञान सिंह। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भवन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8791 जनवरी, 1975, 985 अप्रैल 1975, 819 अप्रैल, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार;

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1272—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 879
अप्रैल, 1975 में है तथा जो न्यू ज्वाहर नगर जालन्धर में
स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख अप्रैल 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उप-
धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्री के० डी० जोरी सपुत्र श्री तार्थ राम 121
न्यू ज्वाहर नगर जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी श्री ज्ञान सिंह 121
न्यू ज्वाहर नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति इस सम्पत्ति में रूची रखता हो।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में
यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भवन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 879 अप्रैल,
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-10-75

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1273--यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा, 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8791
जनवरी, 1975 में है तथा जो न्यू जवाहर नगर जालन्धर
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख जनवरी 1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या
किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री के० डी० शोरी सपुत्री श्री तीर्थ राम 121,
जवाहर नगर, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री ज्ञान सिंह सपुत्र श्री करतार सिंह 121, न्यू
जवाहर नगर, जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति इस सम्पत्ति में रची रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
'आयकर अधिनियम', 1961 (1961 का 43) के
अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो
उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भवन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8791 जनवरी
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर,

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1274—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 985
अप्रैल, 1975 में है तथा जो न्यू जवाहर नगर, जालन्धर में
स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 1) के
अधीन, तारीख अप्रैल, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत
अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री के० डी० शोरी सपुत्र श्री तीर्थ राम, 121,
न्यू जवाहर नगर, जालन्धर (अन्तरक)
- (2) श्री ज्ञान सिंह एन्ड श्रीमति कुलदीप कौर 121,
न्यू जवाहर नगर, जालन्धर (अन्तरिती)
- (3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूची रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

- (क) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का,
जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भवन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 985 अप्रैल,
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-9-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1276—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8923
जनवरी 1975 में है तथा को बनडाला में स्थित है (और
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री दिलबाग सिंह पुत्र ऊधम सिंह 300एल०
माडल टाऊन, जालन्धर, जी० ए० (आफ कुलजीत सिंह पुत्र
दिलबाग सिंह, कमलजीत और पुत्री दिलबाग सिंह, परमजीत
कोर तथा लमरजीत कोर पुत्रीया दिलबाग सिंह, 300-
एल० माडल टाऊन, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री एस० आई० बरीकस तथा विल्डरज प्राईवेट
लिमिटेड, चौक दीपक सिनेमा, लुधियाना (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में दिया है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

अभि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नम्बर 8923 जनवरी,
1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1279—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नम्बर 2346
जनवरी 1975 में है तथा जो टाहली में स्थित है (और
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नकोदर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

धतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती तारो पुत्री बलीप पुत्र गुजां निवासी
टाहली (अन्तरक)

(2) श्री बलवीर सिंह, सुरीन्द्र सिंह, जोगिन्द्र सिंह
पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गांव टाहली (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में दिया है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2346 जनवरी,
1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1288--यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9121 जनवरी, 1975 में है तथा जो जगन (जिला जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अत्र 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—
8—296 GI/75

(1) श्रीमती दर्शन कौर पत्नी श्री भगत सिंह गांव
बजरा तहसील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी जसवन्त सिंह एन्ड
सुरजीव कौर पत्नी सुलखन सिंह गांव जगन तहसील जालन्धर
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बांद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9121 जनवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 24 सितम्बर, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1289—वतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
मह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8390
जनवरी 1975 में है तथा जो नागरा में स्थित है (और
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में बणित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
मह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिये,
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
माफिया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के
लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री जगत सिंह सपुत्र श्री भंडाल सिंह गांव नागरा
जिला जालन्धर
(अन्तरक)

(2) श्री अमरजीत सिंह सपुत्र श्री हाकम सिंह बस्ती
वीर वाद खां वर्तमान पता 455 ए० जवाहर नगर जालन्धर
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो
उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8890 जनवरी,
1975 में है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 26-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1290—यत, मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8892 जनवरी, 1975 में है तथा जो नागरा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगत सिंह सपुत्र श्री मंगल सिंह गांव नारगा तहसील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री गुरबिन्द्र सिंह सपुत्र श्री हाकम सिंह 455 ए० जवाहर नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुची रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यबाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8892 जनवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक लायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1291--यत, मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त
अधिनियम' कहा गया है), की धारा

269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8891
जनवरी, 1975 में है तथा जो नागरा में स्थित है (और
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी, 1975 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वावत 'उक्त अधि-
नियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,'
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

धन: धन 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा

(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्री जगत सिंह सपुत्र श्री मंगल सिंह निवासी गांव
नागरा जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती हरनाम कौर सपुत्री राधा सिंह 455 ए०
जवाहर नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितधर है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8891 जनवरी,
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1292--यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9304
जनवरी, 1975 में है तथा जो नागरा में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

- (1) श्री जगत सिंह सपुत्र श्री मंगल सिंह निवासी गांव
नागरा तहसील जालन्धर (अन्तरक)
- (2) श्री अमर जीत सिंह सपुत्र श्री हाकम सिंह 455
ए० ज्वाहर नगर, जालन्धर (अन्तरिती)
- (3) जैसा कि नं० 2 में है
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह व्यक्ति सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9304 जनवरी,
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर, 1975

निर्देश नं० 1293—यतः, मुझे, रवीन्द्र, कुमार,

आयकर अधिनियम

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9307 जनवरी, 1975 में है तथा जो नागरा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण, में, में, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा

(1) श्री जगत सिंह सपुत्र श्री मंगल सिंह गांव नागरा जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री गुरबिन्द्र सिंह सपुत्र श्री हाकम सिंह 455 ए० ज्वाहर नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9307 जनवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

भर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश नं० 1294—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1294
जनवरी, 1975 में है तथा जो नागरा में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
जनवरी, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-
फल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत,
'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग
के अनुसूचन में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा
269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित
व्यक्तियों प्रस्तावित :—

(1) श्री जगत सिंह सपुत्र श्री मंगल सिंह निवासी
गांव नागरा जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती हरनाम कौर सपुत्री श्री राधा सिंह 455
ए० जवाहर नगर, द्वारा श्री गुरविन्द्र सिंह जालन्धर
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिकारों में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए
कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो
उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9168 जनवरी,
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
भर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 24-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 26 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1296—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9215
जनवरी, 1975 में है तथा जो सबोवाल (जालन्धर) में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के
अधीन, तारीख जनवरी, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
जसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की
उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री धर्म सिंह सपुत्र ऊधम सिंह आफ जालन्धर
गहर (अन्तरक)

(2) वसन्त विहार : कापरेटिव हाऊस बिल्डिंग
सोसाईटी लिमिटेड जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह व्यक्ति सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45
दिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9215 जनवरी,
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 26-9-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 26 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1297—यतः मुशं, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9311 जनवरी, 1975 में है तथा जो सबोवाल में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए :

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

9-296GI/75

- (1) श्री धर्म सिंह पुत्र ऊधम सिंह निवासी सबोवाल (अन्तरक)
- (2) वसन्त विहार कोपरेटव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड जालन्धर (अन्तरिती)
- (3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9311 जनवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 26-9-1975

मोहर :

प्रारूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 26 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1303—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 62 अप्रैल, 1975 में है तथा जो --- में स्थित है (और इससे उगाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

- (1) श्री रणदास खन्ना पुत्र श्री शादी राम खन्ना मन्दिर खरीया मड़ी रोड जालन्धर (अन्तरक)
- (2) श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री श्रीम प्रकाश हाऊस नं० 25 सुभाष नगर, जालन्धर (अन्तरिती)
- (3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग नमें सम्पत्ति है)
- (4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

रजिस्ट्रीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 62 अप्रैल, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 26-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर दिनांक 4 सितम्बर 1975

सं० एफ०डी०के०/149/75-76—यतः, मुझे, वी० आर० सागर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसे उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती है तथा जो गांव खुण्डेहलाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

(1) श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी सं० रामन्दर पाल सिंह पुत्र भाई जभरजंज सिंह वासी मुक्तसर । (अन्तरक)

(2) श्री जी० सी० हरधीर सिंह पुत्र वरिन्द्र पाल सिंह वासी खुण्डेहलाल तहसील मुक्तसर । (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2660 जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा है ।

वी० आर० सागर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 4-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

बंगलौर, दिनांक 10 सितम्बर 1975

सं० ए० एस० आर०/73-74/ए० पी०-179—यतः, मुझे, वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी

सं० प्लॉट है तथा राय बहादुर प्रकाश चन्द्र रोड़ में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मार्च, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मोहिन्दर शंभु नरिन्दर चंद पुत्र श्री राम साहिब लाल शंभु श्री प्रकाश चंद लाल शंभु खुसहालचंद वासी आर० बी० प्रकाश चंद रोड़ अमृतसर। (अन्तरक)

(2) मैसर्स सजेद एण्ड कम्पनी अमृतसर कैट (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा राय बहादुर प्रकाश चन्द्र रोड़ अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3540 मार्च 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

वी० आर० सागर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 4-10-75

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 30 अक्टूबर 1975

सं० के०पी०एल०/168/75-76—यतः मुझे वी० आर० सागर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

सं० धरती है तथा जो भवानीपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा, 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री महावीर सिंह पुत्र श्री बकशीश सिंह पुत्र श्री मूला सिंह वासी कपूरथला ।

(अन्तरक)

(2) श्री जागीर सिंह पुत्र श्री भजन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह श्री भजन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री काहन सिंह वासी भगतपुर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2375 जनवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है ।

वी० आर० सागर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 3-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 3 अक्टूबर 1975

सं० के०पी०एल०/169/75-76---यंतः मुझे वी० आर० सागर,

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा

269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० धरती है तथजो भवानीपुर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसूची में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) महावीर सिंह पुत्र श्री बकशीश सिंह पुत्र श्री भूला सिंह वासी कपूरथला

(अन्तरक)

(2) श्री दयाल सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह पुत्र श्री काहन सिंह श्रीमती ज्ञान कौर पत्नी श्री दयाल सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह वासी भगतपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नम्बर 2 में दिया गया है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2374 जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

वी० आर० सागर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 3-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 1975

निर्देश सं० सी०एच०डी०/288/74-75—प्रतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1/2 भाग एस०सी०ओ० नं० 87-88 है तथा जो सैक्टर-17डी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपा-बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को वास्तविक उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए ;

प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती कंचलजीत कौर पुत्री स्वर्गीय श्री मुकन्द सिंह निवासी—7 न्यू टाउन मोगा, जिला फरीदकोट (अन्तरक)
2. श्री इन्द्रमीत सिंह गिल्ल, नबालिग पुत्र श्री गुरदीप सिंह गिल्ल निवासी—7 न्यू टाउन, जिला फरीदकोट (अन्तरिती)
3. (i) मै० चीफ बूट हाउस (ii) मै० लिल्ली रेस्टो-रेंट (iii) मै० ओम प्रकाश मनोज कुमार (iv) दी रिप्रेजेन्टे-टिव आफ बिजनस रिसर्च कारपोरेशन एजेंसी डिवीजन (v) असिस्टेंट डायरेक्टर, लेबर इयूरो आफ इण्डिया (vi) एक्साइज एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा एस०सी०ओ० 87-88, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग एस०सी०ओ० नं० 87-88 जोकि सैक्टर 17-डी चण्डीगढ़ में स्थित है।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 29-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 29 सितम्बर, 1975

निर्देश सं० सी०एच०डी०/291/74-75—यतः मुझ, विवेक प्रकाश मिनोचा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह, विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी न० मकान नं० 2369 है तथा जो सैक्टर 23-सी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख मार्च, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री इन्द्र सिंह उस के मुख्तयार आम श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह मकान नं० 1663, सैक्टर 22-बी० चण्डीगढ़ द्वारा (अन्तरक)

2. श्री जुनेश मुंजाल पुत्र श्री देस राज मुंजाल निवासी अबोहर जिला फिरोजपुर अब मकान नं० 2369, सैक्टर 23-सी, चण्डीगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 2369, सैक्टर 23-सी चण्डीगढ़।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख: 29-9-1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०-1/एस०आर०-3/मई-1/
749/75-76—यतः, मुझे, च० वि० गुप्ते
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० एन०-132 ग्रेटर कैलाश, 1/3 भाग डार्ह
मंजिली जायदाद) नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपा-
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 3-5-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित कि गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से
अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

10—296 GI/75

1. श्री मनमोहन चोपड़ा पुत्र दीवान चन्द 146-
सी तिलक नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. डा० कमलेश कुमार मोडाबल, सुभाष कुमार और
जोगेश कुमार पुत्रगण श्री सी० एन० मोडाबल निवासी
सी-1/40 पंडारा पार्क, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है ।

अनुसूची

सभी अधिकारों सहित 1/3 भाग डार्ह मंजिला मकान
नं० एन०-132 सतह तल से नीचे जिसका क्षेत्रफल 300
वर्ग गज जो कि ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में निम्न प्रकार
से घिरा है :—

पूर्व :—जायदाद नं० एन/132

पश्चिम :—जायदाद नं० एन/130

उत्तर :—सविस लैन

दक्षिण :—सड़क

च० वि० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 29 सितम्बर, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए० क्यू०/1/एस० आर०-111/सई-1/
739/75-76—यतः मुझ, चं० वि० गुप्ते

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नं० 132, हाई मंजिला मकान का 2/3 भाग, है, जो ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 3-5-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इन्द्र बीर भण्डारी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री एस० वजीर सिंह, निवासी एन०-132, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. डा० कमलेश कुमार मोडावल (2) श्री सुभाष कुमार (3) श्री योगेश कुमार, सुपुत्र श्री एन० सी० मोडावल, निवासी सी०-1/40, पन्डारा पार्क, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हाई मंजिला मकान का 2/3 भाग जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है तथा जो कि एन०-132, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : जायदाद नं० एन०-132

पश्चिम : जायदाद नं० एन०-130

उत्तर : सविस लन

दक्षिण : सड़क

चं० वि० गुप्ते

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 29 सितम्बर, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, तारीख 3 अक्टूबर, 1975

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यु०-1/एस०आर०-III/मार्च-11/
(40)/74-75—यतः, मुझे, चं० वि० गुप्ते
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० एम०-83 है, जो ग्रेटर कैलाश-II; नई
दिल्ली में स्थित है (और जिसकी सं० इससे उपाबद्ध अनु-
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 31-3-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या
उससे बचने में सुविधा के लिए और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० डी०एल०एफ०यूनाइटेड लि०, 30-एफ०, कनाट
प्लेस, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती शकुन्तला शर्मा, पत्नी श्री किशन सहाए,
निवासी 370, मस्जिद मठ, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. श्रीमती शकुन्तला शर्मा, पत्नी श्री किशन सहाए, निवासी
370, मस्जिद मठ, नई दिल्ली (वह व्यक्ति जिसके अधि-
भोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप, यदि
कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सभी अधिकारों, टाइटल तथा लाभों सहित भूमि का
प्लॉट जिसका नं० 83, ब्लॉक नं० 'एम' है तथा क्षेत्रफल
262 वर्ग गज है तथा जोकि निवासी कालौनी ग्रेटर कैलाश-
II, नई दिल्ली के गांव बहारपुर, दिल्ली में निम्न प्रकार
से स्थित है:—

पूर्व: सड़क
पश्चिम: सर्विस लेन
उत्तर: प्लॉट नं० एम-81
दक्षिण: सड़क

चं० वि० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 3-10-1975
मोहर:

प्ररूप आरई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, तारीख 3 अक्टूबर, 1975

निर्देश सं० आरई०ए०सी०/एक्यु०-1/एस०आर०-111/74-75/अप्रैल-11/726—यत्ने, भुझे, चं० वि० गुप्ते
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और और जिसकी सं० आर०-37 है, जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 22-4-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. लैफ्ट० कल० सुरिन्द्र सिंह खुराना, सुपुत्र डा० जैमल सिंह खुराना, निवासी 13, प्रोनसिस पार्क, आफिसर्स होस्टल नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती सुदर्शन पारती, पत्नी श्री दरबारी लाल पारती, निवासी आर-37, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. श्री डी० एल० पारती (किराएदार) (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट की भूमि जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग गज है तथा नं० आर०-37, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में एक मंजिला मकान के साथ बना हुआ है तथा जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से हैं:—

पूर्व: मकान नं० आर०-39

पश्चिम: मकान नं० आर०-35

उत्तर: सड़क

दक्षिण: सर्विस लेन

चं० वि० गुप्ते

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 3 अक्टूबर, 1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर, 1975

निर्देश सं० आई०ए०सी०एक्यू०/1/एस०आर०-III/मार्च-1/
(31)/75-76—यतः मुझे, चं० वि० गुप्ते

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० एच०-24 है तथा जो जंगपुरा एक्सटेंशन,
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन 10-3-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
को बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरबक्चन सिंह, सुपुत्र स्वर्गीय श्री तेजा सिंह,
निवासी सी०-4-ए०/36-ए०, पंखा रोड, नई दिल्ली (अन्तरक)
2. श्रीमती बिमला रानी कोहली, पत्नी श्री गुरदियाल
कोहली, निवासी 10175, नवाब गंज, दिल्ली लेकिन अब
एच०-24, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली (अन्तरिती)
3. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति
है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप, यदि
कोई हो, तो:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त-
अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है ।

अनुसूची

जायदाद नं० एच०-24 का 1/5 भाग जोकि जंगपुरा एक्स-
टेंशन, नई दिल्ली में लीजहोल्ड अधिकारों सहित तथा अन्य
सभी मनोरंजक अधिकारों इत्यादि सहित जायदाद के साथ
जुड़ा हुआ है ।

चं० वि० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 3 अक्टूबर, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, तारीख 3 अक्टूबर, 1975

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यु०/1/एस०आर०-III/मार्च-II/(42)/75-76—यतः, मुझे, चं० वि० गुप्ते
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एच०-24 का 1/5 भाग है, जो जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-3-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गुरबक्स सिंह, सुपुत्र स्वर्गीय श्री तेजा सिंह, निवासी डी०-23, जोरबाग, नई दिल्ली (अन्तरक)
2. श्रीमती विमला रानी कोहली, पत्नी श्री गुरदियाल कोहली, निवासी 10175, नवाब गंज, दिल्ली लेकिन अब एच०-24, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली। (अन्तरिती)
3. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संशुद्धीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद नं० एच०-24 का 1/5 जोकि जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में लीज होल्ड अधिकारों तथा अन्य मनोरंजक अधिकारों के साथ जायदाद से जुड़ा हुआ है।

चं० वि० गुप्ते

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 3 अक्टूबर, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यु०/1/एस०आर०-III/मार्च-1/
(32)/74-75—यतः, मुझे, चं० वि० गुप्ते
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा
गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० एच०-24 है, जो जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन, 10-3-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग
के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जसवन्त सिंह, सुपुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी
ए-125, नेताजी नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती विमला रानी कोहली, पत्नी श्री गुरदियाल
कोहली निवासी 10175, तवाब गंज, दिल्ली लेकिन अब
एच०-24, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया नई दिल्ली
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में
सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन
के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है ।

अनुसूची

जायदाद सं० एच०-24 का 1/5 भाग जोकि जंगपुरा
एक्सटेंशन, नई दिल्ली में लीज होल्ड अधिकारों सहित तथा
मनोरंजक अधिकारों इत्यादि सहित जायदाद के साथ जुड़ा
हुआ है ।

चं० वि० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 3-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1236—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 9219,
जनवरी 1975 में है तथा जो मुजफरपुर में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
जनवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र राम, गांव रखा खुरद पहसील
फिल्लौर। (अन्तरक)

2. श्री निर्मल सिंह सुपुत्र बूटा सिंह, गांव मुजफरपुर
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधि-
भोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई भी व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुची रखता हो
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि अधिकृत विलेख न० 9219, जनवरी 1975
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 19 सितम्बर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1237—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 9218, जनवरी 1975 में है और जो मुजफरपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

11—296 GI/75

1. श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र राणा, गांव रूरकाखुरद तहसील फिल्लौर। (अन्तरक)

2. श्री गफतार सिंह कृपाल सिंह, सुपुत्रां निर्मल सिंह गांव मुजफरपुर तहसील जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधि-भोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में हकी रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 9218, जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 19 सितम्बर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1238—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेखन नं० 8800
जनवरी 1975 में है तथा जो मुजफरपुर में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
जनवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र राणा सुपुत्र उत्तम, गांव
रुरका खुरद तहसील फिल्लौर। (अन्तरक)

2. श्री स्वर्ण सिंह, बच्चन सिंह सुपुत्रां निर्मला सिंह
गांव मुजफरपुर तहसील जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधि-
भोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह
सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि अधिष्कृत विलेख नं० 8800, जनवरी
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 19 सितम्बर 1975।

मोहर:

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1239—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 9217, जनवरी 1975 में है तथा जो मुजफरपुर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक से रूप कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्ति्यों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र राणा, गांव हरकाखुरद तहसील फिल्लौर। (अन्तरक)

2. श्री जरनैल सिंह सुपुत्र पाखर सिंह, गांव मुजफरपुर (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधि-भोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुची रखता हो (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 9217 जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम अधिकारी

सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज, जालन्धर।

दिनांक : 19 सितम्बर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1240—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961

का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 9023 जनवरी 1975 में है तथा जो जगराल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी 1975 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गुरनाम सिंह निरेन्द्र सिंह सुपुत्रा गूलजार सिंह गांव भोजला तहसील फिरोज़पुर। (अन्तरक)

2. श्री हरभजन सिंह सुपुत्र प्रीतम सिंह, गांव जगराल तहसील जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 9023 जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 19 सितम्बर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

निर्देश सं० 1241—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 9024, जनवरी 1975 में है तथा जो जगराल में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गुरनाम सिंह, निर्रे सिंह सुपुत्रा गूलजार सिंह गांव ओजला तहसील फिलौर। (अन्तरक)

2. श्री प्यारा सिंह सुपुत्र रूर सिंह, गांव जगराल तहसील जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधि-भोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि अधिकृत विलेख नं० 9024, जनवरी 1975 को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 19 सितम्बर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/भोपाल, म० प्र० एक्वीजेशन-75-76—यतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 35/1 है तथा जो रामपुरा इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6 जनवरी 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अली हुसैन पुत्र श्री हाथीमल जी, बीरा रोड, बौहरा बाखल, इन्दौर। (अन्तरक)

2. श्री अहीर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल हुसैन नलवाला, बौहरा रोड, रानी पुरा नई बागई, इन्दौर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किमे जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 35/1। स्थित गली नं० 1 रामपुरा इन्दौर

एम० एफ० मुन्शी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल।

दिनांक : 9 सितम्बर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी० एफ० मुन्शी/75-76---

यतः, मुन्शी, एम० एफ० मुन्शी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० म० नं० 35/1 है, तथा जो रानीपुरा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7 जनवरी 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अली हुसैन वन्द हाथीमल जी, निवास वीहरा वाखल, इन्दौर। (अन्तरक)

2. श्री सहीर हुसैन वन्द अब्दुल हुसैन, निवास रानीपुरा इन्दौर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

संशुद्धीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

म० नं० 35/1 बना हुआ गली नं० 1 रानीपुरा, इन्दौर।

एम० एफ० मुन्शी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 9 सितम्बर 1975

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अमृतसर/155/75-76—यतः, मुझे, वी०
आर० सगर,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि का प्लॉट है तथा जो ग्रीन एवेन्यू,
अमृतसर में स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का
16) के अधीन दिनांक फरवरी तथा मार्च 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय के बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लै० क० ओम प्रकाश भाटिया सुपुत्र श्री रामलाल
भाटिया ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर द्वारा श्री सालिगराम भाटिया
सुपुत्र श्री सुन्दर दास भाटिया, बटाला रोड, अमृतसर।
(अन्तरक)

2. श्री बकशीश सिंह सुपुत्र श्री जसवन्त सिंह, जसवन्त
सिंह सुपुत्र श्री बसावा सिंह, सुलतान विड रोड, अमृतसर
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 317 ग्रीन एवेन्यू अमृतसर, जैसा कि
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3644, फरवरी 1975 और
3939, मार्च 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर
में है।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 10 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अमृतसर/156/75-76—यतः, मुझे, वी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का 1/2 भाग है तथा जो 2133/
VIII-17 या 7 किला भंगियां, अमृतसर में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
फरवरी 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधि-
नियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

12—296GI/75

1. श्री परधोत्तम दास पोपली मुपुत्र श्री पूरन चन्द, 16,
लेलेण्ड लेन, मेट्रोपालिटिन डिस्ट्रिक्ट आफ ब्राड फोर्ड, लन्दन द्वारा
श्री प्रेम नाथ पोपली, एफ०-31, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री लम्भू राम अरोड़ा,
2133/-VIII-17, किला भंगियां, आवादी गोकल चन्द, अमृतसर
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति, जो सम्पत्ति में रुचि रखता है

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 2133/VIII-17 या 7 किला भंगियां अमृतसर
का 1/2 भाग जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3704,
फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में
लिखा है।

वी० आर० सगर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक: 10 अक्टूबर 1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अमृतसर/157/75-76-यतः, मुझे, वी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधि-
नियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम
अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० मकान का 1/2 भाग है तथा जो 2133/
VIII-17 या 7 किला भंगीयां, अमृतसर में स्थित है (और
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
फरवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था,
छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रेमनाथ पोपली सुपुत्र पूरन चन्द पोपली वासी
एफ० 31, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री लभू राम अरोड़ा,
2133/VIII-17 किला भंगीयां, आबादी गोकल चन्द, अमृतसर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि सह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

मकान नं० 2133/VIII-17 या 7 किला भंगीयां अमृतसर
का 1/2 भाग जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3703,
फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में है।

वी० आर० सगर,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 10 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अमृतसर/158/75-76—यतः, मुझे, वी०
आर० सगर,
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 1/3 कोठी है तथा जो 567/XIII, ब्रह्म
नगर अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में
और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत
उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे
बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों,
अर्थात् :—

1. श्री मनोहर लाल सुपुत्र विद्या धर मार्फत मैसर्स
विद्याधर एण्ड सन्ज़, बाहर हाल गेट, अमृतसर (अन्तरक)
2. श्री कुन्दन लाल, श्री शाम सुन्दर सुपुत्रान श्री विद्याधर
टन्डन वासी 576/XIII, ब्रह्मनगर लारैन्स रोड, अमृतसर
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

कोठी नं० 576/XIII, ब्रह्मनगर, अमृतसर का 1/3 भाग
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3662, फरवरी 1975
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में है।

वी० आर० सगर,

सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 10 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अमृतसर/159/75-76—यतः, मुझे, वी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि का प्लॉट है तथा जो प्लॉट नं० 9, शिवाला भाईयां, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिका-री के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बलजीत सिंह सुपुत्र कुलबीर सिंह, कोठी नं० 21 अमृतसर कैन्ट। श्रीमती सुनीत कौर सुपुत्री मेजर बीर सिंह 399, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा डा० रणवीर सिंह सुपुत्र डा० सोहन सिंह, 21-कैन्ट, अमृतसर। (अन्तरक)

2. श्री सुरिन्द्र मोहन अग्रवाल सुपुत्र बक्षी राम अग्रवाल 105, लारेंस रोड, अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 9, शिवाला भाईयां अमृतसर, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3698 फरवरी 1975 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में है।

वी० आर० सगर,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 10 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अमृतसर/160/75-76--यतः, मुझे, वी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि का प्लॉट है तथा जो 62, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्कीम अमृतसर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में, वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बावत उक्त अधिनियम, के अधिन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या कसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए.

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैनर्स निरंकारी फाईनैन्सर्ज एण्ड चिट फण्ड (प्रा०) लि०, द्वारा श्री कल्याण सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, चौक बाबा भौड़ी वाला, अमृतसर (अन्तरक)

2. श्री केवल कृष्ण सुपुत्र रघुपत राम तथा स्वतंत्र कुमार, विजय कुमार तथा वीरिन्द्र कुमार सुपुत्रान श्री केवल कृष्ण, गली लाम्बा कटड़ा भाग सिंह, अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का प्लॉट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3764 फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रोज, अमृतसर।

दिनांक : 10 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० गुरदासपुर/161/75-76—धतः, मुझे, वी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती है तथा जो गांधी गुरदासपुर में स्थित है (और इससे उपादक अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्तर्गण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्रीतम सिंह, नरंजन सिंह सुपुत्र श्री लछमन सिंह (अन्तरक)
 2. श्री कश्मीर सिंह सुपुत्र गुरबकश सिंह मार्फत को० आपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी लिमिटेड पठानकोट और श्रीमती जागीर कौर। (अन्तरिती)
 3. जैसा कि नं० 2 में दिया है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)
- को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6168, महीना फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में लिखा है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर।

दिनांक: 10 अक्टूबर 1975

मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० फरीदकोट/162/75-76—प्रतः, मुझे, वी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा है तथा जो फिरोजपुर-
कोटकपुरा रोड, फरीदकोट में स्थित है (और इसके उपायद्व
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-
कारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी
1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1).
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नसीब सिंह गिल सुपुत्र श्री तारा सिंह सुपुत्र
श्री नत्था सिंह, माल रोड, फरीदकोट।

(अन्तरक)

2. श्री दखिन्द्रपाल सिंह सुपुत्र श्री वीर सिंह टिम्बर
मरचैन्ट, फरीदकोट।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधि-
भोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं०
3409 महीना फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी,
फरीदकोट में लिखा है।

वी० आर० सगर,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 10 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० फरीदकोट/163/75-76—अतः, मुझे, बी०
आर० सगर,

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु०
से अधिक है

और जिसकी सं० धरती है तथा जो गांव समावाली में स्थित
है (और इससे जवाबद्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक फरवरी 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है
और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न-
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या घन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की
(उपधारा 1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

1. श्री सोहन सिंह सुपुत्र श्री हरि किशन सिंह मुक्तसर
आफ डा० अवतार सिंह सुपुत्र श्री तेजा सिंह गांव दोसियां
कलां जिला जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्रीमती जगपाल कौर पत्नी स० जोगिन्द्र सिंह अब
हाजीपुर तहसील फगवाड़ा। (अन्तरिती)

3. जैसा नं० 2 में है। और किरायेदार जो धरती
पर किरायेदार है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2636 महीना
फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा
है।

बी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

दिनांक: 10 अक्टूबर 1975
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० फरीदकोट/164/75-76—यतः, मुझे, वी० आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती है तथा जो कोट कपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरनेक सिंह और श्री टेक सिंह वासी कोटकपुरा (अन्तरक)
2. श्री नत्या सिंह, गुरचरण सिंह सुपुत्र श्री प्रताप सिंह वासी कोटकपुरा (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3562 महीना फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है।

वी० आर० सगर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 10 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० फरीदकोट/165/75-76—यतः, मुझे, बी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० धरती है तथा जो कोटकपुरा में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक
फरवरी 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्त-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री उजागर सिंह सुपुत्र श्री झन्डा सिंह जनरल
अटारनी फार नछतर सिंह, बचितर सिंह, जीत सिंह, मलकीअत
सिंह, वासी कोटकपुरा (अन्तरक)

2. श्री नल्था सिंह गुरचरन सिंह सुपुत्र श्री प्रताप सिंह
वासी कोटकपुरा (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रचि रखता है

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3560 महीना
फरवरी 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में
लिखा है।

बी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक: 10 अक्टूबर 1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 10 अक्तूबर 1975

निर्देश सं० फरीदकोट/166/75-76—यतः, मुझे, वी०
आर० सगर, आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो कोटकपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसूची, में, में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों पर्याप्त :—

1. श्री बलवन्त सिंह, बलवीर सिंह, सुरजीत सिंह मकखन सिंह सुपुत्रान श्री मधर सिंह वासी कोटकपुरा
(अन्तरक)

2. श्री नत्था सिंह, गुरचरन सिंह सुपुत्र श्री प्रताप सिंह, वासी कोटकपुरा
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखत में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3561 फरवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

दिनांक : 10 अक्तूबर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अक्तूबर 1975

निर्देश सं० एफ डी के/167/75-76—यतः, मुझे, वी०
आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार, मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो चकरीयां रोड़, मानसा में
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मानसा में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
दिनांक फरवरी 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम',
के अधीन कर देने के अन्तरक के घायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बन्त सिंह, आत्मा सिंह, सीता सिंह सुपुत्र
केहर सिंह, हरनेक सिंह सुपुत्र केहर सिंह, नर सिंह सुपुत्र
बन्त सिंह, वासी मानसा मण्डी। (अन्तरक)

2. श्री लछमन दास, मनसा राम सुपुत्र चूनी लाल,
दीवान चन्द, तेलू राम, प्रेम कुमार सुपुत्र चूनी लाल, वासी
मानसा। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में श्चि रखता हो

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4170 व 4169
फरवरी, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 10-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय,

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

4/14-ए, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/876/75-76/3936

—यतः, मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल सहायक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जै० 168 का 1/2 भाग है, जो राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-5-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती विद्यावन्ती, पत्नी श्री मुकुन्द लाल चौधरी, निवासी 5/42, डब्लू० ई० ए०, कारौल बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. मं० सरला इन्दू इन्टरप्राईजीस, 3072/2-सी० ए०, गली नं० 10, रनजीत नगर, नई दिल्ली इनके हिस्सेदारों के द्वारा (1) श्रीमती सरला एम० अहूजा, पत्नी श्री एम० एफ० अहूजा (2) श्री इन्द्र कुमार तौलानी, सुपुत्र श्री हरू मल तौलानी (3) श्री सचा नन्द दी० रीझावनी, सुपुत्र श्री थारू मल रीझावनी (4) श्रीमती निमला देवी, पत्नी श्री हरू मल के० तौलानी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान का 1/2 भाग जोकि प्लाट की भूमि पर बना है जिसका क्षेत्रफल 151 वर्ग गज (कुल क्षेत्रफल 302 वर्ग गज) है और जोकि प्लाट नं० 168, ब्लाक नं० 'जै', राजौरी गार्डन में, गांव बसाए धारापुर, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :

पूर्व : जायबाद नं० जै०-148/ए

पश्चिम : सड़क

उत्तर : प्लाट नं० जै०-169 पर मकान

दक्षिण : प्लाट नं० जै०-167 पर मकान

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 30-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

4/14-ए, आसफ अली रोड़ नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू० 11/879/75-76/3936
—यतः, मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बी०-6/1 है, जो माडल टाउन, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-4-1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जै प्रकाश जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्री नेम चन्द जैन, निवासी 3555, गली हनुमान मंवीर, सब्जी मण्डी, दिल्ली-7 (अन्तरक)

2. श्री विजय कुमार सूव, सुपुत्र श्री आशुद सारूप सूव, निवासी बी०-6/2, माडल टाउन, दिल्ली (अन्तरिती)

3. श्री राम सास, शाप नं० 1, (2) श्री काशी राम, दुकान नं० 2, (3) श्री ईश्वर दास, दुकान नं० 3 (4) मनमोहन कोहली, बरसाती (5) श्री काशी राम, खोखा सारे निवासी बी०-6/1, माडल टाउन, दिल्ली, (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला पक्का भवन जोकि फ्रीहोल्ड प्लॉट नं० 1, ब्लॉक नं० बी०-6 पर बना हुआ है तथा जिसका क्षेत्रफल 53.33 वर्ग गज है तथा जोकि माडल टाउन, दिल्ली में स्थित है।

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 29-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

4-ए/14, आसफ अली रोड नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11/878/75-76/3936

—यतः, मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एच०-56 है, जो कीर्ती नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाय अन्वेषण के पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकांश के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-4-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे,

यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे घटने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अज किशोर, सुपुत्र श्री बरकत राम निवासी एच०/56 कीर्ति नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री राम नाथ खुराना, सुपुत्र श्री राम लाल खुराना निवासी 33/27 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली श्री हरबंस लाल खुराना 3 श्री अमृत लाल 4 श्री कृष्ण लाल पुत्रगण श्री राम लाल निवासी सी-12, शापडिंग सेंटर, बसन्त बिहार, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक 2-1/2 मजिला मकान जोकि 326-2/3 वर्ग गज जमीन के टुकड़े पर बना हुआ है और प्लॉट नं० एच-56 कीर्ति नगर, नई दिल्ली पर निम्न प्रकार से स्थित है:

उत्तर : जमीन

दक्षिण : सड़क

पूर्व : मकान नं० एच-56

पश्चिम : मकान नं० एच० 57

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 30-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/11/877/75-76/3936

—यतः, मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जे०-168 का 1/2 भाग है, जो राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-5-1975

को, पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत व 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरकेश कुमार सालूजा, सुपुत्र श्री मोहिन्द्र नाथ सालूजा, निवासी 5/42, इब्लू० ई० ए०, कारौल बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. मै० सरला इन्व् इन्टरप्राईजीस, 3072/2-सी० ए०, गली नं० 10, रनजीत नगर, नई दिल्ली इनके हिस्सेदारों के द्वारा
(1) श्रीमती सरला एम० ग्रहूजा, पत्नी श्री एम० एफ० ग्रहूजा;
(2) श्री इन्द्र कुमार तीलानी, सुपुत्र श्री हरू मल तीलानी (3) श्री सचा नन्द टी० रोझावनी, सुपुत्र श्री धारू मल रोझावनी तथा
(4) श्रीमती नीरमला देवी, पत्नी श्री हरू मल के० तीलानी।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान का 1/2 भाग जोकि प्लाट की भूमि पर बना है जिसका क्षेत्रफल 151 वर्ग गज (कुल क्षेत्रफल 302 वर्ग गज) है और जोकि प्लाट नं० 168, ब्लॉक नं० 'जे०' राजौरी गार्डन में, गाँव बसाए दारापुर, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : जयदाद नं० जे०-148/ए

पश्चिम : सड़क

उत्तर : प्लाट नं० जे०-169 पर मकान

दक्षिण : प्लाट नं० जे०-167 पर मकान

एस० एन० एल० अग्रवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 30-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-5, बम्बई

बम्बई, दिनांक 3 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अ० ई० 5/264/27/74-75—अतः

मुझे, जे० एम० मेहरा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है, जो भांडूप व्हीलेज में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-2-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) रतनसी करसनदास
- (2) प्रताप सींग मथुरादास
- (3) पुष्पाबाई प्रतापसी
- (4) जैनासिंह विठ्ठलदास
- (5) प्रतापसींह गोरजी वल्लभदास
- (6) वीलीपसिंह गोरजी वल्लभदास
- (7) भावजी सुरजी
- (8) गोपालजी विरजी सुरजी
- (9) मनिबाई विडो ऑफ वीरजी सुरजी
- (10) दमयन्ती विडो ऑफ विरजी सुरजी

14-296GI/75

- (11) बरछुबाई वीडो ऑफ पुरुषोत्तम बहानजी
- (12) सरस्वती प्रल्हादराई की औरत
- (13) दमयन्ती प्रल्हादराय सेरजीकी औरत
- (14) रुकमीनी बेन पुरुषोत्तम दयालजी की औरत
- (15) कल्याणजी अरुणकुमार पुरुषोत्तम बहानजी
- (16) वसन्त कुमार पुरुषोत्तम बहानजी (अन्तरक)

2. श्री भारतसींग कुठीरसींग ठाकुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जिला बम्बई उपनगर के बांद्रा रजिस्ट्रेशन उपजीले के कुर्ला तालुका के सर्वेक्षण संख्या 136 और सर्वेक्षण नं० 154 (पार्ट) सी० टी० एस० सं०

161	164	57
1 से 37	1 से 27	1 से 20
60	58	62
1 से 16, 26 से 70	1 से 5	1 से 27
63	64	65
1 से 6	1 से 2	1 से 17
		1 से 9

से बाहर तमाम जमीन का भाग अथवा खण्ड जो कि माप में 6613 वर्ग गज अथवा 6046.93 वर्ग मीटर है। वह गांव देवी रोड पर टेवी पाडा पर स्थित है। तथा जिसकी सीमाएं इस प्रकार है।

पूर्व में या पूर्व की ओर अंगतः भांडूप स्टेट की प्रापर्टी है और अंगतः माला है पश्चिम में या पश्चिम की ओर तान्सा पार्सिप लाईन है, उत्तर में या उत्तर की ओर भांडूप एस्टेट जिसकी सर्वेक्षण संख्या 136 (पार्ट) और सर्वेक्षण संख्या 137 (पार्ट) है। दक्षिण में या दक्षिण की भांडूप एस्टेट है।

जे० एम० मेहरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-5 बम्बई।

तारीख : 3-10-75

मोहर :

प्रकृष घाई० टी० एन० एस०—

घायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 29 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई०-2/1092/3061/75-76—अतः मुझे एम० जे० माथन सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, 2 बम्बई आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लॉट नं० 35 हि० ने० 2 सं० नं० 326 अ 322 और 289 अ है, जो बान्द्रा में स्थित है (और इससे उपाबड अनु-सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बान्द्रा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-2-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तित्व को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्ति को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. दि० युनियन लेन्ड ग्रैन्ड बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड (अन्तरक)
2. इन्लेण्ड ट्रेडिंग प्रोड इन्जीनियरिंग क० प्रा० लिमिटेड (अन्तरिती)
3. मेसर्स बोम्बे फाइनेन्स क० (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बम्बई जिला उपनगर जो कि अब बृहत्तर बम्बई है—में बान्द्रा तालुका सालसेटी के रजिस्ट्रेशन क्षेत्र में पाली हिल, दांडा में स्थित एवम् अवस्थित जमीन का वह तमाम भाग अथवा खण्ड अथवा तल जिस में गृहनिवासवाटिकाओं या रिहाइशी मकान शामिल है तथा जो उस जमीन का ही एक भाग है जो पाली हिल इस्टेट के नाम से जाना जाता है तथा जो माप में 977.5 वर्ग गज अथवा उसके समकक्ष है वेडर्स प्राइवेट स्किमकी प्लॉट सं० 35 है तथा जो सर्वेक्षण संख्या 15 हिस्सा संख्या 2 की जमीन का भाग अथवा खण्ड है तथा सर्वेक्षण संख्या 326 अ, 322 और 289 अ का भाग है तथा इस प्रकार घिरा हुआ है: उत्तर में या उत्तर की ओर श्री फार्नाडीस की जमीन है, दक्षिण में या दक्षिण की ओर यूनियन पार्क की सड़क है, पूर्व में या पूर्व की ओर यूनियन पार्क प्लॉट नं० 33 है तथा पश्चिम में या पश्चिम की ओर यूनियन पार्क का प्लॉट सं० 36 है।

एम० जे० माथन
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख: 29-9-1975

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

प्रायन्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 29 सितम्बर 1975

निर्देश सं० अई० 2/1094/3081/75-76- अतः मुझे
एम० जे० माथन सहायक
आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, 2, बम्बई आयकर
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है
और जिसकी सं० अन्तिम प्लॉट नं० 95-अ टी० पी० एस०-III है,
जो विलेपाले में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन 13-2-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में
सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या
धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सर्व श्री सेवन्तीलाल कान्तीलाल और नवीनचन्द्र कान्तीलाल
(अन्तरक)

2. श्रीमती शकुन्तला कान्तीलाल (1) हिराबेन सोमचन्द्र
(2) जे० आर० पटेल (3) व्ही अमृतलाल मुनीलाल (4)
नन्दलाल खेतान (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बम्बई नगर एवं बम्बई उपनगर के बम्बई उपनगर जिले के
रजिस्ट्रेशन जिले और उपजिले में साउथ सालरूडे तालुका में विलेपाले
में स्थित एवं अवस्थित जमीन का वह तमाम भाग अथवा खण्ड या तल
जो कि माप में एक हजार एक सौ पैतालिस (1145) वर्गगज
अर्थात् 957 वर्ग मीटर या उसके समकक्ष है, विलेपाले नगर योजना
सं० 111 का फाइनल प्लॉट सं० 95-ए तथा जिन भूभागों से
घिरा हुआ है वे इस प्रकार हैं :— कि उत्तर या उत्तर की ओर
स्कीम रोड है, दक्षिण या दक्षिण की ओर प्लॉट सं० 93 है, पूर्व
या पूर्व की ओर प्लॉट सं० 92 है और पश्चिम या पश्चिम की ओर
प्लॉट सं० 96 है।

एम० जे० माथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 29-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) कार्यालय

अर्जन रेंज 5 बम्बई

बम्बई दिनांक 30 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० 5/239/74-75—अतः मुझे जे० एम० महरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाई सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 172 सी० ख० नं० 3235 से 3244 है, जो घाटकोपर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-2-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स जीवन बिल्डर्स और असोसिएट और अदर्स (अन्तरक)
2. प्रेमाबाई वेलजी लीलाधर की पत्नी (अन्तरिती)
3. भाडोलि (अनुसूची 2 के अनुसार (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

1. नटवरलाल मगनलाल
2. रजनीकान्त शीवलाल
3. सूर्यकान्त रामजी
4. प्रानथंकर नरवेहशंकर
5. मोहन लाल भगवानजी
6. रानीभाई करसनदास
7. मोहनलाल छगनलाल
8. कान्तीलाल वेलजी
9. इच्छलकर वल्लभजी
10. गोरधनभाई हाजा

दुकान नं०

1. धोबी जेरु चेतनकी
2. जनार्दन भगवान साने
3. उसमान भीकु

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेती जमीन जो माप में 933 वर्गमीटर है जिसका सर्वे नं० 172 प्रविष्टि नं० 229 और नया शहर सर्वे नं० 3235 से 3244 और महानगरपालिका म्युनिसिपल नं० 110 एन वार्ड क्र० 6541 (1), 6741 (2), 6742 और 6743 जो इमारत सहित खेती लेन घाटकोपर, बम्बई में स्थित है।

जे० एम० मेहरा

सक्षम प्राधिकारी

(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 5 बम्बई

तारीख : 30-9-1975

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एन०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 5 बम्बई

बम्बई दिनांक 6 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० अ० ई० 5/26023/74-75—अतः मुझे जे०
एम० मेहरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नं० 27 ई० हिस्सा नं० है, जो देवनार, कुर्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रू से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, बंबई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-2-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० रस्तम अरवेशीर इरानी (अन्तरक)
2. श्री गजदीश अनन्त कामत और श्री कबीनी चिन्त सुवराया प्रभु (अन्तरिती)
3. मेसर्स इस्टर्न स्ट्रीट इण्डस्ट्रीट श्री ए० एन० कामत वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है)
4. श्री एस० ए० कामत (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बृहत्तर बंबई में रजिस्ट्रेशन उपजिला और वांदरा के रजिस्ट्रेशन सब जिले में जिला बम्बई उपनगर में देवनार तालुका कुर्ला पर हस्तीप खाली जमीन का वह भाग अथवा खंड जो कि माप में 5958 वर्ग है। तथा 4982 वर्ग मीटर के समतुल्य है। अथवा उसके समकक्ष वह सर्वेक्षण संख्या 27 ई हिस्सा संख्या 1 की भूमि का एक भाग है और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं।

उत्तर में या उत्तर की ओर उपनगर स्कीम नंबर 11 के सर्वेक्षण संख्या 10 बी० (पार्ट) की भूमि है।

पश्चिम में या पश्चिम की ओर वह भूमि है, जिसका देवनार का सर्वेक्षण संख्या 34 है। दक्षिण और दक्षिण की ओर पश्चिम में 44 फिट चौड़ी सड़क है।

(जे० एम० मेहरा)

सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 5 बम्बई

तारीख : 6-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा-269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 29 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 127/75/76--प्रतः मुझे, के० एस
वेकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 5-8-644 से 646 एविड सर्कल है जो हैदराबाद
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
14-2-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों), और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सय्यद, अिसा बेगम पत्नी मीरहसन अली खान
4-1-12- 36/2 किंग कोटी रोड, हैदराबाद, (अन्तरक)

2. श्री असदुल्ला हिम्माती पुत्र हसन हिम्माती, अवस्यक,
पालक माताश्री खमर जोकार द्वारा 5-9-217 चिरागअली लेन
हैदराबाद (अन्तरिती)

3. किंग सर्कल, होटल द्वारा (1) हसन हिम्माती (2)
मोहमद रजा भागीदार (बहु व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहिसां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त
अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

दुःमजला मकान का एक भाग जिसका नं० 5-8-644 से 646,
क्षेत्रफल 33.445 वर्ग मीटर, एविडरोड, हैदराबाद।

के० एस० वेकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद।

तारीख : 29-9-1975.

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना

पूना 2411004, दिनांक 1 अक्तूबर 1975

निर्देश सं० सी० ए० फेब्रुवारी 75/हवेली (पुना)—

यतः मुझे, एच० एम० श्रीलख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या सी० टी० एस० क्रमांक 1100/1 है तथा जो गुन्टेकर्म (पुना) में स्थित है (और इससे पाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हवेली (पुना) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (190 का 16) के अधीन, तारीख 1-2-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती देवीबाई लाकडंद नानवानी तथा श्रीमती देवीबाई, नाधुरमल खैतानी, सिंधु हाऊस' नानमाओ बेन, फोर्ट बम्बई-1 (अन्तरक)

2. श्री (1) श्री हरीकिसन कवासराम पुरस्वामी (2) श्रीमती रेणुका हरीकिसन पुरवानी 52/4 मारा सीसामरी शेकर सैठ रोड पूना-7 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड खुलि जमीन सब प्लैट क्रमांक सो० टी० एस० 100/2 गुलरेकर्म पुना सब प्लैट क्रमांक क्षेत्रफल 11550 वर्ग फीट (1155 वर्ग मीटर्स) (जैस कि रजिस्ट्र कृत के विलेख क्रमांक 252 1 फेब्रुवारी 198 में सब रजिस्ट्र ह हवेल II के दप्तर में लिखा है)।

एच० एस० श्रीलख

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पूना

तारीख : 1-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

4/14-ए० आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/111/एस० आर०-111/
अप्रैल/265 (10)/75-76/3879—यतः, मुझे, एस० सी०
परोजा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी
को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० प्लॉट नं० 12, ब्लॉक नं० एल० है, जो साउथ
एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के
कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
(1908 का 16) के अधीन 24-4-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधि-
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ
की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. मै० महावीर एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स कं० (प्रा०) लि०,
मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरविन्द कुमार जैन, सुपुत्र श्री के० पी०
जैन, 519/1, जी० टी० रोड, शाहदरा दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री कैलाश चन्द शर्मा तथा नरेश कुमार शर्मा, सुपुत्र श्री
सत्या पाल शर्मा, एफ० 2/16, कृष्ण नगर दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लॉट की भूमि जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग गज
है और प्लॉट नं० 12 तथा ब्लॉक नं० एल० है तथा जोकि निवासी
कालौनी के नाम से न्यू दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II, नई दिल्ली,
में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सड़क

पश्चिम : सर्विस लैन

उत्तर : सड़क

दक्षिण : प्लॉट नं० एल०-11

एस० सी० परोजा

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज—1/2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 24 सितम्बर, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269(ब) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 29 सितम्बर 1975

सं० आर० ए० सी० 128/75-76—यतः मुझे के० एस०
वेकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/ रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० 5-8-644 से 646 आर्बिड सर्कल है, जो हैदराबाद
में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
14-2-1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल के पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम'
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों,
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

15—296G1/75

1. श्रीमती सय्यदुसिसा बेगम पत्नी मीर हसन अली खान
4-1-1236/2, किंग कोटी रोड, हैदराबाद (अन्तरक)

2. श्री हरमत अली हिम्माती पुत्र हसन पाल हिम्माती
अवास्यक चिराग अली लेन पालक मानोम खमरर जोकर द्वारा 5-9-
217 चिराग अली लेन हैदराबाद
(अन्तरिती)

3. किंग सर्कल होटल भागीरा द्वारा (1) हसन हिम्माती
(2) मोहम्मद रजा (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परि-
भाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुःमजले की मध्य भाग नं० 5-8-644 से 646, क्षेत्रफल
33.505 वर्ग मीटर्स, एर्बिड सर्कल हैदराबाद में स्थित है।

के० एस० वेकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज हैदराबाद

तारीख : 29-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक 29 सितम्बर 1975

निर्देश सं० IX/5/-75/74-75---यतः, मुझे, जी० रामनातन
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 7 5, आचारप्पन स्ट्रीट, मद्रास-1 है, जो में स्थित
है (और इससे उपावद्ध अमें और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन 16 फरवरी 1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे
अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय वा किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11), या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अतर्भा :-

(1) डाक्टर एस० टी० कुलसकरन और आदी गुडियातम
(अन्तरक)

(2) श्री नामेन माय हाथीन माय मिलवाला और आदी,
मद्रास, (अन्तरिती)

(3) श्री ए० गुरुसामि रेड्डी और आदी 75, आचारप्पन स्ट्रीट
मद्रास 1 (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,
यदि कोई हो तो

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, आचारप्पन स्ट्रीट डोर सं० 75 में 2 ग्राउन्ड और
644 स्क्वियर फीट की भूमि और मकान (आर० एस० सं० 5550/
भाग) (आदा भाग)।

जी० रामनातन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख 29-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक 29 सितम्बर 1975

निर्देश सं० IX/5/69/74-75—यतः मुझे, जी० रामनातन
आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त
अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम
प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 75, आचारप्पन स्ट्रीट मद्रास है, जो में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता
अधिकारी के कार्यालय, मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1908 (1908 का 16) के अधीन अप्रैल 1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की
उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) डाक्टर एस० डी० कुलसेकरन और आदी गुडियानेम
(अन्तरक)

(2) श्री नोमनमाय हाथीममाय मिलवाला और आदी,
151, बिराडवे, मद्रास । (अन्तरिती)

(3) श्री ए० गुरुसामि रेड्डी और आदी, मद्रास, (वह व्यक्ति
जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया
है ।

अनुसूची

मद्रास, आचारप्पन स्ट्रीट डोर सं०, 85 में 20 ग्राउन्डस और
644 स्क्वयर फीट की भूमि और मकान (आर० एस० सं० 5550/
भाग) (आदा भाग) ।

जी० रामनातन

सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, मद्रास

तारीख : 29-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I 54, रफी अहमद किदवाई रोड
कलकत्ता दिनांक 1 अक्तूबर 1975।

निदेश सं०/हि० आ० 73/सि० 67/वम्मस/74-75--यत।
मुझे, एस० के० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 5/2, (आपिस नं० 2D) है तथा जो रासेल
स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित है (और इससे उभावद्ध अनुसूची में और
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बे
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 13-2-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और
अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक
रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
क लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. (1) कमना आर० आटवानी (2) किरण जि० आदवानी
(3) सारती एस० आदवानी (4) पार्वती और आदवानी (5)
कमल डि० आदवानी (6) जेमी जे० आदवानी (7) कविता एस०
कमलानी (8) सरस्वती आर० आदवानी (9) लिलान के०
आदवानी (10) मोहन दि० झागीयानी (अन्तरक)
2. श्री सुरमा ब्रोड प्राइवेट लि० (अन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभा-
षित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

5/2 रासेल स्ट्रीट, कलकत्ता में अब स्थित आपिस नं० 2 डी०
जिसका फ्लोर स्पेंस 707 वर्ग फिट और उसका साथ का फराक
116 वर्ग फीट।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
54, रफीअहमद किदवाई
रोड, कलकत्ता -16

तारीख : 1-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I 54, रफी अहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-16

दिनांक 1 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० टि० आर० 319/सि०-318/कलकत्ता-1/74-75—

—यतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 22 है तथा जो आबोर्न रोड कलकत्ता स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गर्वमेंट प्रेस नार्थ, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-2-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए :

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कुरबन हुसन हमन आलि (अन्तरक)

2. श्री सालेभाई इउमुफआली (अन्तरिती)

3. सफियाबाई मोलाम आली, (यह व्यक्ति, अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेक्ष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

22 आबोर्न रोड कलकत्ता में अब स्थित, लगभग 4 कट्टा 6 छटांक 12 वर्ग फिट जमीन पर तल्ला मन्जिल का 1/3 हिस्सा।

एस० के० चक्रवर्ती

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I

54, रफीअहमद किदवाई रोड

कलकत्ता-16

तारीख : 1-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली-1

4/14-ए, आसफअली रोड,

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/III/एस० आर०-III/
माचै/207 (2)/75-76/—यतः मुझे, एस० सी० परीजा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० सी०-83 है, जो साउथ एकस्टेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-3-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती जोगिन्दर कोर, पत्नी एस० सोहन सिंह, चडडा निवासी 26/बी०, राजपुर रोड, (यू० पी०) देहरादून। (अन्तरक)

2. श्री ब्रज नाथ, सुपुत्र श्री हरी चन्द (2) राजिन्द्र नाथ (3) रघु नन्दन (4) नारिन्द्र नाथ, सुपुत्र श्री ब्रज नाथ, निवासी 1708, दरीबा कालन, दिल्ली-6 (अन्तरिती)

3. श्री (1) राम सरन दास खन्ना सुपुत्र श्री राम रतन, निवासी सी०-83, एन० डी० एस० सी० पार्ट-II, नई दिल्ली (2) श्री किशन लाल कपूर, सुपुत्र श्री जीवन लाल कपूर निवासी सी०-83, एन० डी० एस० सी० पार्ट-II, दिल्ली-49 (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पंक्तियों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1½ मंजिला होल्ड मकान जोकि प्लॉट नं० सी०-83 पर बना है तथा क्षेत्रफल 500 वर्ग गज है और जोकि निवास कालोनी न्यू दिल्ली साउथ एकस्टेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली के गांव मरुजदि मठ दिल्ली राज्य, दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लॉट नं० सी०-82

पश्चिम : सी०-84

उत्तर : प्लॉट नं० सी०-85 तथा लान है

दक्षिण : सड़क

एस० सी० परीजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 30 सितम्बर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3 दिल्ली-1

4/14-ए, आसफ अली रोड,

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०-III(एस० आर०-III/
फरवरी/ 194 (22) 74-75/4090—यतः, मुझे एस० सी०
परीजा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जे० 22 है, जो मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई
दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
15-2-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया
है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को,
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,
1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री याशोवरधन, सुपुत्र श्री टी० पी० सिंह, (श्री टी० पी०
सिंह के द्वारा जिनके पास संवैधानिक तौर पर पावर आफ एटारनी
है), 13-ए० बी०, पण्डारा रोड, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री जी० पी० श्रीवास्तवा, सुपुत्र स्वर्गीय दीवान श्याम
किशोरी लाल तथा श्रीमती राज रानी श्रीवास्तवा, पत्नी श्री जी०
पी० श्रीवास्तवा, निवासी जे०-22, मालविया नगर एक्सटेंशन,
नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

एक दुमंजिला मकान जो कि लोजहोल्ड प्लॉट की भूमि पर बना
हुआ है जिसका नं० जे०-22 है तथा क्षेत्रफल 418.065 वर्ग मीटर/
500 वर्ग गज है और जोकि निवासी कालौनी मालविया नगर एक्स-
टेंशन, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सड़क

पश्चिम : सर्विस लेन

उत्तर : प्लॉट नं० 23

दक्षिण : प्लॉट नं० 21

एस० सी० परीजा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 4 अक्टूबर 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार

पटना, दिनांक 8 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० III-103/अर्जन/75-76—1237—यतः मुझे ज्योतीन्द्र नाथ निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी म्यु० सर्वे० प्लॉट सं० 65 है तथा जो फ्रेजर रोड, पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-2-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी धाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय धाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती अस्मा जफर हमाम जौजे स्व० जफर उमाम, फ्रेजर रोड, माना कोतवाली, पटना

(अन्तरक)

(2) श्री सरदार जोध सिंह बल्द सरदार सोहन सिंह 'भाया निवास,' गुरु गोबिन्द सिंह घाट गली, थाना चौक पटना सीटी, पटना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन रकबा करीब 2041 वर्गफीट, फ्रेजर रोड, पटना, जिसका म्यु० सं० प्लॉट सं० 65, खे० सं० 84 (पुराना) तथा 346 (नया) सकल सं० 6, बा० सं०-2, सीट सं० 21 ।

ज्योतिन्द्रनाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 4-10-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 4 अक्तूबर 1975

निर्देश सं० III-104/अर्जन/75-76/9232—यतः मुझे,
ज्योतीन्द्र नाथ निरीक्षी

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त
अधिनियम' कहा गया है), की धारा

269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य

25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी म्यू० सर्वे प्लॉट सं० 65 है, तथा जो फ्रेजर रोड, पटना
में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-2-75।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल
का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनु-
सरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-
16-296G1/75

(2) श्रीमती अस्मा जफर इमाम जीजे स्व० जफर इमाम
फ्रेजर रोड, थाना, कोतवाली, पटना (अन्तरक)

(2) श्री सरदार हर भजन सिंह बल्द सरदार सोहन सिंह,
माया निवास" गुरु गोबिन्द सिंह घाट गली, थाना, चौक, पटना सीटी
पटना (अन्तस्ती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जनीन रकबा करीब 2041 वर्गफीट फ्रेजर रोड, पटना जिसका
म्यू० सं० प्लॉट सं० 65, हो० 84 (पुराना) तथा 346 (या),
सर्किल सं० 6, वा० सं० 2, सीटी सं० 22।

ज्योतिन्द्रनाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
बिहार, पटना

तारीख : 4-10-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I पटना

पटना, दिनांक 4 अक्टूबर 1975

निदेश सं० III-105/अर्जन/75-76/123--यतः मुझे
ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० म्यु० सर्वे० प्लॉट सं० 65 है, तथा जो फ्रेजर रोड,
पटा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्री-
करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख,
6-2-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों,
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं
किया गया था या किया जाना चाहिए था,
छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ब
की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) अस्मा जफर इमाम जोजे स्व० जफर इमाम फ्रेजर रोड,
थाना कोतवाली, पटना (अन्तकर)

(2) श्री सरदार संतोख सिंह बन्द सरवार सोहन सिंह 'माया
निवास' गुरु गोविंद सिंह घाट गली, थाना चौक (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

जमीन रकब करीब 2041 वर्ग फीट, फ्रेजर रोड, पटना जिसका
म्यु० सं० प्लॉट सं० 65 टो० सं० 84 (पुराना) तथा 346 (नया)
सकिल सं० 6 बा० सं०-2, साट सं० 21।

ज्योतीन्द्र नाथ

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 4-1-75

मोहर :

प्रकट आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार पटना

पटना, तारीख 4 अक्टूबर 1975

निर्देश सं०-III106/अर्जन/75-76/1240--यतः मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे० प्लॉट सं० 65 है, तथा जो फेजर रोड, पटना में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 4-2-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. अस्मा जफर इमाम जौजे स्व० जफर इमाम, फेजर रोड, थाना कोतवाली, पटना (अन्तरक)
2. श्री सरदार अमृत सिंह वल्द सरदार सोहन सिंह, "माया निवास" गुरु गोबिन्द सिंह घाट गली, थाना चौक, पटना सिटी, पटना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन रकबा करीब 2041 वर्ग फीट, फेजर रोड, पटना, जिसका म्यु० सं० प्लॉट सं० 65, ही० सं०-84 (पुराना) तथा 346 (नया) सैकिल सं०-6, वार्ड सं०-2, सीट सं०-21।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना।

तारीख : 4-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 3 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० टि० आर०-72-सा०-66/काल-1/74-75—
अतः, मुझे एस० के० चक्रवर्ती
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-
रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 28 है तथा जो इलियट रोड, कलकत्ता स्थित है
(और इससे उपरोक्त अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5 गवर्नमेंट प्लेस, नार्थ कलकत्ता में,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 14) के अधीन,
तारीख 1-2-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच
ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वारत उक्त
अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या उक्त
अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957
(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना
चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

- 1 श्री (1) सईद अहमद (2) शाफीक अहमद (अन्तरक)
- 2 श्री डाक्टर सईदक इसलाम (अन्तरिती) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय
में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति सं० 28, इलियट रोड, कलकत्ता में 6 कट्टास, 25 वगे
फुट क्षेत्रफल का खाली जमीन का अविभाजित आधा हिस्सा ।

सी० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I,
54, रफीअहमद क्विदवाई रोड,
कलकत्ता-16 ।

तारीख 3-10-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 3 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० टि० आर०-71/सि०-65/काल-1/74-75—

अतः, मझे एस० के० चक्रवर्ती

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 28 है तथा जो इलियट रोड, कलकत्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, 5-गवर्नमेंट प्लेस नार्थ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री (1) मईद अहमद (2) पाफीक अहमद (अन्तरक)

2. श्री मति मुस्त.ज बेगम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी, अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति सं० 28, इलियट रोड कलकत्ता में 6 अड़िस, 24 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली जमीन का अविभाजित आधा हिस्सा ।

एस० के० चक्रवर्ती

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I

54, रफीकअहमद किदवाई रोड,

कलकत्ता-16 ।

तारीख 3 अक्टूबर, 1975 ।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस्०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 अक्टूबर, 1975

निर्देश सं० 251/ए० सी० कटु० 23/462/6-2/75-76--

अतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० नं० 633/2, जमीन का बांधकाम है, तथा जो सयाजी गंज, जूनी रेलवे स्टेशन के पास, बड़ोदा में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-2-75 और 24-2-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पुरुशोत्तमभाई भाईलाल भाई पटेल, होरमनभाई किशोर भाई के पावर ऑफ एटारनी होलडर सयानी गंज, बड़ोदा (आन्तरक)

(2) श्री टक्कर लीलाधर बशरामभाई रेलवे गोडाउन के सामने, बड़ोदा, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन व बांधकाम जिसका सं० नं० 633/2, (जमीन का माप 1 गुंथा) है और जो सयाजी गंज, जूनी रेलवे स्टेशन के पास, बड़ोदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के फरवरी 1975 के रजिस्ट्रीकृत बिलेखों नं० 1278 और 1279 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख 1 अक्टूबर, 1975
मोहर।

प्रारूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 4 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० 81/75-76/ए०सी०क्यू० :—यतः, मुझे पी०
सत्यनारायण राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यज्ञ विश्वास करने का
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य
25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3140ए है, जो विक्टोरिया रोड, हुबली में स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुबली में डाक्युमेंट नं० 3473
के अंतर्गत 29-3-1975 के दिन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम 1908 (1908 का 16) के अधीन

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के घायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए
सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में
सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु-
सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री बेंकटेश गुरुराज चिवटे, कोप्पीकर रोड, हुबली,
- (2) श्री श्रीनिवास बेंकटेश चिवटे, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर,
कोप्पीकर रोड, हुबली,
- (3) श्री चितरंजन उर्फ शशिकुमार बेंकटेश चिवटे,
कोप्पीकर रोड, हुबली,
- (4) डा० जयप्रकाश बेंकटेश चिवटे, हुबली
- (5) श्री शांताराम बेंकटेश चिवटे, विक्टोरिया रोड
हुबली,

(6) श्री गोविंद बेंकटेश कानडे, ल्यांड लार्ड, विठोबा
गली, हुबली,

(7) वासुदेव गोविंद कानडे एम/जी श्री गोविंद कानडे,
हुबली,

(8) श्री गोपाल नारायण नखाते, 2, राधा मानस,
5वां रोड, क्रूस ईस्ट, सांताबाई-55।

(9) श्री धीरेंद्र नारायण नखाते, गांधी नगर, भांद्रा
ईस्ट, मुंबाई-53।

(10) श्री श्रीनिवास नारायण नखाते, क्याप्टन दीप रोड,
महीम, मुंबाई-16।

(11) श्री राम चन्द्र नारायण नखाते, 3/15, समर्थ नगर,
मुंबाई-70।

(12) डा० विट्टल नारायण नखाते, केन्डा बाय जीपीए
होल्डर श्री एस० एन० नखाते, मुंबाई-16। (अन्तरक)

2. (1) श्री पंडलीकसा तुलजासा हबीब,

(2) श्री मुरारसा तुलजासा हबीब,

(3) श्री रामकृष्णसा तुलजासा हबीब,

(4) श्री लक्ष्मणसा तुलजासा हबीब,

(5) श्री वासुदेवसा तुलजासा हबीब,

(6) श्री दशरथसा तुलजासा, हबीब,

हुबली,

जबलिसाल,
(अन्तरिती)

3. श्रीमती सिछ्वा बसप्पा संगम, फायर उडु मचेंट,
विक्टोरिया रोड, हुबली (वह व्यक्ति

जिसके अधिभोग में संपत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

1817 7/9 चदुर यार्ड क्षेत्र का खुल्ला प्लॉट बार्ड नं० 1,
विक्टोरिया रोड जो आज का श्री जगद्गुरु गंगाधर स्वामी मूहसाबीर
मठ रोड, हुबली में स्थित है। जिसकी सिटि सर्वे नं० 3140ए
है और जिसकी सीमायें :—

पूरब में : श्री के० वी० राजू जी के सि० सं० नं० 3140बी
पश्चिम में : सि० सं० नं० 3144-3269-3272-3273-
3274-3275-3276-3277 और 3279।

उत्तर में : मुनिसीपल रोड,

दक्षिण में : सि० सं० नं० 3294-3294

1 2

पी० सत्यनारायण राव

सक्षम प्राधिकारी

तारीख : 4-10-1975 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
मोहर : अर्जन रेंज धारवाड़।

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
 269-घ (1) के अधीन सूचना
 भारत सरकार
 कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 6 अक्टूबर, 1975

सं० आर० ए० सी०/130/75-76:—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 2-2-1105/26 नई नेलाकुनटा है, जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन को 18-2-1975 ।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति शकुन्तला रंगाचारी पत्नी बी० वी० सी० रंगाचारी नं० 2-2-1105/26 नलाकुनटा के पास अमबरपेट हैदराबाद (अन्तरक)
2. श्रीमति सदीश पती जैनुलाबुदीनकाम नं० 8-2-676/1/A रोड नं० 13 बनजारा टोल हैदराबाद (अन्तरिती)
3. श्री डी० वी० रंगाचारी नं० 2-2-1105/26 नई नलाकुनटा हैदराबाद (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितवद् है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सर्वस्ती विस्तर्त 1874.77 बर्ग-यार्ड घर नं० 2-2-1105/26 'ननदीनी' नई नलाकुनटा, बाग अमबरपेट—हैदराबाद

के० एस० वेंकटरामन
 सक्षम प्राधिकारी,
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
 अर्जन, रेंज हैदराबाद

तारीख 6 अक्टूबर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 6 अक्टूबर 1975

सं० आर० ए० सी० 129/75-76—यतः मुझे के० एस०
वेंकट रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० फ्लेट नं० 6 दीमलगुडा है, जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-2-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—
17-296G/75

1. जी० रनगारेडी भूतपूर्व रेविन्यू सैकरेटरी जमीनदार
बोलकपूर हैदराबाद (अन्तरक) ।

2. श्री अमरजीत सीना पिता-हरबजन सिंह नं० 1-2-593/
31 दीमलगुडा-हैदराबाद (अन्तरिती)

3. संरक्षक-पिता हरबजन सिंह
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति:—जमीन का नं० 6 लेआउट नं० 44/लेआउट/1/71
तारीख 22-11-71 विस्तीन 600 वर्ग यार्ड दीमलगुडा हैदराबाद
गगनमहल गांव में है ।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख 6-10-75

मोहर :

प्रकृष बाई० टी० एन० एस०—

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-अ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 6 सितम्बर 1975

निदेश सं० 188/अक्युजीशन/गाजियाबाद/74-75—अतः
मुझे, एफ० जे० बहादुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा
269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी
सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-2-
1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
बचापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक
है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बनकर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-अ के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा (1) के
धीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फार्निश कम्पनी
लिमिटेड 8-बी जीन्दल ट्रस्ट बिल्डिंग आसफ अली रोड,
नई देहली-1 (अन्तरक)
2. श्री हंस राज डिरारा पुत्र श्री लक्ष्मण दास निवास पलैट
नं० 30 सैन्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर, नई
दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम
के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अबल सम्पत्ति नम्बर 136 बिन्द्रावन साईज कालौनी जो
ग्राम पासोन्दा परगना बोनी, तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ
में स्थित है जो कि 70,000 रु० मूल्य में बेची गई है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 6-9-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 सितम्बर 1975

सं० 13/एक्यूजीशन/आगरा/75-76—यतः मुझे, एफ०
जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
22-2-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित
की गई हैं और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-
नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में,
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कैलाश नाथ पुत्र श्री राम सरन

2. श्रीमती फूलो देवी पत्नी श्री कैलाश नाथ

(3) श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री महेन्द्र प्रसाद सा०
पुनियापाड़ा लोहामण्डी आगरा—(अन्तरक)

2. श्री विजय कुमार जैन पुत्र श्री पदम कुमार जैन सा०,
लोहामण्डी, आगरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि-
नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नम्बर 23/85 पुकियापाड़ा लोहामण्डी
आगरा जो 48,000/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 5-9-1975

मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 सितम्बर 1975

सं० 16/एक्यूजीशन/आगरा/75-76--यतः मुझे, एफ०
जे० बहादुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961
का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया
है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार
मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनु-
सार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 10-3-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के
दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह
विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण
के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम
या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के
अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की
उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, धर्मात्—

1. श्री जय प्रकाश गोस्वामी

(2) श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी पुत्रगण श्री जै राम दास
निवासी कारे का ताल देहली दरवाजा आगरा

(3) श्री लज्जा राम पुत्र गौयल चन्द बजात खुद व
मुख्ताराम श्रीमती इन्द्रावती पत्नी लज्जाराम नि० स्वदेशी बीमा
नगर, आगरा। (अन्तरक)

2. श्री शिवचरन लाल अग्रवाल पुत्र श्री जमनादास अग्रवाल
निवासी कदीमवाडी धौलपुर बारिद हाल 25, इनरसिटी रिंग रोड,
आगरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति अराजी बतादाद 670 वर्ग गज वाले नगण्य
पदी परगना व जिला आगरा जोकि 33500/- रु० मूल्य में हस्ता-
न्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक:—15-9-1975

मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 सितम्बर 1975

सं० 17/एक्यूजीशन/आगरा/75-76/1443—यतः मुझे,
एफ० जे० बहादुर
आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त
अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख
10-3-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप
से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम,
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम,
1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए
था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा
(1) के अधीन निम्नलिखित गणितियों, अर्थात्:—

1. श्री जै प्रकाश गोस्वामी

(2) श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जैरामदास गोस्वामी
नि० कारे का ताल देहली दरवाजा आगरा

(3) श्री लज्जा राम पुत्र श्री गोकलचन्द बजात खुद व
मुख्ताराम श्रीमती इन्द्रावती पत्नी लज्जाराम नि० स्वदेशी बीमा
नगर, आगरा। (अन्तरक)

2. डा० छोटे लाल गर्ग पुत्र श्री जमनादास अग्रवाल निवासी
कदीमवाडी धौलपुर वारिद हाल 25, इनरसिटी रिंग रोड, आगरा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में
दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति अराजी बतावाद 677/4/9 वर्ग गज वाले
नगण्य पदी परगना व जिला आगरा जोकि 33872/- रु० मूल्य
में हस्तान्तरित की गई है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक:—15-9-1975

मोहर:—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर दिनांक, 25 सितम्बर 1975

सं० 15/एक्यूजीशन/आगरा/75-76/1444--अतः मुझे,
एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपादक अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-3-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अन्वय में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जै प्रकाश गोस्वामी

(2) श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी पुत्र जैराम दास नि० कारे का ताल, देहली दरवाजा आगरा

(3) श्री लज्जा राम पुत्र श्री गोकल चन्द बजात खुद व मुख्ताराम श्रीमती इन्द्रावती, पत्नी लज्जाराम नि० स्वदेशी बीमा नगर, आगरा। (अन्तरक)

2. श्रीमती वीनू अग्रवाल पत्नी डा० छोटे लाल जी गर्ग नि० 25 इन्टरमिटी रिग रोड, आगरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आश्रय :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति आराजी बतादाद 675/7/9 वर्ग गज वाले नगकी पदी परगना व जिला आगरा जोकि 33789/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 25 सितम्बर 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 सितम्बर 1975

सठ० 18/एक्यूजीशन/आगरा/75-76/1445—प्रतः मुझे.

एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-3-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री जैप्रकाश गोस्वामी
(2) श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जैराम दास निवासी कारे का ताल, देहली दरवाजा, आगरा।

(3) श्री लज्जा राम पुत्र श्री गोकल चन्द्र बजात खुद व मुक्ताराम श्रीमती इन्द्रावती पत्नी लज्जा राम नि० स्वदेशी वीमा नगर, आगरा।
(अन्तरक)

2. श्री दाऊ दयाल अग्रवाल पुत्र श्री शिवचरन लाल अग्रवाल निवासी 25, इनरसिटी रिंग रोड, आगरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति आराजी बतदाद 673/2/9 वर्ग गज वाले नगण्य पदी परगना व जिला आगरा जोकि 33661/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रोज, कानपुर

दिनांक 15-9-1975

मोहर:—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 सितम्बर 1975

सं० 64/एक्यूजीशन/आगरा/75-76/1446—अतः

मुझे एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ₹० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-3-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम नारायण पुत्र लाला पन्ना लाल वैश्य नि० बारह-पुरा, बेलन गंज, आगरा। (अन्तरक)

2. श्री बतीश चन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद वैश्य निवासी पीपल मंडी, आगरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मकान नं० 31/55 और 31/56 जो राजतपारा आगरा में स्थित है 98,000/-₹० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक :— 16-9-1975

मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय,
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 सितम्बर 1975

सं० 192/एक्यूजीशन/देहरादून/74-75/1447—अतः मुझे,
एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से
अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनु-
सार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 11-2-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से
कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त
अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम',
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया
किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने
में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण
में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1)
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

18-296GI/75

1. श्री पी० एन० कपूर, आई० ए० एस०
(2) श्रीमती कमलेश कपूर
(3) श्री अरविन्द कपूर
(4) श्री अनिल कपूर संयुक्त परिवार के सदस्यगण सा०
सी-1-41-पंडारा पार्क, न्यू देहली-3 (अन्तरक)

2. श्री भूपेन्द्र कोहली 65-जे० राजपुरा रोड, देहरादून
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की
तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से
किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त
अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया
गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नम्बर 65-जे०-राजपुरा रोड, देहरादून
जोकि 1,25,000/- रु० मूल्य में बेचा गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 5-9-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ 1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 16 सितम्बर 1975

सं० 283/एक्यूजीशन/कानपुर/74-75/1348--अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1909 का 16) के अधीन तारीख 21-3-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या 'उक्त अधिनियम या' धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री कमल शुक्ला पुत्र श्री लक्ष्मी रानायन शुक्ला निवासी 128/46, ई० ब्लाक किदवई नगर, कानपुर। (अन्तरक)

2. श्रीमती कमला देवी मिश्रा पत्नी श्री ओमप्रकाश मिश्रा निवासी 152, कस्तावान गली, डासना रोड़, गाजियाबाद। (अन्तरितों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मकान नं० 133/एम/57/जो किदवई नगर, कानपुर में स्थित है, 40,000/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर

दिनांक 16-9-1975

मोहर :-

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

सं० 298/एक्यूजीशन/कानपुर/74-75/1449—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख, 6-4-1975।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजारमूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा-269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती सुलतान जहान पत्नी श्री ताजपीर खान निवासी 112/1, ताज मैनसन बैनाजाबर, कानपुर (अन्तरक)

2. श्रीमती आशा ओबराय पत्नी श्री जी० एस० ओबराय निवासी 7/202 ए०, स्वरूप नगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 112/1, ताज मैनसन, बैनाजाबर कानपुर जो 45,000/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

एफ० जे० बहादुर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक :—19-9-1975

मोहर:—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

सं० 9/एफ्यूजीशन/कासमगंज/74-75/1450—अतः मुझे,
एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनु-
सार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कासमगंज में,
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख 29-4-1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित
नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के
लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में,
मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1).
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती राजरानी विधवा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश

(2) श्री श्रीप्रकाश पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश निवासी मुहल्ला
सजीद जिला फर्रुखाबाद (अन्तरक)

2. (1) श्री अशोक कुमार खुद और प्रतिनिधि

(2) श्री अजय कुमार

(3) श्री अजीत कुमार

(4) अतुल कुमार बालकिसन पुत्रागण श्री राजेन्द्र सिंह
नि० महाजना, शमशाबाद, जिला, फर्रुखाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो
उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस
अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति (खेतिहर जमीन) नम्बर 98 जो मकजना
सह० नायमगंज जिला फर्रुखाबाद में स्थित है; 50,000 रु०
मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

एफ० जे० बहादुर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख :—19-9-1975

मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 सितम्बर 1975

सं० 225/एक्यूजीशन/मुजफ्फरनगर/74-75/1451—

प्रतः मुझे, एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुजफ्फरनगर, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-4-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अल्प आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए :—

प्रतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री हरिकोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर द्वारा मैनेजिंग प्रोपराइटर ला० माधव कुमार स्वर्ण पुत्र ला० हरिराज स्वर्ण निवासी कोठी राम बाग, मुजफ्फरनगर (अन्तरक)

2. श्री डा० वेद भूषण पुत्र डा० आनन्द प्रकाश

(2) श्रीमती शकुन्तला भूषण पत्नी डा० वेद भूषण

(3) श्री बाकें बिहारी

(4) श्री कुन्ज बिहारी पुत्रगण ला० केशोदास निवासी मुजफ्फर नगर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति साथ में जमीन जो सूजड़ू परगना और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है, 1,94,000/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है ।

एफ० जे० बहादुर

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख :—19-9-1975

मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक, 16 अक्टूबर 1975

निर्देश सं० 16/एकयूजीएन/उन्नाव/74-75/1655—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उन्नाव में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-10-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ब की उपधारा (i) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामनाथ भार्गवा (2) श्री जगन्नाथ भार्गवा (3) श्री प्रेमनाथ भार्गवा पुत्रगण श्री छज्जू राम भार्गवा निवासी 17/3 (1) माल रोड कानपुर (अन्तरक)

2. श्री मोहम्मद गुलजार पुत्र श्री नूर मोहम्मद (2) मो० शहीद पुत्र दोस्त मोहम्मद (3) मो० नसीम व मो० बईम (बाबा लिगान) पिसराव श्री नूर मोहम्मद (5) मो० खालिद व (6) मो० साजिद बाबा लिगान पिसराव श्री दोस्त मोहम्मद साहिब मकान नम्बर 7373 मोहल्ला कसाबपुरा, सदर बाजार, देहली-6 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 11 बीघा 5 बिस्वा 10 किस्बंसी भूमिधरी नम्बरी 593, 594 और 595 और 688 है और जो कि ग्राम शेखपुरा जिला उन्नाव में स्थित है, 75,000-रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर,

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 16-10-1975

मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 30th September 1975

No. A-31014/1/75-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission, is pleased to appoint Smt. Indumati Shoerey, a temporary Junior Research Officer (Marathi) in the Language Unit of the Union Public Service Commission to the permanent post of Junior Research Officer (Marathi) in a substantive capacity w.e.f. 1st May 1975.

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
for Secretary,

New Delhi-110011, the 22nd September 1975

No. A. 35017/1/75-Admn.II.—On his selection for appointment, on deputation, Shri H. R. Singh, Section Officer of the office of the A.G. C.R. New Delhi, has been appointed to officiate as Accounts Officer a gazetted Class II post in General Central Service—in the Office of the Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 9th September, 1975 initially for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE,
Under Secretary,
Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADM. REFORMS)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 26th September 1975

F. No. C-8/72-AD-V.—Consequent on his superannuation, Shri C. M. Raghavan, Dy. Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation relinquished charge of the Office of the Dy. Supdt. of Police (Index Section), Central Bureau of Investigation on the afternoon of 12th September 1975 and proceeded on 108 days L.P.R. with effect from 15th September 1975, with permission to prefix 2nd Saturday & Sunday on 13th & 14th September, 1975.

G. L. AGARWAL,
Administrative Officer (E),
Central Bureau of Investigation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE

New Delhi-110001, the 24th September 1975

CORRIGENDUM

No. P. VII-4/74-Estt.—The name at S. No. 15 of this Dte. General Notification of even number dated 17-5-75 may be read as "SHEO NARAIN SINGH" instead of "SHIV NARAIN SINGH".

The 25th September 1975

No. F. 2/33/75-Estt. (CRPF)—The President is pleased to appoint on promotion on ad-hoc basis the following DY SP (Coy. Commdr/ QMs) as Assistant Commandants in the CRP Force until further orders.

2. Their postings and the dates of handing /taking over charge are indicated against each:—

S. No.	Name	Rank & Unit of handing over charge	Date of handing over charge	Rank & Unit of taking over charge	Date of taking over charge
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri B.B. Sharma	DYSP/coy. Comdr. 5th Bn CRPF	17-7-75 AN	Assitt. Comdt. 45th Bn CRPF	24-7-75 FN
2.	Shri Constaintine	DYSP/Coy. Comdr. (Adm) GC CRPF Poona	11-8-75 AN	Asstt. Comdt. 56th Bn. CRPF	26-8-75 FN
3.	Shri M.K. Dhagat	DYSP/Coy. Comdr. 51st Bn CRPF	25-7-75 AN	Asstt. Comdt. 23rd Bn CRPF	26-7-75 AN
4.	Shri S.N. Mathur	Asstt. Principal RTC-I CRPF Barwaha	9-8-75 AN	Asstt. Comdt. 19th Bn CRPF	21-8-75 AN
5.	Shri Ramondra Dixit	Coy. Comdr. DYSP. GC. II CRPF Ajmer	7-8-75 FN	Asstt. Comdt. 14th Bn CRPF	7-8-75 FN
6.	Shri R.K. Vats	DYSP/Coy. Comdr GC CRPF Durgapur	16-8-75 AN	Asstt. Comdt. 34th Bn CRPF	21-8-75 FN
7.	Shri Ram Chander	DYSP/Coy. Comdr. GC CRPF Gauhati	7-8-75 AN	Asstt. Comdt. 55th Bn CRPF	8-8-75 FN
8.	Shri Jit Singh Rajput	DYSP/ Coy. Comdr. 31st Bn CRPF	2-8-75 FN	Asstt. Comdt. 31st Bn CRPF	2-8-75 FN

1	2	3	4	5	6
9.	Shri C.M. Bahuguna	DYSP/ Coy. Comdr. 37th Bn CRPF	19-8-75 AN	Asstt. Comdt. 47th Bn CRPF	22-8-75 AN
10.	Shri Rajender Pal Singh	DYSP/ Coy. Comdr. 9th Bn CRPF	8-8-75 AN	Asstt. Comdt. 48th Bn CRPF	19-8-75 FN
11.	Shri Balwant Singh Azad	DYSP/ Coy. Comdr. 22nd Bn CRPF	13-8-75 AN	Asstt. Comdt. 54th Bn CRPF	24-8-75 FN
12.	Shri Molak Singh Sidhu	DYSP/ Coy. Comdr. 43rd Bn CRPF	2-8-75 FN	Asstt. Comdt. 43rd Bn CRPF	2-8-75 FN
13.	Shri K.D. Pachori	DYSP/ Coy. Comdr. GC CRPF Nagpur	11-8-75 AN	Asstt. Comdt. 29th Bn CRPF	13-8-75 FN
14.	Shri A.N. Srinivasan	Asstt. Principal RTC-II CRPF Avadi.	13-8-75 AN	Asstt. Comdt. 50th Bn CRPF	26-8-75 FN
15.	Shri N. Venkata Swamy	DYSP/ Coy. Comdr. GC CRPF Bhubaneswar	27-8-75 AN	Asstt. Comdt. 57th Bn CRPF	30-8-75 AN
16.	Shri Bhupinder Singh	DYSP/ Coy. Comdr. 20th Bn CRPF	6-8-75 AN	Asstt. Comdt. 2nd Bn CRPF	7-8-75 AN
17.	Shri M.C. Joseph	DYSP/ Coy. Comdr. 10th Bn CRPF	6-8-75 FN	Asstt. Comdt. 10th Bn CRPF	6-8-75 FN
18.	Shri S.B. L. Khare	DYSP/ Coy. Comdr. 33rd Bn CRPF	2-8-75 FN	Asstt. Comdt. 33rd Bn CRPF	2-8-75 FN
19.	Shri N.P. Dutta	DYSP/ Coy. Comdr. 56th Bn CRPF	25-8-75 AN	Asstt. Comdt. 26th Bn CRPF	9-9-75 FN

The 26th September 1975

No. O.II-1022/75-Estt(CRPF).—The Director General, CRPF is pleased to appoint Dr. Sanatan Tripathy as Junior Medical Officer in the CRP Force, on an *ad hoc* basis initially for a period of one year with effect from the forenoon of 30th July, 1975.

2. Dr. Sanatan Tripathy, is posted to 51st Bn., CRPF,

No. D.I-3/74-Estt.—The services of the following officers of CRPF are placed at the disposal of Cabinet Secretariat, Government of India, w.e.f. the dates noted against each :—

1. Shri H. S. Arneja, Dy. S. P. w.e.f. 19-6-1975 AN.
2. Shri M. S. Rathore, Dy. S.P. w.e.f. 30-4-75 AN.
3. Shri P. N. Sharma, Dy. S.P. w.e.f. 30-4-75 AN.
4. Shri S. P. Gairola, Dy. S.P. w.e.f. 15-3-75 AN.

The 1st October 1975

No. O.II-1038/72-Estt.—The President regrets to notify that Shri S. M. Avasthi, Dy. SP of 19th Bn., CRPF expired on 22nd August, 1975.

A. K. BANDYOPADHYAY,
Assistant Director (Adm.)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-1, the 29th September 1975

No. A.21/26/71-Wireless.—Consequent on his reversion to J.C.B., Ministry of Defence, Shri L. D. Gupta relinquished charge of his duties as Extra Assistant Director (Cipher) in the Directorate of Coordination (Police Wireless) on the afternoon of the 19th September, 1975.

C. P. JOSHI,
Director,

Police Telecommunications

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 2nd September 1975

No. E-38013(3)/21/75-Ad.I.—On transfer to Jhansi, Shri M. K. Chopra, Deputy Superintendent of Police/Intelligence Wing, Central Industrial Security Force, New Delhi relinquished the charge of the post with effect from

the forenoon of 1st September, 1975 and assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force, Bharat Heavy Electrical Limited, Jhansi with effect from the forenoon of the same date, while on Camp at New Delhi.

The 3rd September 1975

No. E-38013(3)/11/75-Ad.I.—On transfer to Hardwar, Shri R. K. Bhagat, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Bharat Heavy Electrical Ltd. (Heavy Electrical Equipment Plant), Hardwar with Hqrs. at New Delhi with effect from the forenoon of 1st September, 1975.

The 22nd September 1975

No. E-38013(3)/8/75-Ad.I.—On transfer to Khetri, Shri B. D. Bahukhandi, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Bokaro Steel Limited, Bokaro Steel City with effect from the forenoon of 1st September, 1975.

No. E-38013(2)/11/75-Ad.I.—On transfer to Hardwar, Lt. Col. G. C. S. Bisht, Commandant Central Industrial Security Force, Unit, Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi, relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 1st September, 1975.

No. E-31013(2)/5/74-Ad.I.—The President is pleased to appoint Inspector R. B. Kuruvilla, to officiate as Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Salem with effect from the forenoon of 24th August, 1975, until further orders, who assumed the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/18/75-Ad.I.—On transfer from Jharia, Shri B. Dalai, assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Paradip Port Trust, with Headquarters at Paradip with effect from the forenoon of 23rd August 1975.

No. E-31013(2)/5/74-Ad.I.—The President is pleased to appoint Inspector H. C. Panwar, to officiate as Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Heavy Engineering Corporation, Ranchi with effect from the forenoon of 8th July 1975, until further orders who assumed the charge of the post with effect from the same date.

The 25th September 1975

No. E-16014(3)/17/75-Ad.I.—On the expiry of his term of deputation in the Central Industrial Security Force, Shri S. S. Bhavanandam, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Madras Port Trust, Madras, with effect from the afternoon of 31st August 1975.

L. S. BISHT
Inspector General

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INDIA SECURITY PRESS

Nasik Road, the 22nd September 1975

No. 990/(A).—In continuation of Notification Nos. 3650/(a) dated 29th March 1975 and 26/(A) dated 5th April 1975 the *ad hoc* appointments of the following officers as Deputy Control Officers are extended up to 31st December 1975 on the same terms and conditions or till the posts are filled on a regular basis whichever is earlier.

1. Shri F. H. Kolhapurwala
 2. Shri S. V. Chandwadkar
 3. Shri H. K. Shejwal
- 19—296GI/75

4. Shri N. C. Sengupta—Proforma Promotion
5. Shri B. S. Patil
6. Shri V. Y. Deshpande
7. Shri J. C. Lodh
8. Shri T. N. Valvi

No. 991/(A).—In continuation of Notification No. 3595/(A) dated 18th March 1975 the *ad hoc* appointments of the following officers as Deputy Control Officers are extended upto 31st December 1975 on the same terms and conditions or till the posts are filled on a regular basis whichever is earlier.

1. Shri D. M. Patki
2. Shri V. Srinivasan
3. Shri A. J. Mauskar
4. Shri B. M. Mandal

No. 992/(A).—In continuation of Notification No. 3596/(A) dated 18th March 1975 the *ad hoc* appointments of Shri D. P. Jambotkar as Stamp Supply Officer is extended up to 31st December 1975 on the same terms and conditions or till the post is filled on a regular basis whichever is earlier.

V. J. JOSHI,
General Manager

BANK NOTE PRESS

Dewas (MP), the 27th September 1975

F. No. BNP/E/Spl/27.—The *ad hoc* appointment on deputation of Shri R. A. Misra, Section Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs as Junior Administrative Officer in the Bank Note Press, Dewas is continued on the same terms and conditions w.e.f. 1st July 1975 to 31st December 1975 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

D. C. MUKHERJEA,
General Manager

SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad (MP), the 22nd September 1975

PF. No. Pd-7/1438/7046.—Shri Joy Peter, Foreman (Production) is appointed on an *ad hoc* basis to officiate as Assistant Works Manager in the Scale of Rs. 840—40—1000—FB—40—1200 *vide* Shri A. K. Ghosh Assistant Works Manager proceeding on leave for 30 days from 24th September 1975 to 23rd October 1975.

S. R. PATHAK,
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE ACCOUNTS GENERAL ANDHRA PRADESH-I

Hyderabad-500004, the 1st October 1975

No. E.S.I/8-312/74-75/264.—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Shri B. Natesha Rao, a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—FB—40—1200 with effect from 26th September 1975 F.N. until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors.

S. R. MUKERJEE,
Senior Deputy Accountant General, (Admn.)
Andhra Pradesh, Hyderabad

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 25th September 1975

No. 40011 (2)/75-AN-A— (1) The undermentioned Accounts Officers will be transferred to the pension establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation.

Sl. No.	Name with Roster No.	Grade	Date from which transferred to pension establishment	Organisation
	S/Shri			
1.	Suraj Parkash S. Malik (P/1)	Permanent Accounts Officer	31-10-75	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.
2.	M.K. Majumdar (P/98)	Permanent Accounts Officer	30-11-75	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.
3.	V.S. Dhande (P/215)	Permanent Accounts Officer	30-11-75	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.
4.	N. Sivasubramanian (P/228)	Permanent Accounts Officer	30-11-75	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.
5.	Peshori Lal Gohri (P/356)	Permanent Accounts Officer	31-12-75	Controller of Defence Accounts (Air-Force) Dehradun.

(2) Shri D. Janaki Rama Sarma, Permanent Accounts Officer (Roster No. P/214), serving in the organisation of the Controller of Defence Accounts (Other Ranks) North, Meerut has been compulsorily retired from service with effect from the forenoon of 8th August, 1975.

(3) The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of Shri A. K. Subramanyam, Permanent Accounts Officer (Roster No. P/429) in the organisation of the Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona on 7th August, 1975.

Shri A.K. Subramanyam is accordingly struck off the strength of the department from the forenoon of 8th August, 1975.

(4) The following is added as para (3) to this office Notification No.40011(2)/74-AN-A dated 24th July 1975:—

“Shri K. Ramaswami, Permanent Accounts Officer (Roster No. P/213) has been granted earned leave preparatory to retirement for 79 days from 14th July, 1975 to 30th September, 1975.”

(5) The following is added as para (4) to this office notification No. 40011(2)/74-AN-A-dated 27th June, 1975:—

“Shri P.M. Shidhaye, Officiating Accounts Officer (Roster No. O/268) has been granted leave as under:—
E.L. 21 days from 5-7-75 to 25-7-75
H.P.L. for 63 days from 26-7-75 to 26-9-75.
E.O.L. for 4 days from 27-9-75 to 30-9-75.”

S. K. SUNDARAM,
Addl. Controller General of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDINANCE FACTORIES SERVICE
DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

New Delhi, the 27th September 1975

No. 38/75/G.—On attaining the age of superannuation, Shri H. Dutt, offg. Sr. D.A.D.G.O.F. (Substantive Officer Supervisor) retired from service with effect from 31st July, 1975 (A.N.).

M. P. R. PILLAI,
Asstt. Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE
OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER
OF IMPORTS & EXPORTS

Madras-600001, the 12th August 1975

ORDER OF CANCELLATION

SUB. :—Cancellation of Customs copy of Import Licence No. P/E/0210637/C/XX/50/M/37-38 dated 12-3-74 issued to M/s. G. V. K. C. & Co., Madras-c.

No. ITC/DUP.COPY/2/A.M.76/E.I.—M/s. G. V. K. C. and Co., No. 123, Nyniappa Naick Street, Madras-3 were granted a licence No. P/E/0210637/C/XX/50/M/37-38 dated 12-3-1974 for Rs. 1797/- (Rupees One thousand seven hundred and ninetyseven only) by this office for import of Drugs and Medicines—S. No. 87-109/IV for the period April 1973—March 1974.

The firm have now applied for grant of duplicate copy of the Customs Copy of the above licence on the ground that the original has been lost/misplaced without having been registered with any Customs authorities and utilised at all.

I am satisfied that the original Customs copy of the licence has been misplaced/lost and I directed that a duplicate copy of the Customs Copy of the licence should be issued to the applicant firm. The original of the Customs copy of the above licence is hereby cancelled to the extent of its face value (i.e. Rs. 1797/-).

This is reported for your information.

I. A. RASHID,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports

DEPARTMENT OF SUPPLY
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 27th September 1975

No. A-1/1(242).—Shri Maihman Singh permanent Assistant Director (Grade II) and officiating as Deputy Director in the Directorate of Supplies (Textiles), Bombay retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st August, 1975 on attaining the age of superannuation (58 years).

K. L. KOHLI,
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES)
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700013, the 24th September 1975

No. 6387/B/10/71/19A.—Shri Sujit Roy is appointed as Press Operator in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—880—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 25th August 1975, until further orders.

The 27th September 1975

No. 6420/B2251(SH)/19B.—Shri Salan Horo, Senior Drilling Assistant, Geological Survey of India is appointed as Driller in the Geological Survey of India on pay according

to rules in the scale of pay Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 (Revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 30th July, 1975, until further orders.

V. K. S. VARADAN,
Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 25th September 1975

No. A-19011(150)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri M. K. Ghosh to the post of Assistant Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 8th September, 1975 until further orders.

The 1st October 1975

No. A-19011(180)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri R. R. Gopal to the post of Assistant Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 17th September, 1975 until further orders.

A. K. RAGHAVACHARY,
Sr. Administration Officer,
for Controller

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA
INDIAN MUSEUM

Calcutta-700013, the 8th September 1975

No. 4-112/75/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Vidyannand Singh to a post of Asstt. Keeper at North Western Station of this Survey, Dehra Dun, on a temporary basis, with effect from the forenoon of 26th August 1975, until further orders.

C. T. THOMAS,
Sr. Administrative Officer

DIRECTOR GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi-110001, the 27th September 1975

No. 4(98)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Kumari V. Sekhose as Programme Executive, All India Radio, Kohima in a temporary capacity with effect from the 11th August, 1975 and until further orders.

The 29th September 1975

No. 5(60)/70-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Juttur Rahman, Transmission Executive, Radio Kashmir, Jammu, as Programme Executive, All India Radio, Dibrugarh in a temporary capacity with effect from the 28th June, 1975 and until further orders.

No. 4(121)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Syed Mohd. Musanna Rizvi as Programme Executive, All India Radio, Bhopal in a temporary capacity with effect from the 6th September, 1975 and until further orders.

The 30th September 1975

No. 4(120)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Lewang Pinchoo Yolmo as Programme Executive, All India Radio, Kurseong in a temporary capacity with effect from the 28th August, 1975 and until further orders.

SHANTI LAL,
Deputy Director of Administration,
for Director General

New Delhi-110001, the 29th September 1975

No. 2/6/62-SII.—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri M. G. Victor, Accountant, High Power Transmitter, All India Radio, Avadi, Madras to officiate as Administrative Officer, All India Radio, Calicut on *ad-hoc* basis with effect from 22nd September, 1975 (F.N.).

I. S. PANDHI,
Section Officer
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION &
BROADCASTING
DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL
PUBLICITY

New Delhi-110001, the 22nd September 1975

No. 2/10/56-Est.I.—The Director of Advertising & Visual Publicity hereby appoints Shri Sia Ram Goel, Senior Accountant to officiate as Accounts Officer in this Directorate with effect from the 4th September, 1975 *vice* Shri J. N. Gupta granted leave.

R. L. JAIN,
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 4th September 1975

CORRIGENDUM

No. 28-8/74-Admn.-I.—In paragraph 2 of this Directorate's Notification No. 28-8/74-Admn.-I., dated the 19th August, 1975, for afternoon of 16th July, 1975 read afternoon of 15th July, 1975.

The 27th September 1975

No. 9-14/75-Admn.-I.—While proceeding on Study leave, Shrimati Asha Sharma, relinquished charge of the post of Tutor, Rajkumari Amrit Kaur, College of Nursing, New Delhi, with effect from the afternoon of the 16th July, 1975.

The 1st October 1975

No. 12-1/75-Admn.-I.—The President is pleased to appoint Shri K. Sunderraj a permanent Grade IV Officer of the Central Secretariat Service as Section Officer in the Directorate General of Health Services in an officiating capacity with effect from the forenoon of 8th September, 1975 and until further orders.

S. P. JINDAL,
Deputy Director Administration

New Delhi, the 26th September 1975

F. No. 16-42/74-SI.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri R. S. Pange, Officiating Stores Superintendent, Government Medical Stores, Depot, Bombay as Assistant Depot Manager, in the Medical Stores Depot Bombay on temporary basis with effect from 22nd July, 1975 (forenoon) until further orders.

SANGAT SINGH,
Deputy Director Administration (Stores)

New Delhi, the 29th September 1975

No. 41-34/75-D.—The Director General of Health Services hereby appoints Shri Alapati Krishna Dev as Drugs Inspector in the South Zone office of the Central Drugs Standard Con-

trol Organisation of the Director General of Health Services at Madras in temporary capacity with effect from the forenoon of the 27th August, 1975 and until further orders.

S. S. GOTHOSKAR,
Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Bombay-400085, the 20th September 1975

No. 5/1/75/Est.V/485.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints Chintamani Vasudeo Pandse, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer in a temporary capacity in this Research Centre for the period 7th April 1975 to 23rd May 1975.

V. P. CHOPRA,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
TARAPUR ATOMIC POWER STATION

Tarapur, the 25th September 1975

No. TAPS/ADM/735-A.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the *ad hoc* appointments of S/Shri P. Ganapathy, V. K. P. Pillai and R. R. Bandooni as Assistant Personnel Officer for a further period of three months with effect from October 1, 1975 or till regular incumbents are appointed whichever dates are earlier.

K. V. SETHUMADHAN
Chief Administrative Officer.

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500 016, the 24th September 1975

No. AMD/1/18/75-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division, hereby appoints Shri Shaik Yusuf as Scientific Officer/Engineer (Geology) Grade 'SB' in an officiating capacity in the Atomic Mineral Division, with effect from the forenoon of 19th September, 1975 until further orders.

S. RANGANATHAN,
Sr. Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL
AVIATION

New Delhi, the 29th September 1975

No. A-32013/4/75EA.—The President hereby promotes Shri M. M. Joglekar to the grade of Deputy Director/Controller of Aerodromes in the Air Routes & Aerodromes Organisation of the Civil Aviation Department, in the scale of Rs. 1500—60—1800, in an officiating capacity with effect from the 19th September, 1975 and until further orders. Shri Joglekar is posted as Regional Controller of Aerodromes, Bombay Region, Bombay Airport, Bombay.

V. V. JOHRI,
Asstt Director of Administration

COLLECTORATE OF CUSTOMS CENTRAL EXCISE

Allahabad, the 23rd August 1975

No. 132/1975.—Shri Abdul Hamid, officiating Inspector (S.G.) of Central Excise, posted in the Central Excise Collectorate Headquarters Office, Allahabad, appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class II, until further orders, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, *vide* this office Establishment Order No. 212/1975, dated 30-7-1975, issued under Endorsement C. No. II(3)2-Et/75/28088, dated 30-7-1975, assumed charge of the Office of the Superintendent of Central Excise, Class II, in the Central Excise Collectorate Hdqrs. Office, Allahabad on 1st August, 1975 (forenoon).

The 10th September 1975

NARCOTICS DEPARTMENT

Gwalior-474006, the 27th September 1975

No. 104/1975.—Shri Param Hans Singh Chauhan, confirmed Inspector (S.G.) of Central Excise, posted in the Central Excise Division I Kanpur, in the Central Excise Collectorate, Kanpur and appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class II, until further orders, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, *vide* this Office Establishment Order No. 212/1975, dated 30-7-1975—issued under Endorsement C. No. II(3)2-Et/75/28088, dated 31-7-1975, took over charge as Superintendent, Central Excise, Class II at Barhni Customs in the Customs Division, Gorakhpur, on 21st August, 1975 (forenoon), relieving Shri A. C. Srivastava, Superintendent, Class II of the additional charge.

No. 33.—On his transfer from Nagpur Collectorate, Shri R. R. Tiloo, Superintendent of Central Excise Class II, took over charge as District Opium Officer, Shamgarh in the forenoon of the 10th September, 1975 relieving Shri Muneshwar Ram of the additional charge.

No. 34.—Shri D. D. Sharma, Intelligence Officer, Narcotics Intelligence Bureau, Narcotics Commissioner's Office, Gwalior is allowed to cross the efficiency bar at the stage of Rs. 810 in the scale of 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 1st March, 1974.

A. SHANKER,
Narcotics Commissioner of India

No. 105/1975.—Shri Hukam Chand Arora, confirmed Inspector (S.G.) of Central Excise, posted at Mathura in the Central Excise Collectorate, Kanpur, and appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class II, until further orders, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, *vide* this Office Establishment Order No. 212/1975 dated 30-7-1975, issued under Endorsement C. No. II(3)2-Et/75/28088, dated 31-7-1975, took over charge as Superintendent, Central Excise, Class II, Chandausi, in the Central Excise Integrated Divisional Office, Rampur, on 26th August, 1975 (forenoon), relieving Shri R. D. Singh, Superintendent, Central Excise, Class II of the additional charge.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER AND
ADMINISTRATOR, PORT OF NEW TUTICORIN

Tuticorin-4, the 10th September 1975

No. A.39013(1)/75/Admn/4499.—Chief Engineer & Administrator, Port of New Tuticorin is pleased to accept the resignation tendered by Shri M. Nagu, of the post of Assistant Engineer (Civil) with effect from the afternoon of the 27th August, 1975

D. I. PAUL,
Chief Engineer and Administrator

The 18th September 1975

No. 108/1975.—Shri Gur Narain Srivastava, confirmed Inspector (S.G.) of Central Excise, posted in the Central Excise Integrated Divisional Office, Lucknow, appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class II, until further orders, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, *vide* this Office Establishment Order No. 212/1975, dated 30-7-1975—issued under Endorsement C. No. II(3)2-Et/75/28088, dated 31-7-1975, assumed charge of the office of the Superintendent, Central Excise, Class II in the Central Excise Integrated Divisional Office, Mirzapur on 29th August, 1975 (forenoon).

DEPARTMENT OF SPACE

INDIAN SCIENTIFIC SATELLITE PROJECT
INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

Peenya-562140, the 15th September 1975

No. 020/3(061)/75.—Director, Vikram Sarabhai Space Centre is pleased to appoint on promotion the following personnel to the posts mentioned against each, with effect from 1st July 1975 (FN) on a basic pay of Rs. 650 per month in the revised scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 in the Indian Scientific Satellite Project of the Indian Space Research Organisation.

1. Shri Puttaiah—Engineer SB.
2. Shri K. N. Madhavan—Engineer SB.
3. Shri T. S. Narayanan—Engineer SB.

H. B. DASS,
Collector,
Central Excise, Allahabad

V. V. S. CHOWDARY,
Administrative Officer

No. 111/1975.—In pursuance of this office Establishment Order No. 224/1975, dated 13-8-1975, issued under Endorsement C. No. II(3)168-Confl/75/2605-2612, dated 13-8-1975 Shri S. P. Singh officiating Superintendent, Central Excise, Class II handed over charge of the Office of the Superintendent (Central Excise), Central Excise Collectorate Hdqrs. Office, Allahabad, to Shri B. S. Singh, Superintendent, Central Excise, Class II, Central Excise Collectorate, Hdqrs. Office, Allahabad, on 13th August, 1975 (afternoon) and retired from service from the forenoon of the 14th August, 1975.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-110022, the 22nd September 1975

C. No. II(7)5-ET/75/9452.—In pursuance of this Office Estt. Order No. 271/75 dated the 4th July, 1975, issued under Endorsement C. No. II(3)43-ET/73-3402-27 dated 5th July, 1975, appointing Sri K. D. Ghose Hazra, Inspector (S.G.) Central Excise and Customs Collectorate, Patna to officiate as Superintendent Class-II in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 plus usual allowances as admissible under rules, Sri Ghose Hazra assumed charge as Superintendent (Tech) Central Excise, Muzaffarpur, in the afternoon on 11th July, 1975.

No. A-19012/550/75-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri H. S. Jayaram, Head Draftsman to officiate as an Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engineering) in the Central Water Commission on a purely temporary and *ad-hoc* basis in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 18th July, 1975 (forenoon) until further orders.

Shri Jayaram took over charge of the office of Assistant Engineer in the Southern Gauging Sub-Division Bangalore under Central Discharge Circle of Central Water Commission, with effect from the above date and time.

H. N. SAHU,
Collector
Central Excise, Patna.

K. P. B. MENON,
Under Secretary,
Central Water Commission

Patna, the 26th September 1975

New Delhi, the 23rd September 1975

No. A-31014/2/74-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint the following officers to the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Mathematics Group) in the Central Water Commission, in a substantive capacity, with effect from the dates shown against each :—

S. No.	Name of Officer	Date from which appointed substantively
1.	Late Shri G. D. Khatavkar	7th August 1972
2.	Dr. K. N. Katyal	7th August 1972

No. A-31014/2/74-Adm. V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint the following officers to the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Physics Group) in the Central Water Commission, in a substantive capacity, with effect from the dates shown against each :—

S. No.	Name of Officer	Date from which appointed substantively
1.	Shri M. N. Ramakrishna Rao	13th January 1971
2.	Shri Krishna Nand	22nd October 1971
3.	Shri P. J. Desai	22nd October 1971
4.	Shri M. Bardhan	22nd October 1971
5.	Shri G. V. Rao	1st January 1974

No. A-31014/2/74-Adm. V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint the following officers to the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Chemistry Group) in the Central Water Commission, in a substantive capacity, with effect from the dates shown against each :—

S. No.	Name of Officer	Date from which appointed substantively
1.	Shri J. T. Karira	4th October 1967
2.	Shri D. K. Sundd	22nd October 1971
3.	Shri S. K. Sharma	26th October 1971
4.	Shri G. D. Gupta	30th December 1971

K. P. B. MENON
Under Secretary
for Chairman, C.W. Commission.

CENTRAL RAILWAY

Bombay, the 17th September 1975

No. HPB/220/G/I/AC.—The following Officers are confirmed in Senior Scale from the dates

shown against each, in the Indian Railway Accounts Service of this Railway.

S. No.	Name	Date of confirmation in Senior Scale.	
		Provisional	Final
1.	Shri P. N. Maini	7-11-67	15-11-68
2.	Shri P. V. Kawthalkar	15-11-68	27-6-69
3.	Shri B. M. Sathye	27-6-69	12-7-71
4.	Shri S. S. Goyal	5-10-70	1-4-75
5.	Shri K. Viswanathan	1-4-75	—

CENTRAL RAILWAY

Bombay, the 25th September 1975

No. HPB/220/G/11/3.—Shri N. Natarajan is confirmed in Class II Service of the Stores Department of this Railway with effect from 13th December 1971.

B. D. MEHRA
General Manager

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Beacon Fertilizers Private Limited*

Ahmedabad, the 30th September 1975

No 1868/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Beacon Fertilizers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

J. G. GATHA,
Registrar of Companies,
Gujarat

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ORDER No. 308

Calcutta, the 26th July 1975

F.No.2E/35/59-60—The undermentioned officer has been confirmed as ITO, Cl. II with effect from the date noted against his name :—

S. No.	Name of the I.T.O. with present posting	Date of Confirmation	Post against which confirmed
1.	Sri Raghunath Sahai [Now working in the Directorate of Organisation and Management Services (Income Tax) New Delhi as Addl. Asstt. Director]	22-2-71	Against one of the permanent posts sanctioned vide G.I.M.F (D.R.&I) letter dt. 31-5-1973.

II. Date of Confirmation is liable to change, if found necessary.

K. SRINIVASAN,
Commissioner of Income-tax
West Bengal-I

FORM ITNS—

(1) Shri Darshan Singh Advocate, Jullundur, Chanan Singh r/o Bajrah, Teh. Jullundur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Mohinder Kaur w/o Jaswant Singh s/o Bhagat Singh & Smt. Salpal Kaur w/o Sulakhan Singh r/o Jagan, Teh. Jullundur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).(4) Any other person interested in the land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Jullundur, the 24th September 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Ref. No. AP/1287.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Vill. Jagan. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on Dec. 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. 8284 of Dec. 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 26-2-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 23rd September 1975

Ref. No. KPL/152/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/4th Kothi, situated at Kapurthala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala in January 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely:—

- (1) Shri Surinder Nath s/o R. B. Durga Dass r/o Kapurthala GA Shri Dapinder Nath,
(Transferor)
- (2) Shri Jarnail Singh s/o Shri Bagga Singh s/o Shri Harnam Singh r/o Kapurthala.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).
- (4) Any other person interested in the property,
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th Kothi as mentioned in the Registered Deed No. 2371 of January, 1975 of the Registering Authority, Kapurthala.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 23-9-1975

Seal:—

FORM ITNS

(2) Shri Manjit Singh s/o Shri Bagga Singh s/o Shri Harnam Singh r/o Kapurthala.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Amritsar, the 23rd September 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. KPL/153/74-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1/4th Kothi, situated at Kapurthala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala in January 1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

1/4th Kothi as mentioned in the Registered Deed No. 2540 of January, 1975 of the Registering Authority, Kapurthala.

V. R. SAGAR,

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Surinder Nath s/o R. B. Durga Dass r/o Kapurthala GA Shri Dapinder Nath.
(Transferor)

Date : 23-9-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 23rd September 1975

Ref. No. KPL/154/74-75.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Kothi, situated at Kapurthala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala in January 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Surinder Nath s/o R. B. Durga Dass r/o Kapurthala GA Shri Dapinder Nath. (Transferor)
- (2) Shri Jarnail Singh, s/o Shri Bagga Singh Shri Major Singh s/o Shri Bagga Singh, & Shri Manjit Singh s/o Shri Bagga Singh r/o Kapurthala. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property).
- (4) Any other person interested in the property. Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter VVA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi as mentioned in the Registered Deeds Nos. 2371 & 2540 of January, 1975 and 139 and 217 of April, 1975 of the Registering Authority, Kapurthala.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 23-9-1975

Seal :—

FORM ITNS ———

(1) Shri Shashikumar Devidas Shroff, Excel Estate, S. V. Road, Goregaon (West), Bombay-400062.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) The Principal Officer,
Transpek Industry Pvt. Ltd.
635, Kalali Road, Atlodra, Baroda.
(Transferor)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

* (3) The Principal Officer,
Kalali Chemicals Pvt. Ltd.,
635, Kalali Road, Atlodra, Baroda,
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Ahmedabad-380009 the 20th September 1975

Ref. No. P.R. No. 250 Acq.23-463/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. New Sur. No. 633 admeasuring 20207 sq. yds. land situated at Kalali Road, Atlodra Road, Baroda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 5-2-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said, immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that the piece or parcel of land situated on Kalali Road, Atlodra, Baroda being a portion of New S. No. 633 and admeasuring 4-28 gunthas i.e. 20207 sq. yds. or fully described in sale deed registered under No. 927 of February, 1975 by registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 20-9-1975.

Seal :—

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, 60/61, ERANDAWANA
KARVE ROAD, POONA-411004,

Poona-411004, the 26th September 1975

Ref. No. C.A.5/Thana/March'75/234/75-76.—Whereas, I, H. S. AULAKH, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 21-H, No. 4 (Part) and B (Part) situated at Chandani, Thana, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S. R. Thana on March, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Lilabai Narayan Chaudhary,
R.B.III 3-6, Railway Quarters, Kolwada, Bombay.
(Transferor)
- (2) M/s. Rajpal Builders, Solanki Sadan, Shivaji path, Thana.
(Transferee)
- (3) (1) Shri P. G. Borde,
(2) Shri B. P. Tanpure,
(3) Shri N. N. Supre,
(4) Shri D. M. Khopde,
(5) Shri S. L. Salkar.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (a) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Municipal Council S. No. 21, H. No. 4 (Part), S. No. 21 No. B (Part) admeasuring 808 sq. yds.—Freehold open plot with building at Mauje Chendani, District Thana.

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 26-9-1975.

Seal :

FORM ITNS

(2) Shri D. J. Kandhari S/o late Sri Jeevandas J. Kandhari, No. 15, Viswanatha Rao Road, Madhavanagar, Bangalore.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1), OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 24th September 1975

C.R. No. 62/4024/74-75/Acq./ (B).—Whereas, I. R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Portion of vacant site corporation No. 163 1st Main Road, situated at Seshadripuram, Bangalore (Division No. 7)

(and more fully described in the

Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Gandhinagar Bangalore, Doc. No. 5441//74-75 on 19-3-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri D. Mariyappa S/o late Sri V. Devappa No. 3, Kilarly Road, Bangalore-2.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered in Document No. 5441/74-75 dated 19-3-1975)
Portion of vacant site corporation No. 163, 1st Main Road, Seshadripuram, Bangalore (Division No. 7).

Site area :—

East to West 30' }
North to South 55' } 1650 sq. ft.

Boundries :—

North : IVth Cross, Nagappa Street.
South : Sri D. Nanjappa's plot No. 162,
East : The remaining portion of land No. 163, retained by the vendor.
West : Sri N. Rajagopal's land.

R. KRISHNAMOORTHY,

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 24th September 1975

C.R. No. 62/3832/74-75/Acq./B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. All that piece and parcel of vacant land being a building site bearing Corporation No. 59/8 (formerly known as Plot No. 7, Charles Campbell Road, which was a portion of No. 59/1 which again was formerly a portion of Survey No. 113, Doddigunda, situated at Charles Campbell Road, (Extension), Cox Town, Civil Station, Bangalore, in corporation Division No. 49, (and more fully described in the schedule annexed here to), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivaji Nagar, Bangalore Doc. No. 4117/74-75 on 12-3-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Syed Ibrahim, S/o. late Syed Mahamood Saheb, Retired L.I.C. employee 67, Williams Town, Bangalore.

(Transferor)

(2) (1) K. A. Mathew S/o. Rev. Fr. K. M. Abraham, Christian, Chartered Accountant.

(2) Smt. Essie Mathew, (D/o. M. I. Koreth), W/o. K. A. Mathew,

Both presently residing at No. 89, D'Costa Square, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered in Document No. 4117/74-75 dated 12-3-75)
All that piece and parcel of vacant land being a building site bearing Corporation No. 59/8 (formerly known as Plot No. 7, Charles Campbell Road, which was a portion of No. 59/1 which again was formerly a portion of Survey No. 113 Doddigunta), situate on Charles Campbell Road (Extension), Cox Town, Civil Station, Bangalore, in Corporation Division No. 49.

Site area :—

North to South : 44' }
East to West : 65' } 2860 sq. ft.

Boundries :—

- North : By portion of 59/1-B and 59-1 Charles Campbell Road (Extension).
South : By Road leading to Bypanahally now also known as Campbell Road, (Extension).
East : By a portion of site No. 59/1 Charles Campbell Road (Extension) which is being used as a private road or passage.
West : By site No. 59/1-D later numbered as 59/7 Charles Campbell Road (Extension), belonging to Janab Noor Ahmed Hussain Sahib.

R. KRISHNAMOORTHY,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 24-9-75

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 27th September 1975

Ref. No. R.A.C. No. 126/75-76.—Whereas, I, **K. S. VEN-
KATARAMAN**,

being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5-2-992, situated at Nizamshahi Road, Risala Abdullah, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 4-2-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act, to the following persons, namely :—

- (1) (1) Shri Rameshchander S/o. Jagannath Darak,
No. 14-6-220,
(2) Prakash Chand Darak S/o Jagannath Darak,
H. No. 14-6-220,
Nagarkhana, Begumbazar, Hyderabad.
(Transferor)
- (2) (1) Mohd Abdul Hafeez S/o Abdul Gaffoor,
(2) Mohd Abdul Aziz S/o Abdul Gaffoor,
D. No. 5-2-992,
Nizamshahi Road, Risala Abdulla, Hyderabad.
(Transferee)
- (4) (1) Taradevi W/o Santosh Goel,
(2) Vikas Goel S/o Subhash Goel, minor represent-
ed by guardian, father Subhash Goel S/o.
Matedin Goel, both are residing at 3-4-886/1,
Barkathpura Hyderabad.
(Person whom the undersigned knows to be interest-
ed in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said pro-
perty may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as
are defined in Chapter XXXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mulgi bearing No. 5-2-992 Nizamshahi Road, Risala Abdul-
lah, Hyderabad having an area of 322.50 sq. yards bounded
by :

North : Neighbour's stone shop;
South : Lane to Risala Abdulla;
East : Neighbour's house;
West : Nizamshahi Road and footpath.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 27-9-1975.

Seal :

FORM ITNS—

- (1) (1) Smt. Lalitaben Yaswantraï Modi
 (2) Shri Pankaj Yaswantraï Modi, "Krishna Kunj",
 Plot No. 2174, Atabhai Road, Bhavnagar.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Shri Harishkumar Savdas Patel, Kuber Patel Sheri, Kanbiwad, Bhavnagar.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
 HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
 AHMEDABAD-380009

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Ahmedabad-380009, the 25th September 1975

Ref. No. Acq. 23-I-660 (229)/5-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 2275-A situated at Krishnanagar, Bhavnagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhavnagar on 24-2-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1125 sq. yds situated at Plot No. 2275-A, Krishnanagar, Bhavnagar and as fully described in the sale deed.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the 'Said Act', to the following persons namely :—

Date : 25-9-1975.

Seal :

J. KATHURIA,
 Competent Authority,
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
 Acquisition Range, Ahmedabad.

FORM ITNS—

(1) Shri Trambaklal Manishanker Acharya, "Chaitanya", 13, Jagnath Plot, Rajkot.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Bhupatlal Khimji Ladva, Professor, Mahila
College, Kalawad Rd., Rajkot.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said
property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM
HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;

Ahmedabad-380009, the 25th September 1975

(b) by any other person interested in the said immov-
able property within 45 days from the date of the
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. Acq.23-I-661(230)/16-6/75-76.—Whereas, I, J. Kathuria, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 626, Plot No. 23 situated at Government Servant Society Near A.G.'s Office, Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 305.7 sq. yds. bearing Survey No. 626, Plot No. 23, situated at Govt. Servants Society, Behind A.G.'s office, Rajkot and as fully described in the sale-deed.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

21—296/75

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I Ahmedabad

Date : 25-9-1975

Seal :

FORM ITNS-----

(1) Shri Jiva Devshi Mavani, Charakhadi Falia, Dhoraji.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Saurashtra Fats and Proteins Industries, through its partner—Shri Maganlal Natubhai, Station Road, Dhoraji.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM
HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ahmedabad-380009, the 25th September 1975

Ref. No. Acq.23-I-610(231)/16-1/75-76.—Whereas, I, J. Kathuria, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 245, Plot No. 3 situated Near Patidar Oil Cake Industries, Dhoraji, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Dhoraji in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 16698-0 sq. yds. bearing Survey No. 245, Plot No. 3, situated near Patidar Oil Cake Industries, Dhoraji and as fully described in the sale deed.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 25-9-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Ratilal Premchandbhai Shah, Danapith, Rajkot.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Jayantilal Maganlalbhai Vakharia, Shakti Saurashtra Corporation, Garedia Kuva Road, Rajkot.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM
HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 25th September 1975

Ref. No. Acq.23-I-517(232)/16-6/74-75.—Whereas, I, J. Kathuria, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 391-A situated at Street No. 17, Panchnath Plot, Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 13-2-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A two storeyed building standing on land admeasuring 123-6 sq. yds. situated at Street No. 17, Panchnath Plot, Rajkot and fully described in the sale deed.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I Ahmedabad.

Date : 25-9-1975

Seal :

FORM ITNS

- (1) Shri Abdullabhai Mulla Kalimuddin. (Transferor)
- (2) Shri Salehbhai Adamali & Ors. (Transferee)
- (3) Tenants. (Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I AAYAKAR BHAVAN, M.
KARVE MARG, BOMBAY-400020.

Bombay-400 020, the 22nd September 1975

Ref. No. ARI/1091-3/Feb. 75.—Whereas, I, N. K. Shastri, the Inspecting Asst. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range-I, Bombay, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. C.S. 3527 of Bhuleshwar Division situated at Khoja Street, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sub-Registry, Bombay on 17-2-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL that piece or parcel of land or ground of quit and ground Rent Tenure with the messuage tenement or dwelling house ranges or Chawl of Building with thirteen compartments standing thereon containing by admeasurement 361 sq. yds. equivalent to 301 sq. meters or thereabouts according to the City Survey Register situate at Khoja Street near Null Bazar without the Fort of Bombay in the Registration District and Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban and bounded as follows : that is to say, on or towards the EAST by a Sweeper's passage and beyond that by the property of Yahyabhai Ebrahim and others, on or towards the WEST by Bara Imam Road, on or towards the NORTH by Khoja Street Cross Lane and on or towards the SOUTH by Erskine Road and assessed by the Collector of Municipal, Assessment formerly under No. 85 and at present under C Ward Nos. 7232 and 7233 and old Street Nos. 1-21 and 23-27 and at present Street Nos. 235 to 239 and 241-259 Khoja Street and Nos. 166-168 Erskine Road and Registered in the Books of the Collector of Land Revenue under old Nos. 2846 and 2887 New Nos. 9828 and A/9828, Old Survey No. 2838 New Survey No. 1/4714 and 2/4714 Cadastral Survey No. 3527 and 3527 part of Bhuleshwar Division fronting on the East side of Khoja Street aforesaid.

N. K. SHASTRI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Bombay.

Date: 22-9-1975

Seal:

FORM ITNS

(1) Dr. K. M. Selvaraj, Associate Professor, Veterinary College, No. 1, Miller's Road, Madras-10.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Dr. H. John Kirkpatrick, 'Arkdale', Kattu Road, Kowdiar PO, Trivandrum-695003.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1,
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Madras-6, the 26th September 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. P. IX/6/11/74-75.—Whereas, I, G. Ramanathan, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 4773 situated at Aringnar Anna Nagar Batch IV Scheme Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at West Madras on February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Land measuring 1 ground and 1116 sq. ft. and house under construction at Plot No. 4773, Aringnar Anna Nagar, Batch IV Scheme, R.S. No. 13/5 part and 4 part of Naduvakkarai village, Madras.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 26-9-1975.

Seal :

FORM ITNS

- (1) (1) Mohammdi Begum, and
 (2) Mohd. Masihuddin Farooqui, H. No. 16-8-242
 at Kala Dera, Malakpet, Hyderabad.
 (Transferor)

NOTICE U/S 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT,
 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
 SIONER OF INCOME-TAX,
 ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 25th September 1975

Ref. No. RAC. No. 114/75-76.—Whereas, I, K. S. VEN-
 KATARAMAN,
 being the competent authority under section 269B of the
 Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as
 the 'said Act') have reason
 to believe that the immovable property, having a fair
 market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
 Portion No. 16-8-242 situated at Kala Dera, Malakpet,
 Hyderabad,
 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has
 been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
 1908) in the office of the Registering Officer at
 Azampura, Hyderabad on 16-2-1975,
 for an apparent consideration which is less than the fair
 market value of the aforesaid property and I have reason
 to believe that the fair market value of the property as afore-
 said exceeds the apparent consideration therefor by more
 than fifteen per cent of such apparent consideration and that
 the consideration for such transfer as agreed to between the
 parties has not been truly stated in the said instrument of
 transfer with the object of —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act,
 in respect of any income arising from the transfer;
 and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or
 any moneys or other assets which have not
 been or which ought to be disclosed by the
 transferee for the purposes of the Indian
 income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the
 said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said
 Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
 aforesaid property by the issue of this notice under sub-
 section (1) of section 269D of the said Act to the following
 persons, namely :—

- (2) Sri Ismail H. Aziz, R/o Begum Bazar, Hyderabad.
 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property
 may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period
 of 45 days from the date of publication of this
 notice in the Official Gazette or a period of
 30 days from the service of notice on the res-
 pective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said
 immovable property within 45 days from the
 date of the publication of this notice in the
 Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
 are defined in Chapter XXA of the said Act
 shall, have the same meaning as given in
 that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : All the western rear portion M. No. 16-8-242,
 with relative first floor containing area : 378 sq. yds. at
 Kala Dera, Malakpet, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
 Competent Authority,
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
 Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 25-9-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE U/S 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT,
1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad. the 25th September 1975

Ref. No. RAC. No. 125/75-76.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 16-9-682 situated at Old Malakpet, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Azampura, Hyderabad on 27-2-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Rayani Vimalamba W/o Sobhanadari Chowdry, R/o Rajendranagar, Gudivada, P.O. Krishna District.
(Transferor)
- (2) (1) Dr. Kosuri Narayana Rao,
(2) Dr. Kosuri Lalitha,
(3) Dr. V. Hemakumar.
Through their G.P.A. Sri K. Veera Swamy, Naidu H. No. 3-4-876 at Barkatpura Hyderabad.
(Transferee)
- (3) Director of Agriculture Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
(Person in occupation of the property).
- (4) Director of Agriculture Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : All that premises bearing H. No. 16-9-682 excluding about 1000 sq. yds. already sold by Vendor to G. T. Rao, P. S. Rao and others and including the buildings at Old Malakpet, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 25-9-1975.

Seal :

FORM ITNS

- (1) (1) Smt. Jaswanti Pramodchandrabhai Shah,
(2) Shri Pramodchandra V. Shah, "Khera Nivas"
Diwan para-2, Rajkot.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) Shree Anil Manufacturers,
Opp : Central Bus Station, Dhebharbhai Road,
Rajkot.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 26th September 1975

Ref. No. Acq. 23-I-567(233)/16-6/74-75.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 373, Plot No. 24, situated at Karsan Bava Land, Ward No. 7 Mavdi Plot, Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajkot in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property standing on land admeasuring 706 sq. yards bearing Survey No. 373, Plot No. 24, Karsan Bava Land Ward No. 7, situated at Mavdi Plot, Rajkot and bounded as under:—

- East : 30' wide road.
West : Plot No. 23.
North : 25' wide road.
South : Plot No. 60.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 26-9-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 24th September 1975

C.R. No. 62/3735/74-75/Acq./ (B).—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. The property being Agricultural land, measuring—

As.	Gs.
0—	21
0—	32
0—	04
0—	04
0—	06
0—	05
<hr/>	
1—	32

in S. Nos. 29, 46/12, 27, 28, 38 and 41 situated at Bilekahalli, Begur Hobli, Bangalore South Taluk, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore South Taluk, Doc. No. 8360/74-75 on 1-2-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

22—296GI/75

(1) Shri L. S. Ramalingaiah, S/o Patel Sidde Gouda, No. 13, South End, Basavanagudi, Bangalore-City. (Transferor)

(2) Shri C. Govindappa, S/o Chikkanna Sarakki Arahara, Bangalore South. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered in Document No. 8360/74-75 dated 1-2-75)
The property being agricultural land measuring

As.	Gs.
0—	21
0—	32
0—	04
0—	04
0—	06
0—	05

Total 1—32

in S. Nos. 29, 46/12, 27, 28, 38 and 41 situated at Bilekahalli, Begur Hobli, Bangalore South Taluk.

Boundaries:—

East: Vendee's land

West: Road

North: Govt. Channal

South: Arasappa's land.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date: 24-9-1975.

Seal:

FORM ITNS.—

(1) Smt. B. S. Savitri Devi, D/o. H. Subbaiah, No. 12/6, Model Street, Basavangudi, Bangalore City.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri C. Govindappa S/o Sri Chikkanna, Sarakki Agrahara, Bangalore South Taluk.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 24th September 1975

C.R. No. 62/3736/74-75/Acq./ (B).—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY,

being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. The property being agricultural land measuring—

A. G.
1—21
2—00

3—21

in S. No. 39 and 70 situated at Bilekahalli, Begur Hobli, Bangalore South Taluk,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Bangalore South Taluk

Doc. No. 8361/74-75 on 1-2-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
-
-
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered in Document No. 8361/74-75 dated 1-2-75)

The property being agricultural land measuring—

A. G.
1—21
2—00

3—21

in S. No. 39 and 70 situated at Bilekahalli, Begur Hobli, Bangalore South Taluk,

Boundaries :—

East : Hanumanta God's Manya Land.

West : Vendee's land in S. No. 38.

North : Govt. Channal.

South : Govt. Channal.

R. KRISHNAMOORTHY,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Bangalore,

Date : 24-9-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 20th September 1975

No. C.R. No. 63/3796/74-75/Acq./ (B).—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Vacant site No. 499, Corporation of the City of Bangalore No. 499/6 in 9th Cross Road (Dn. No. 45) Raja Mahal Vilas Extension, situated at Bangalore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar, Bangalore, Doc. No. 4835/74-75 on 5-2-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) A. Sreeramaiah,
S/o late Shri Ananajppa,
Jakkur Village,
Yelahanka Hobli,
Bangalore North Taluk.

(Transferor)

(2) Smt. Nirmala Shankar,
W/o Shri G. M. Bhavani Shankar,
H. No. 30, "Amba Prasanna",
Nehru Circle,
Bangalore-30.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered in Document No. 4835/74-75 dated 5-2-75)

Vacant site No. 499, Corporation of the City of Bangalore No. 499/6 in 9th Cross Road (Dn. No. 45) Raja Mahal Vilas Extension, Bangalore.

Site area E. W. $\frac{75' + 76'}{2}$ x N. S. 48' = 3628 sq. ft.

Boundaries :

N : Site No. 498.
S : Site No. 500
W : Site No. 513
E : Road

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 20-9-75.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 24th September 1975

No. C.R. No. 62/3849/74-75/Acq./ (B).—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Factory land bearing No. 54, with buildings, Borewell and garden trees, Industrial Suburb, Rajajinagar, Yeshwanthapur, Bangalore-22, situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajajinagar, Bangalore, Doc. No. 6692/74-75, on 14-2-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) I. Shri V. R. Subramanyam s/o Sri V. Raju Mudaliar, 2. T. Jayaprakash s/o Sri C. Phanikachalam, both residing at "Raja Snow Rajamma Nilayam" No. 209, S. C. Road, Seshadripuram, Bangalore-20, Partners of M/s Manyam and Company. (Transferor)
- (2) M/s. Votion Chemicals and Distilleries Limited, registered Office at No. 114, Mowbrays road, Madras-18, represented herein by its Managing Director, Sri P. Govindaswamy. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered in Document No. 6692/74-75, dated 14-2-75)

Factory land bearing site No. 54, Industrial Suburb, Rajajinagar, Yeshwanthapur, Bangalore-560022, with buildings, Borewell and well maintained garden with trees.

Site area : E.W. 195'
N.S. $\frac{251' + 154'}{2} = 4486$ sq. yards.

Boundaries :

East by 60' Road.
West by Site No. 41.
North by site No. 53.
South by 60' road.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 24-9-75.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 25th September 1975

Ref. No. RAC. No. 113/75-76.—Whereas, I, K. S. Venkataraman, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion H. No. 16-8-242 at Kaladera, situated at Malakpet, (and more fully described in the Schedule annexed here to) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Azampura, Hyd, on 18-2-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons namely :—

- (1) I. Mohammadi Begum, W/o Late Hakeem Mohammed Moizuddin Farooqui, C/o Karkhana Zinda Tilasmath, Amberpet, Hyderabad. 2. Mohammed Mas-huddin Farooqui, S/o late Hakeem Mohammed, Moiduddin, Farooqui, C/o Kharkana Zindha Tilasmath, Amberpet, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri Ibrahim H. Aziz, R/o Begum Bazar, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : All the Northern Middle portion of the House bearing Mu. No. 16-8-242, with relative first floor Area : 230 Sq. Yards, at Kalu Dera, Malakpet, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 25-9-1975.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 25th September 1975

Ref. No. RAC. No. 111/75-76.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion of H. No. 16-8-242, situated at Kala Dera, Malakpet, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Azampura, on 12-2-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mohammadi Begum, W/o late Hakeem Mohammed Moizuddin Farooqui, C/o Karkhana Zinda Tilasmath Amberpet, Hyderabad. 2, Mohd. Mashuddin Farooqui, C/o Karkhana Zinda Tilasmath, Amberpet, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Waheed, S/o H. Z. Azced, H. No. 16-8-242 at Kala Dera, Malakpet, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Portion of the house bearing No. 16-8-242 at Kala Dera, Malakpet, Hyderabad, containing.

Area : 354 Sq. Yds. of 1st Floor.

East : Road.

West : Vendor's property.

North : Vendor's property.

South : Neighbour's building No. 16-8-243.

K. S. VENKATARAMAN

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 25-9-1975.

Seal :

FORM ITNS

(1) Sri Didugu Chenna Keshava Rao, H. No. 11-33 at Miryalguda, Nalgonda-Dist.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Karnati Sunnanda W/o Chandrasekhar, H. No. 26-17 at Miryalguda, Nalgonda-Dist.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Hyderabad, the 25th September 1975

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. RAC. No. 110/75-76.—Whereas, I, K. S. Venkataraman, being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 887, situated at Miryalguda, Nalgonda, Dist. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Miryalguda, on 1-2-1975.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

Property : Dry land of the extent of Acs. 5.1936 Sq. Yrds. or Hec. 2.18 in Survey No. 887 situated at Miryalguda, Nalgonda. Dist.

East : land in S. No. 886.

South : Land of Sri Pusala Mattiah.

North : Road. to Nandi Pahad.

West : Land of Sri Sakinala Appiah and Sri Aluviah Biksham Kotiah.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 25-9-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Rajiv Jindal, 8A, Alipore Road, Calcutta.
(Transferor)NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-
TAX ACT 1961 (43 OF 1961)(2) Smt. Sushila Devi Modi, 55, Canning St., Calcutta.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 23rd September 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned.(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice in
the Official Gazette or a period of 30 days from the
service of notice on the respective persons, whichever
period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publica-
tion of this notice in the Official Gazette.Ref. No. AC-28/R-II/Cal/75-76.—Whereas, I, R. V.
LALMAWIA,being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearingNo. 8A, situated at Alipore Road, Calcutta,
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer atRegistrar of Assurances, Calcutta, on 11-1-75,
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor
by more than fifteen per cent of such apparent considera-
tion and that the consideration for such transfer as agreed
to between the parties has not been truly stated in the said
instrument of transfer with the object of:—EXPLANATION : The terms and expressions used herein
as are defined in Chapter XXA of the
said Act, shall have the same meaning
as given in that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the lia-
bility of the transferor to pay tax under the
said Act in respect of any income arising from the
the transfer; and/or(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Three bed-roomed flat, measuring 1878 sq. ft., on 2nd floor
of 8A, Alipore Road, Calcutta.R. V. LALMAWIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Calcutta.Now, therefore, in pursuance of section 269C of the
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition
of the aforesaid property by the issue of this notice
under sub-section (1) of Section 269D of the said Act
to the following persons, namely :—

Date : 23-9-75.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, POONA-411004

Poona-411 004, the 23rd September 1975

Ref. No. C.A.5/Haveli-I/April'75/231.—Whereas, I, H. S. AULAKH, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 1086, F.P. No. 466, Bhamburda, situated at Shivajinagar (Poona), (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Haveli-I, Poona on 17-4-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

23—296GI/75

- (1) Real Estate Development Corporation, Poona, Partners : (1) Premchand Ratanchand Bafna, 122, Bhavani peth, Poona (2) Suresh Chaturbhuj Zamwar, "srikripa Housing Society, Poona-5. (3) Smt. Indumati Punamchand Parmar, 10, Gita Housing Society, Poona-1. (4) Suresh Ratanchand Bafna, 122, Bhavani peth, Poona. (5) Kiran Ratanchand Bafna 122, Bhavani peth, Poona.

(Transferor)

- (2) Smt. Sarita Prataprao Shirke, 1205, Shivajinagar, Apte Road, Poona-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Final plot No. 466, C.S. No. 1086, with structure. Area of plot H.O.-49.16 R, i.e., 52896 sq. ft. partly freehold and partly lease hold structure about 4000 sq. ft.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1025 dated 17-4-75 registered in the office of the sub-registrar, Haveli-I, Poona).

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 23-9-75.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 25th September 1975

Ref. No. RAC. No. 112/75-76.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion No. 16-8-242, situated at Kaladera Malakpet, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Azampura, Hyderabad, on 15-2-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Mohammadi Begum, W/o late Hakeem Mohd Moizuddin Farooqui, C/o Karkhana Zinda Tilasmath, Amberpet, Hyderabad. 2. Mohd. Mashuddin Farooqui, C/o Karkhana Zinda Tilasmath, Amberpet, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Abdul Rahim, H. No. 16-2-242 at Kafa Dera, Malakpet, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : All the front Norther Eastern portion of House No. 16-8-242 at Kala Dera with relative first floor containing an area of 318 Sq. Yds. Bounded; at Kala Dera, Malakpet, Hyderabad.

East : Road.

West : Vendor's property.

North : Vendor's property.

South : Neighbouring building No. 16-8-242.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 25-9-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Krishna Woollen Mills Pvt. Ltd., 166, D. N. Road, Bombay-1.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Bombay Card Clothing Co. Ltd., Chitalsar, Manpada, S.V. Road, Thana.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-POONA-411004

Poona-411 004, the 23rd September 1975

Ref. No. C.A. 5/Bombay(Thana)/April'75/232.—Whereas, I, H. S. AULAKH, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Gat No. 18, Chitalsar, Manpada, Thana situated at Thana, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Bombay, on 2-4-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Gat No. 18, Village Chitalsar, Manpada, G.B. Road, Thana.

Area : 4000 sq. yds.=3344 sq. mtrs.—Freehold.

(Property as mentioned in the sale deed Regd. No. 1451/74 dated 2-4-75 registered in the office of the S.R. Bombay).

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 23-9-75.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, POONA-411004

Poona-411 004, the 23rd September 1975

Ref. No. C.A.5/Dhulia/April'75/233.—Whereas, I,
H. S. AULAKH,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agricultural land S. No. 47/1 & 47/2, Mahindale situated at Mahindale, Dhulia, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Dhulia, on 2-4-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Maruti Narayan Yeole, Navbudha Moglai.
2. Shri Shankar Narayan Yeole, Navbudha Moglai.
3. Shri Omkar Narayan Yeole, Navbudha Moglai.
(Transferor)
- (2) 1. Shri Sakharam Narayan Sawant,
Suyog Bldg., Deopur, Dist. Dhulia.
2. Shri Punja Deola Patil,
Prof. Colony, plot No. C, Deopur, Dist. Dhulia.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

- S. No. 47/1—Area : 1 H—86 R.
S. No. 47/2—Area : 5 H—91 R.
at Mouje Mahindale, Tal & Dist., Dhulia.

(Property as mentioned in the Sale deed registered under No. 711 dated 2-4-75 in the office of the sub-registrar, Dhulia.)

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad.

Date : 23-9-75.
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Surjit Singh s/o Shri Jai Singh, r/o A(8)-C, Kalkaji, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Parvesh Chadha, w/o Shri Mangal Sain Chadha r/o 47/15, East Patel Nagar, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4-A/14,
ASAF ALI ROAD, 3RD FLOOR, NEW DELHI

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

New Delhi, the 22nd September 1975

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. IAC/Acq.II/875/75-76/3723.—Whereas, I, C. V. Gupte, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 47/26, situated at East Patel Nagar, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, at Delhi, on 27-5-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house constructed on a regular corner plot measuring 200 sq. yds. situated at 47/26, East Patel Nagar, New Delhi and bounded as under :—

North : Tenement No. 27.
South : Road.
East : Road.
West : Lane.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, New Delhi.

Date : 22-9-75.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-POONA-411004

Poona-411 004, the 18th September 1975

Ref. No. C.A. 5/Bombay/(Thana)/April'75/229/75-76.—
Whereas, I, H. S. AULAKH,
being the competent authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. S. No. 143 (Part) & 152 (Part), Navgarh, Dist.
Thana situated at Navgarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S. R. Bombay, on 2-4-1975,
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration and
that the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly
stated in the said instrument of transfer with the object
of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act
or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said
Act, I here-
by initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid
property by the issue of this notice under sub-section (1)
of Section 269D of the said Act, to the following persons,
namely:—

- (1) M/s Dalmia Sales Corporation, 5, New Marine
Lines, Churchgate Chambers, Bombay.
Partners: (1) Hanuman Prasad Pralhadrail Dalmia,
(2) Purshottam, Dwarkadas Saraf,
(3) Sushilkumar Hanuman Prasad Dalmia.
(Transferor)
- (2) M/s Amar Industries (Bombay) 15, Bada Mandir,
Gaushala, 3rd Bhoiwada, Bombay-2.
Partners: (1) Balmukund Mangaldas Shah.
(2) Amratlal Vadilal Shah.
(3) Lalbhai Amratlal Shah.
(4) Tarlika Budhalal Shah.
(5) Ramilaben Balmukund Shah.
(6) Vinod Hargovindas Patel,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said prop-
erty may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a
period of 45 days from the date of publication
of this notice in the Official Gazette or a period
of 30 days from the service of notice on the
respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXA of the
said Act shall have the same meaning as
given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold Plot Survey Nos. 143 (Part) and 152 (Part) at
Village Navgarh, Dist. Thana.

Area: 3891 Sq. yds. i.e. 3253.35 sq. mtrs.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 738
dated 2-4-75, in the Registering Authority, Bombay).

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date: 18-9-1975.
Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, POONA-411004

Poona-411 004, the 18th September 1975

Ref. No. C.A. 5/Bombay(Thana)/April'75-76/230.—
Whereas, I, H. S. AULAKH,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 143(Part) & 152 (Part), Navgarh, Dist. Thana, situated at Sub. Registrar, Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sub. Registrar, Bombay, on 2-4-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11) of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons namely:—

- (1) M/s Dalmia Sales Corporation, 5, New Marine Lines, Churchgate Chambers, Bombay.
Partners : (1) Hanuman Prasad Pralhadrai Dalmia.
(2) Purshottam, Dwarkadas Saraf.
(3) Sushilkumar Hanuman Prasad Dalmia.
(Transferor)

- (2) M/s Amar Industries, (Bombay) 15, Bada Mandir, Gaushala, 3rd Bhoiwada, Bombay-2.
Partners : (1) Balmukund Mangaldas Shah.
(2) Amratlal Vadilal Shah.
(3) Lalbhai Amratilal Shah.
(4) Tarlika Budhalal Shah.
(5) Ramilaben Balmukund Shah.
(6) Vinod Hargovindas Patel.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold plot Survey Nos. 143 (Part) and 152 (Part) at Village, Navgarh, Dist. Thana.
Area : 3,990 Sq. yds. i.e., 3336.12. sq. mtrs.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 737 dated 2-4-1975, in the Registering Authority, Bombay).

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 18-9-1975.
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Du'jal Chandra Paul.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Rekharani Saha.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA.Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Calcutta, the 16th September 1975

Ref. No. AC-223/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I, A. K. Batabyal, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 43, Block-A, situated at Bangur Avenue, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Cossipore, Dum Dum on 4-2-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period express later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 Cottahs 4 Chittacks 20 sft. with a two storied building at Plot No. 43, Block-A, Bangur Avenue, P. S. Dum Dum, Calcutta.

A. K. BATABYAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta.

Date : 16-9-1975.

Seal : —

FORM ITNS—

(1) Shri Genda Lal Agrawal S/o Sri Ram Chandra Agrawal At Fraser Road, P.S.-Kotwali, Patna.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Manorama Devi W/o Sri Govind Prasad Gupta and Sri Kailash Prasad Gupta S/o Sri Nanak Chand Agrawal At-Fraser Road, P.S.-Kotwali, Patna.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, PATNA.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Patna, the 15th September 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. III-103/Acq./75-76/1069.—Whereas, I, J. Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H. No. 239/343 B. W. No. 2, Cr. No. 6, situated at Fraser Road, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Patna, on 22-1-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

24—296GI/75

THE SCHEDULE

Building at Fraser Road, Patna, bearing tanzi No. 673 H. No. 239/343 B, Cr. No.-6, W. No.-2, which is fully described in document dated 22-1-75.

J. NATH,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Patna, Bihar.

Date : 15-9-75.

Seal :

FORM ITNS ———

(1) Shri Pritam Singh S/o Rana S/o Utam,
Rurka Khurd,
(Transferor).NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Nirmal Singh S/o Banta,
R/o Mujafarpur, Teh. Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR(4) Any other person interested in land,
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Jullundur, the 24th September 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Ref. No. AP-1235.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule situated at Mujafarpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in January, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are confined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. Deed No. 8799 of January, 1975 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS

1) Shri Bhag Ram S/o Rakha Ram,
2. Harnam Singh,
35 Sant Nagar, Ladowali Road, Jullundur.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Giani Finance Co. (P) Ltd., Jullundur,
through Shri Jagjit Singh Managing Director, Lado-
wali Road, Jullundur.

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

(4) Any other person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Jullundur, the 24th September 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Ref. No. AP 1265.—Whereas, I, Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As pr schedule attached situated at Jullundur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in January, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXXA of
the said Act shall have the same meaning
as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. Deed No. 8918 of January, 1975 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act,' to the following persons namely :—

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP 1266.—Whereas, I, Ravinder Kumar being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per schedule attached situated at Kabli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Nakodar in March, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Dcepo Sh. Dalipa on Tahli near Shankar Teh, Nakodar.

(2) Sh. Balbir Singh Surinder Singh Joginder Singh SS/o Kartar Singh village Tahli Teh, Nakodar.

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in land.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. Deed No. 2765 of March, 1975 of the Registering Authority, Nakodar.

RAVINDER KUMAR.

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP 1271.—Whereas, I, Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at New Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in January/April 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri K. D. Shori s/o Sh. Tirath Ram,
121, New Jawahar Nagar, Jullundur. (Transferor)
- (2) Sh. Gian Singh s/o Sh. Kartar Singh
Shrimati Kuldip Kaur w/o Sh. Gian Singh,
(Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the building.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. Deed No. 8791 of January, 1975, No. 985 of 4/75 and No. 879 of 4/75 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM I.T.N.S. _____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP 1272.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule situated at New Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in April, 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri K. D. Shori s/o Sh. Tjrath Ram,
121, New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferor)
- (2) Smt. Kuldip Kaur w/o Sh. Gian Singh,
121, New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferee)
- (3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in the building.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. Deed No. 879 of 4/75 of S.R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri K. D. Shori s/o Sh. Tirath Ram,
121, New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sh. Gian Singh s/o Shri Kartar Singh,
121, New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP 1273.—Whereas, I, Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule situated at New Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

Jullundur in January, 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the building.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. Decd No. 8791 of Jan. 1975 of S.R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri K. D. Shori s/o Sh. Tirath Ram,
121, New Jawahar Nagar, Jullundur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS-
SIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP 1274.—Whereas, I, Ravinder Kumar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at New Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in April, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(2) Sh. Gian Singh & Smt. Kuldip Kaur,
121, New Jawahar Nagar, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the building.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Building as mentioned in Regd. Deed No. 985 of 4/75 of S.R. Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP 1276.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per Schedule situated at Vandala (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Jullundur in January, 1975,

Nov. & Dec. 1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C. of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

25—296GI/75

(1) Sh. Dilbagh Singh s/o Udham Singh of 300-L Model Town, Jullundur, G.A. of Kuljit Singh s/o Dilbagh Singh, & Amarjit Kaur Kamaljit Kaur d/o Dilbagh Singh, Paramjit Kaur & Amarjit Kaur Ds/o Dilbagh Singh of 300-L, Model Town, Jullundur.

(Transferor)

(2) S.I. Bircks & Builders Pvt. Ltd. Chowk Deepak Cinema, Eudhiana.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the land.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. deed No. of 8923 of January, 1975 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Taro d/o Dalip s/o Guza
r/o Tahli.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP 1279.—Whereas, I, Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As mentioned in the enclosed form of schedule situated at Tahli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Nakodar in January, 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been

truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(2) S/Sh. Balwir Singh, Surinder Singh, Joginder Singh ss/o Kartar Singh r/o Vill. Tahli.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Regd. Deed No. 2346 of January 1975 of the Registering Authority, Nakodar.

RAVINDER KUMAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Smt. Darshan Kaur w/o Sh. Bhagat Singh
of Vill. Bajrah, Teh. Jullundur,
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Mohinder Kaur w/o Jaswant Singh
& Surjit Kaur w/o Sulakhan Singh
of Vill. Yagan,
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

(4) Any other person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Jullundur, the 24th September 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Rf. No. AP 1288.—Whereas, I, Ravinder Kumar
being the Competent Authority under section 269D
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer-
red to as the 'said Act') have reason to
believe that the immovable property, having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons whichever period expires later.

As per schedule situated at Jagan

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in January, 1975,

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
official Gazette.

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein
as are defined in Chapter XXA of the
said Act shall have the same meaning as
given in that Chapter.

in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the
liability of the transferor to pay tax under the
said Act in respect of any income arising from
the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or which
ought to be disclosed by the transferee for the pur-
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957).

Land as mentioned in Regd. Deed No. 9121 of January
1975 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under
sub-section (1) of section 269D of the said Act to the fol-
lowing persons, namely :—

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP/1289.—Whereas, I, Ravinder Kumar being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Nagra (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Jan 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely : --

- (1) Shri Jagat Singh s/o Mangal Singh of Vill. Nagra. (Transferor)
- (2) Shri Amarjit Singh s/o Hakam Singh (Basti Pirdad Khan, Jullundur) now 455-A, Jawahar Nagar, Jullundur. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registration Deed No. 8890, dated January 1975 of Registration authority Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range Jullundur.

Date : 24-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Jagat Singh s/o Mangal Singh of V. Nagra.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Gurbinder Singh s/o Hakam Singh,
455A, Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR(4) Any person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP/1290.—Whereas, J. RAVINDER KUMAR being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Nagra (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Jan 1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registration Deed No. 8892 of Jan. 1975 of Registration authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR.

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely:—

Date : 24-9-1975
Seal :

FORM ITNS

(2) Smt. Harnam Kaur d/o Radha Singh,
455-A, Jawahar Nagar, Jullundur.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 26th September 1975

Ref. No. AP/129J.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Nagra (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Jan, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Jagat Singh s/o Mangal Singh
R/O Vill. Nagra

(Transferor)

- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registration Deed No. 8891 of Jan. 1975 of Registration Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR.
Competent Authority.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 26-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Jagat Singh s/o Mangal Singh of Nagra
(Transferor)NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Amarjit Singh s/o Hakam Singh,
455-A, Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
(4) Any person interested in property,
(Person whom the undersigned knows to be inter-
ested in the property).Objections, if any to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Jullundur, the 24th September 1975

Ref. No. AP/1292.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Nagra

(and more fully

described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jullundur in Jan. 1975

for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registration Deed No. 9304 of Jan. 1975 of Registration Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-75

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Jagat Singh s/o Mangal Singh, Nagra.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Gurbinder Singh s/o Hakam Singh,
455-A, Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
(4) Any person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be inter-
ested in the property).

Jullundur, the 24th September 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—Ref. No. AP/1293.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearingNo. As per schedule situated at Nagra
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering
at Jullundur in Jan. 1975for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between
the parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this
Notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette;EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the 'said Act', in
respect of any income arising from the transfer;
and/or(b) facilitating the concealment of any income or
any moneys or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of
1957).

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registration Deed No. 9307 of Jan.
1975 of Registration Authority, Jullundur.RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of Section 269-D of the said Act to the following
persons, namely :

Date : 24-9-75

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 24th September, 1975

Ref. No. A.P./1294.—Whereas, I RAVINDER KUMAR being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. As per schedule situated at Nagra (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in January, 1975. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

26—296GI/75

- (1) Shri Jagat Singh s/o Mangal Singh of Vill. Nagra.
(Transferor)
- (2) Smt. Harnam Kaur D/o Radha Singh, 455-A,
Jawahar Nagar through Sh. Gurbinder Singh,
Jullundur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).
- (4) Any person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be interested
in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any person other interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registration Deed No. 9166 of Jan. 1975 of Registration authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 24-9-75.

Seal :

FORMITNS—

(1) Dharam Singh s/o Udham Singh, Jullundur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) The Vasant Vihar Co-op. house building & Society
Ltd., Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
[persons in occupation of the property]

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

(4) Any person interested in property.
[Person whom the undersigned knows
to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Jullundur, the 26th September, 1975

Ref. No. AP.1296.—Whereas, I RAVINDER KUMAR
being the Competent Authority under Section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
able property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Sabowal
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur in January 1975.

for an apparent consideration which is less than the fair
market value of the aforesaid property and I have reason to
believe that the fair market value of the property as afore-
said exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration and that
the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of
transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said
immovable property, within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used
herein as are defined in Chapter XXA
of the said Act shall have the same
meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957).

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 9215 of
Jan. 75 of the Registering authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of section 269D of the said Act, to the following persons,
namely :—

Date : 26-9-75

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Dharam Singh s/o Udham Singh, Sabowal.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) The Vasant Vihar Co-operative house building Society, Ltd., Jullundur.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As per Sr. No. 2 above.
[persons in occupation of the property](4) Any person interested in property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Jullundur, the 26th September, 1975

Ref. No. AP/1297.—Whereas, I RAVINDER KUMAR, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Sabowal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act 1908

(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in Jan. 1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 9311 of Jan. 75 of the Registering authority, Jullundur,

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 26-9-75.

Seal :

FORM ITNS

(1) Sh. Charan Das Khanna s/o Sh. Shadi Ram Khanna
R/o Mandir Khannian, Mandi Road, Jullundur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

(2) Smt. Bimla Devi w/o Sh. Om Parkash, H. No. 25,
Subash Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
[persons in occupation of the property]

(4) Any person interested in property.
[Person whom the undersigned knows
to be interested in the property]

Jullundur, the 26th September, 1975

Ref. No. AP/1303.—Whereas, I RAVINDER KUMAR, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Subash Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in April, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires, later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined to Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop as mentioned in the Registered Deed No. 62 of April, 75 of the Registering authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 26-9-75.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 4th September 1975

Ref. No. FDK/149/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land situated at V. Khunde Halal, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Muktsar in January 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

- (1) Shrimati Pritam Kaur w/o S. Shaminder Pal Singh s/o Bhai Jabharjang Singh r/o Muktsar. (Transferor)
- (2) Shri G. C. Harprit Singh s/o Barinder Pal Singh r/o Khunde Halal Teht. Muktsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]
- (4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2660 of January, 1975 of the Registering Authority, Muktsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 4-9-75

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 4th October 1975

Ref. ASR/73-74/AP-179.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. Plot situated at Rai Bahadur Parkash Chand Road, Asr. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in March, on 1973,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Mohinder Chand, Narinder Chand ss/o Shri Rai Sahib Labh Chand, Sh. Parkash Chand, Lal Chand, Khushal Chand r/o R. B. Parkash Chand Road, Amritsar. (Transferor)
- (2) M/s Sajdeh & Co. Amritsar Cantt. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]
- (4) Any person interested in the property & S/Shri Kamal Kishore and Shri Dev Raj ss/o Sh. Durga Dass, Both r/o Kt. Dulo Amritsar (Parties implicated). [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land at Rai Bahadur Parkash Chand Road, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 3540 of March, 1973 of the Registering Officer, Amritsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 4-10-75.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 3rd October 1975

Ref. No. KPL/168/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Bhawanipur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala in January 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Mahabir Singh S/o Shri Bakshish Singh s/o Shri Mula Singh r/o Kapurthala. (Transferor)
- (2) Shri Jagir Singh s/o Shri Bhajan Singh s/o Shri Harnam Singh Shri Bhajan Singh s/o Shri Harnam Singh s/o Shri Kahan Singh r/o Bhagatpur. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]
- (4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2375 of January, 1975 of the Registering Authority, Kapurthala.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 3-10-75

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 3rd October 1975

Ref. No. KPL/169/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land situated at Bhawanipur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala in January 1975, for an apparent consideration which is **less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration** and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely:—

- (1) Shri Mahabir Singh s/o Shri Bakshish Singh s/o Shri Mula Singh r/o Kapurthala.
(Transferor)
- (2) Shri Dayal Singh s/o Shri Harnam Singh s/o Shri Kahan Singh Smt. Gian Kaur w/o Shri Dayal Singh s/o Shri Harnam Singh r/o Bhagatpur.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]
- (4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice or the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2374 of January, 1975 of the Registering Authority, Kapurthala.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 3-10-75.

Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH.

Chandigarh, 29th September 1975

Ref. No. CHD/288/74-75.—Whereas, I, V. P. Minocha, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/2 share in SCO No. 87-88, Sector 17-D, Chandigarh, situated at Chandigarh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in March 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

27—296GI/75

- (1) Smt. Kanwaljit Kaur, d/o Late Shri Mukand Singh, Resident of 7-New Town Moga, District Faridkot. (Transferor)
- (2) Shri Indermit Singh Gill, minor son of Shri Gurdip Singh Gill, 7-New Town Moga, Distt. Faridkot. (Transferee)
- (3) (i) M/s Chief Boot House,
(ii) M/s Lilly Restaurant,
(iii) M/s Om Parkash Manoj Kumar,
(iv) The Representative of Business Research Corporation, Agency Division,
(v) Assistant Director, Labour Bureau of India,
(vi) Excise & Taxation Commissioner, Haryana, SCO No. 87-88, Sector 17-D, Chandigarh. [Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in SCO No. 87-88, Sector 17-D, Chandigarh.

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh.

Date : 29-9-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH.

Chandigarh, 29th September 1975

Ref. No. CHD/291/74-75.—Whereas, I, V. P. Minocha, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 2369, Sector 23-C, situated at Chandigarh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in March, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Surjit Kaur, w/o Shri Inder Singh, through her General Attorney Shri Manohar Singh, s/o Shri Mota Singh, House No. 1663, Sector 22-B, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Junesh Munjal, s/o Shri Desh Raj Munjal, Resident of Abohar, District Ferozepur, At present H. No. 2369 Sector 23-C Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 2369, Sector 23-C, Chandigarh.

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh.

Date : 29-9-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Man Mohan Chopra, s/o Dewan Chand, 146-C, Tilak Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Dr. Kamlesh Kumar Modawal, Subhash Kumar & Jogesh Kumar s/o Sh. C. N Modawal r/o C-I/40 Pandra Park, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 29th September 1975

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/May-I/740/75-76.—Whereas, I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. N-132, Greater Kailash 1/3rd share in 2½ storeyed building) at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 3/5/1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the rights, title and interest in 1/3rd share in a two and half storeyed house bearing No. N-132 alongwith the land underneath and around it measuring 300 sq. yds. situated at Greater Kailash, New Delhi bounded as under :—

North : Service Lane.

South : Road.

East : Property No. N/132.

West : Property No. N/130.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 29-9-75.

Seal :

FORM ITNS ———

(1) 1. Shri Inder Bir Bhandari s/o Late S. Wazir Singh
132, Greater Kailas, New Delhi.2. Shri Manmohan Chopra s/o Sh. Dewan Chand
Chopra, r/o 146-C, Tilak Nagar, New Delhi.
(Transferor)(2) Dr. Kamlesh Kumar Modawal, Sh. Subhash Kumar,
(3) Sh. Yogesh Kumar, sons of Sh. N. C. Modawal
r/o C-1/40, Pandara Park, New Delhi.
(Transferee)NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th September 1975

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/May-I/739/75-76.—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. N-132, Greater Kailash (2/3rd share in 2½ storeyed building at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 3-5-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the rights, title and interest in 2/3rd share in a two and half storeyed house bearing No. N-132 alongwith the land underneath and around it measuring 300 sq. yds. situated at Greater Kailash, New Delhi bounded as under :—

North : Service Lane.
South : Road.
East : Property No. N-132.
West : Property No. N-130.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 29-9-75.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI.

New Delhi, the 3rd October 1975

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/March-II(40)/74-75.—Whereas, I, C. V. Gupte, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M-83, situated at Greater Kailash, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi, on 31-3-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act,' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

- (1) M/s D.L.F. United Limited, 40-F, Connaught Place, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Smt. Shakuntla Sharma w/o Sh. Kishan Sahai r/o 370 Masjid Moth, New Delhi.
(Transferee)
- (3) Smt. Shakuntla Sharma w/o Sh. Kishan Sahai, r/o 370, Masjid Moth New Delhi.
[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All rights, title and interest into and upon that piece and parcel of land being plot No. 83 No. 'M' measuring 262 sq. yds in the residential colony known as Greater Kailash-II situated in village Bahurpur in the Union Territory of Delhi bounded as under :—

North : Plot No. M-81.
South : Road.
East : Road.
West : Service Lane.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 3-10-75.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd October 1975

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/74-75/April/726.—Whereas, I, C. V. Gupte, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R-37, situated at Greater Kailash-I, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 22-4-75, apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Lt. Col. Surinder Singh Khurana s/o Dr. Jaimal Singh Khurana r/o 13, Princess Park, Officer Hostel, New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Sudarshan Parti w/o Sh. Darbari Lal Parti, r/o R-37, Greater Kailash, New Delhi. (Transferee)
- (3) Shri D. L. Parti as tenants. [Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free hold plot of land measuring 500 sq. yds bearing No. R-37, Greater Kailash-I, New Delhi together with a single storeyed house constructed thereon and bounded as under :—
East : House No. R-39.
West : House No. R-35.
North : Road.
South : Service Road.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 3-10-75.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd October 1975

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/March-I/(31)/74-75.—Whereas I, C. V. Gupte, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H-24, situated at Jangpura Extension, New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 10-3-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shri Gurbachan Singh S/o Late Shri Teja Singh r/o C4A/36A, Pankha Road, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Shrimati Bimla Rani Kohli w/o Sh. Gurdial Kohli r/o 10175 Nawab Ganj, Delhi.
Now at H-24, Jangpura Extension, New Delhi.
(Transferee)
- (3) State Trading Corporation of India.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/5th Share of property No. H-24, Jangpura Extension, New Delhi with lease-hold rights respecting the land underneath the said portion and alongwith all other rights of enjoyment, assessment etc., attached to the said property.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 3-10-75.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd October 1975

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/March-II/(42)/74-75.—Whereas I, C. V. Gupte, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H-24, (1/5th Share of) situated Jangpura Extension, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 31-3-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Gurbux Singh s/o Late Sh. Teja Singh r/o D-23, Jorbagh, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Smt. Bimla Rani Kohli w/o Sh. Gurdial Kohli r/o 10175 Nawab Ganj, Delhi.
(Transferee)
- (3) State trading Corporation of India, New Delhi.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any of the person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/5th share of property bearing No. H-24, Jangpura Extension New Delhi with lease hold rights respecting the land underneath the said portion alongwith all other rights of enjoyment, easement etc. attached to the property.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 3-10-75.

Seal :

FORM ITNS.—

(1) Shri Jaswant Singh s/o Sh. Teja Singh R/o A-125 Netaji Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Bimla Rani Kohli w/o Sh. Gurdial Singh Kohli r/o 10175, Nawab Ganj Delhi.

Now at H-24, Jangpura Extension, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) State Trading Corporation of India, New Delhi.

[Person(s) in occupation of the property]

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

New Delhi, the 3rd October 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/March-I(22)/74-75.—
Whereas, J. C. V. Gupte, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H-24, situated at Jangpura Extension, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 10-3-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

28—296 GI/75

THE SCHEDULE

1/5th Share of property No. H-24, Jangpura Extension, New Delhi with the leasehold rights respecting the land underneath the said portion and alongwith all other rights of enjoyment, easement etc. attached to the said property.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 3-10-75.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 19th September 1975

Ref. No. AP-1236.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Mujafarpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Basavanagudi, Bangalore-4, Jullundur in January 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Pritam Singh s/o Rama Vill. Raka Khurd, Teh. Phillaur.
(Transferor)
- (2) Shri Nirmal Singh s/o Buta Singh, Vill. Mujafarpur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 9219 of Jan. 75 of the Registering authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 19-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Pritam Singh s/o Rama Vill. Raka Khurd,
Teh. Phillaur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Guftar Singh, Kirpal Singh ss/o Nirmal Singh,
Vill. Mujafarpur, Teh. Jullundur.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)(4) Any other person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be
interested in the property)

Jullundur, the 19th September 1975

Objections, if any, to the acquisition of the said prop-
erty may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. AP-1237.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Mujafarpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in January 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said im-
movable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said Act
shall have the same meaning as given in that
Chapter.(a) facilitating the reduction or evasion of the
liability of the transferor to pay tax under the
said Act in respect of any income arising from the
transfer; and/or(b) facilitating the concealment of any income
or any moneys or other assets which have not
been or which ought to be disclosed by the
transferee for the purposes of the Indian Income-
tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or
the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 9218 of
Jan. 1975 of the Registering authority, Jullundur.RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 19-9-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 19th September 1975

Ref. No. AP-1238.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Mujafarpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in January 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Pritam Singh s/o Rana s/o Utam r/o Rurka Khurd.
(Transferor)
- (2) Shri Swaran Singh, Bachittar Singh ss/o Nirmal Singh, Vill. Mujafarpur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 8800 of January 1975 of the Registering authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,

Acquisition Range, Jullundur.

Date : 19-9-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 19th September 1975

Ref. No. AP-1239.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at Mujafarpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in January 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Pritam Singh s/o Rana Vill. Rurka Khurd, Teh. Phillaur. (Transferor)
- (2) Shri Jarnail Singh s/o Pakhar Singh, Vill. Mujafarpur. (Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested to property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other persons, interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Deed No. 9217 of January, 1975 of the Registering authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 19-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Gurnam Singh, Narinder Singh ss/o Gulzar Singh, Vill. Ojla, Teh. Phillaur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Harbhajan Singh S/o Pritam Singh Vill. Jagral, Teh. Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

(4) Any other person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Jullundur, the 19th September 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

Ref. No. AP-1240.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Jagral, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in January 1975, for an apparent consi-

deration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 9023 of Jan. 1975 of the Registering authority, Jullundur.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 19-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 19th September 1975

Ref. No. AP-1241.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Jagral, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, -1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in January 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Gurnam Singh Narinder Singh ss/o Gulzar Singh Vill. Ojla, Teh. Phillaur.
(Transferor)
- (2) Piara Singh s/o Rur Singh Vill. Jagral, Teh. Jullundur.
(Transferee)
- (3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other person interested in property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 9024 of January 1975 of the Registering authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 19-9-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Ali Hussain S/o Shri Hataimalji Bhojra, R/o Bohra Bakhal, Indore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Shaheer Hussain S/o Shri Abdul Hussain, Nalawala Bohra, R/o Ranipura, Nai Bagad, Indore.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BOPAL

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Bhopal, the 9th September 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 35/1 situated in Gali No. 1, Rampura, Indore, situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 6-1-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 35/1, situated in Gali No. 1, Rampura, Indore.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 19-9-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Ali Hussain S/o Shri Hatimali, R/o Bohra Bakhal, Indore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Saifuddin S/o Shri Abdul Hussain, Nalwala Bohra, R/o Ranipura, Nai Bagad, Indore.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Bhopal, the 9th September 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, J. M. F. Munshi being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 35/1 situated in Ranipura, Gali No. 1, Indore, situated at Indore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Indore on 7-1-75, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

House No. 35/1 situated in Ranipura Gali No. 1, Indore.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 9-9-1975

29—296GI/75

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. ASR/155/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at Green Avenue, Amritsar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in February and March, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Lt. Col. Om Parkash Bhatia s/o Shri Ram Lal Bhatia Green Avenue, Amritsar through Shri Saligram Bhatia s/o Shri Sunder Dass Bhatia, Batala Road, Amritsar.

(Transferor)

(2) Shri Bakshish Singh s/o Shri Jaswant Singh, Jaswant Singh s/o Shri Wasawa Singh, Sultanwind Road Amritsar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 317 Green Avenue, Amritsar as mentioned in the registered Deed No. 3644 of February, 1975 and 3939 of March, 1975 of the Registering Authority, Amritsar.

V. R. SAGAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range, Amritsar.

Date : 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. ASR/156/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 1/2 share of House situated at 2133/VIII-17 or 7 Quilla Bhagian, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar on February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Parshotam Dass Popli s/o Shri Puran Chand r/o 16 Layland Lane, Metropolitan Distt. of Bradford, London through Shri Prem Nath Popli, F-31 Green Park, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Shri Om Parkash s/o Shri Labhu Ram Arora, H. No. 2133/VIII-17 Killa Bhakngian, Abadi Gokal Chand, Amritsar.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 House No. 2133/VIII-17, or 7 Killa Bhagian, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 3704 of February, 1975 of the Registering Authority, Amritsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. ASR/157/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/2 share of House situated at 2133/VIII-17 or 7 Quilla Bhangian, Amritsar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Shri Prem Nath Popli s/o Shri Puran Chand Popli r/o F. 31 Green Park, New Delhi.
(Transferor)
- (2) Shri Om Parkash s/o Shri Labhu Ram Arora, H. No. 2133/VIII-17 Quilla Bhangian, Amritsar, Abadi Gokal Chand.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1 House No. 2133/VIII-17 or 7 Killa Bhangian, Amritsar is mentioned in the Registered Deed No. 3707 of February, 1975 of the Registering Authority, Amritsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Manohar Lal s/o Shri Vidya Dhar c/o M/s Vidya Dhar & Sons, o/s Hall Gate, Amritsar.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Kundan Lal, Shri Sham Sunder ss/o Shri Vidya Dhar Tandon r/o 576/XIII, Braham Nagar, Lawrence Road, Amritsar.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

Amritsar, the 10th October 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. ASR/158/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1/3rd Kothi situated at 576/XIII, Braham Nagar, Amritsar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Amritsar in February 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

1/3rd Kothi No. 576/XIII, Braham Nagar, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 3662 of February 1975 of the registering Authority, Amritsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

Date : 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. ASR/159/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at Plot No. 9 Shivala Bhaian, Amritsar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering office at Amritsar in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Baljit Singh s/o Shri Kulbir Singh r/o Kothi No. 21 Cantt Amritsar Smt. Sunit Kaur D/o Major Vir Singh, 399-Defence Colony, New Delhi through Dr. Ranbir Singh s/o Dr. Sohan Singh, 21 Cantt, Amritsar.

(Transferor)

(2) Shri Surinder Mohan Aggarwal s/o Bakshi Ram Aggarwal, 105 Lawrance Road, Amritsar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 9 Shivala Bhaian, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 3698 of February 1975 of the Registering Authority, Amritsar.

V. R. SAGAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 10-10-1975

Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. ASR/160/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot of land situated at 62 Improvement Trust Scheme, Amritsar, (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Amritsar in February 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) M/s Nirankari Financiers and Chit Fund (P) Ltd. through Shri Kalyan Singh Managing Director, Chowk Baba Bhoori Wala, Amritsar. (Transferor)
- (2) Shri Kewal Krishan s/o Shri Raghupat Ram and Shri Swtanter Kumar, Vijay Kumar and Virinder Kumar ss/o Shri Kewal Krishan Gali Lamba Kt. Bagh Singh, Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 3764 of February 1975 of the Registering Authority Amritsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 10-10-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. GSP/161/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Gurdaspur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Gurdaspur in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of 269C of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act,' to the following persons, namely :—

- (1) Shri Pritam Singh, Naranjan Singh s/o Shri Lachhman Singh.
(Transferor)
- (2) Shri Kashmir Singh s/o Gurbax Singh c/o Coop Marketing Society Ltd. Pathankot, & Smt. Jagir Kaur.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 6168 of February 1975 of the Registering Authority, Gurdaspur.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. FDK/162/75-76.—Whereas, I. V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at Ferozepur Kot Kapura Road, Faridkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

30--206G1/75

(1) Shri Naib Singh Gill s/o Shri Tara Singh s/o Shri Natha Singh of Mall Road Faridkot.

(Transferor)

(2) Shri Devinder Pal Singh s/o Shri Vir Singh Timber Merchant, Faridkot.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 3409 of February 1975 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 10-10-1975

Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. FDK/163/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land situated at Samawali, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muktsar in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Sohan Singh s/o Shri Harkishan Singh GA of Dr. Avtar Singh s/o Shri Teja Singh of Dosiana Kalan District Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Jagpal Kaur w/o S. Joginder Singh now at Hajipur Teh. Phagwara.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and the tenants occupying the land.

(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2686 of February, 1975 of the Registering Authority, Muktsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ret. No. FDK/164/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Kot Kapura, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property is aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

- (1) Shri Harnek Singh and Shri Tek Singh r/o Kot Kapura. (Transferor)
- (2) Shri Natha Singh Gurcharan Singh s/o Shri Partap Singh r/o Kot Kapura. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3562 of February, 1975 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 10-10-1975

Seal :—

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. FDK/165/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land situated at Kot Kapura, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in February 1975.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

- (1) Shri Ujagar Singh s/o Shri Jhanda Singh GA for Nachhtar Singh, Bachter Singh, Jit Singh Malkiat Singh r/o Kot Kapura.
(Transferor)
- (2) Shri Natha Singh, Gurcharan Singh s/o Shri Partap Singh r/o Kot Kapura.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3560 of February 1975 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. FDK/166/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Kot, Kapura, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian at Faridkot in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act'. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

- (1) S/Shri Balwant Singh Balbir Singh, Surjit Singh Makhhan Singh ss/o Shri Maghar Singh r/o Kot Kapura.
(Transferor)
- (2) S/Shri Natha Singh Gurcharan Singh s/o Shri Partap Singh r/o Kot Kapura.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3561 of February 1975 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 10-10-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th October 1975

Ref. No. FDK/167/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Chakarian Road, Mansa, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Mansa in February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

- (1) Shri Bant Singh, Atma Singh, Sita Singh s/o Shri Kchar Singh, Harnek Singh s/o Shri Kchar Singh, Nar Singh s/o Shri Bant Singh r/o Mansa Mandi.
(Transferor)
- (2) Shri Lachhman Dass, Mansa Ram s/o Shri Chuni Lal, Diwan Chand, Telu Ram, Prem Kumar s/o Shri Chuni Lal r/o Mansa.
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)
- (4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deeds Nos. 4170 & 4169 of February 1975 of the Registering Authority Mansa.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date: 10-10-1975

Seal :

FORM I.T.N.S.-----

(1) Smt. Vidhyawanti w/o Shri Mukand Lal Choudhary,
r/o 5/42, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s Sarla Indu Enterprises, 3072/2CA, Gali No. 10,
Ranjit Nagar, New Delhi through its partners.1. Smt. Sarla Mahuja w/o Shri M. F. Mhuja.
2. Shri Inder Kumar Tolani s/o Shri Haru Mal K.
Tolani.3. Shri Sacha Nand T. Rijhwani w/o Shri Taru Mal
Rijhwani.4. Smt. Nirmala Deveji w/o Shri Haru Mal K.
Tolani.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, 4-A/14, ASAF ALI ROAD,
3RD FLOOR, NEW DELHIObjections, if any, to the acquisition of the said prop-
erty may be made in writing to the undersigned—

New Delhi, the 30th September 1975

Ref. No. IAC/Acq,II/876/75-76/3936.—Whereas, I, S.N.L. Agarwala, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 1/2 of J-168 situated at Rajouri Garden, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 22-5-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any monies or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of a single storcyed house constructed on a plot of land measuring 151 sq. yds. (Total measuring 302 sq. yds) situated at plot No. 168 in Block J. RAJOURI GARDEN, area of Village Bassai Darapur, Delhi and bounded as under :—

North : House built on plot No. J-169

East : Property No. J-148/A

South : House built on plot J-167

West : Road.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 30-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 4-A/14, ASAF ALI ROAD,
3RD FLOOR, NEW DELHI

New Delhi, the 29th September 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/879/75-76/3936.—Whereas, I, S.N.L. Agarwala, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. B-6/1 situated at Model Town, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 14-4-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Jai Parkash Jain s/o Late Shri Nem Chand Jain r/o 3555 Gali Hanuman Mandhir, Subzi Mandi, Delhi-7.

(Transferor)

(2) Shri Vijay Kumar Sood, w/o Shri Anand Saroop Sood r/o B-6/2, Model Town, Delhi.

(Transferee)

1. Shri Ram Sass Shop No. 1.
2. Shri Kashi Ram Shop No. 2.
3. Shri Ishwar Dass Shop No. 3.
4. Shri Manmohan Kohli Barsati Floor.
5. Shri Kashi Ram Khokha in passage, all at B-6/1, Model Town, Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A 2½ storeyed pucca construction on a free-hold plot No. 1, Block No. B 6 Measuring 53.33 sq. yds. and situated in Model Town, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date: 29-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Brij Kishore s/o Shri Barkat Ram r/o H/56, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, 4-A/14, ASAF ALI ROAD,
3RD FLOOR. NEW DELHI

New Delhi, the 30th September 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/878/75-76/3936.—Whereas, I, S.N.L. Agarwala, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H/56 situated at Kirti Nagar, New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 22-4-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and / or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

31—296G1/75

(2) Shri Ram Nath Khurana s/o Shri Ram Lal Khurana r/o 33/27 West Patel Nagar, New Delhi.

2. Shri Harbans Lal Khurana.

3. Shri Amrit Lal .

4. Shri Krishan Lal sons of Shri Ram Lal r/o C-12, Shopping Centre, Vasant Bihar, Delhi-57.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2½ storeyed house constructed on a plot of land measuring 326-2/3 sq. yds. bearing No. H/56, situated in Kirti Nagar, New Delhi area of village Bassai Darapur, Delhi and bounded as under :—

North : Open land.

South : Road

East : House No. H/56.

West : House No. H/57.

S. N. L. AGARWALA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,

Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 30-9-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, 4-A/14, ASAF ALI ROAD,
3RD FLOOR, NEW DELHI

New Delhi, the 30th September 1975

Ref. No. IAC/Acq.II/877/75-76/3936.—Whereas, I, S.N.L. Agarwala, being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/2 of J-168 situated at Rajouri Garden, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 22-5-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Harkesh Kumar Saluja s/o Shri Mohinder Nath Saluja r/o 5/42, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s Sarla Indu Enterprises, 3072/2CA, Gali No. 10 Ranjit Nagar, New Delhi through its partners.

1. Smt. Sarla M. Ahuja w/o Shri M. F. Ahuja.
2. Shri Inder Kumar Tolani s/o Shri Haru Mal Tolani.
3. Shri Sacha Nand T. Rijhawani s/o Shri Tharu Mal Rijhawani; and
4. Smt. Nirmala Devi w/o Shri Haru Mal K. Tolani.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

BHOPAL

1/2 share of a single storeyed house constructed on a plot of land measuring 151 sq. yds (total measuring 302 sq. yds) situated at Plot No. 168 in Block J, Rajouri Garden, area of Village Bassai Darapur, Delhi and bounded as under :—

North : House built on plot J-169.

East : Property No. J-148/A.

South : House built on plot J-167.

West : Road.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 30-9-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION
RANGE-V, AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG.
BOMBAY-400020,

Bombay-400 020, the 3rd October 1975

Ref. No. AR.V/264/74-75.—Whereas, I, J. M. Mehra,

27

hereinafter referred to as said act being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Survey No. 136 and S. No. 154 (part) situated at Village Bhandup, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay on 25-2-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) (1) Ratansay Karsondas.
- (2) Pratapsinh Mathuradas.
- (3) Pushpabai, w/o Pratapsinh Mathuradas.
- (4) Jainsinh Vithaldas.
- (5) Pratapsinh Shoorji Vallabhadas.
- (6) Dilipsinh Shoorji Vallabhadas.
- (7) Bhanji Surji.
- (8) Gopalji Virji Surji.
- (9) Manibai Widow of Virji Surji.
- (10) Damayanti W/o Virji Surji.
- (11) Bachubai, widow of Purshottam Bhanji.
- (12) Saraswati w/o Prahladrai Kheraj.
- (13) Damayanti w/o Liladhar Kanji.
- (14) Rukminiben w/o Purshottam Dayalji.
- (15) Kalyanji alia Arunkumar Purshottam Bhanji.
- (16) Vasantkumar Purshottam Bhanji.

(Transferor)

- (2) Shri Bharatsingh Kubersingh Thakur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land out of Survey No. 136 and S. No. 154 (part C.T.S. Nos. 161 164 57

			1 to 37	1—27,	1—16,	
	60	58	59	62	63	64
1—16,	26to70	1—5,	1—27,	1 to 32,	1 to 6	1 to 12
65	46					
	and					
1 to 17		1 to 9				

of Village Bhandup Taluka Kurla District Bombay Suburban Registration Sub-District of Bandra, admeasuring 6613 sq. yds. or 6046.93 sq. metres situated at Gamdevi Road, Tembe Pada, which is bounded as follows : that is to say on or towards the East partly by property of Bhandup Estate and partly by Nala on or towards west by Tansa Pipe Line on or towards North property of Bhandup Estate bearing S. No. 136 (part) and Survey No. 137 (part) on or towards the south property of Bhandup Estate.

J. M. MEHRA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay.

Date : 3-10-1975
Seal :

FORM ITNS—

(1) The Union Land & Building Society Ltd.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Inland Trading & Engg. Co. Pvt. Ltd.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) M/s. Bombay Finance Co.
(Person in occupation of the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,

BOMBAY-400020

Bombay-400 020, the 29th September 1975

Ref. No. AR-II/1092/3061/75-76.—Whereas, I, M. J. Mathan, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 35 S. No. 15 H. No. 2 S. Nos. 326A, 322 & 289A situated at Danda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bandra on 7-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice of the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or parcel of land or ground together with the messuages tenements or dwelling houses standing thereon forming part of land known as Pali Hill Estate situate lying and being at Pali Hill, Danda, in the registration Sub District of Bandra Taluka South Salsette, District Bombay Suburban now Greater Bombay containing by admeasurement 977.54 square yards or thereabouts being Plot No. 35 of the Vendor's private Scheme and being part or portion of land bearing Survey No. 15 Hissa No. 2 and part of Survey Nos. 326A, 322 and 289A and bounded as follows : that is to say on or towards the North by land of Mr. Fernandes, on or towards the South by Road of the Union Park, on or towards the East by Plot No. 33 of the Union Park, and on or towards the West by Plot No. 36 of the Union Park.

M. J. MATHAN,

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 29th September 1975

Seal :

FORM FINS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER
ACQUISITION RANGE-II,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 29th September 1975

Ref. No. AR-II/1094/3061/75-76.—Whereas, I, M. J. Mathan, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Final Plot No. 95-A TPS No. III situated at Vile Parle (and more) fully described in the Schedule annexed hereto, has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 13-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) S/Shri Sevantil Kantilal & Navinchandra Kantilal. (Transferor)
- (2) Shakuntala Kantilal. (Transferee)
- (3) 1. Hiraben Somchand
2. J. R. Patel
3. V. Amrutlal Munilal
4. Nandlal Khetan (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;
- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying and being at Vile Parle, Taluka South Salsette, Bombay Suburban District, in the Registration District and Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban, containing by admeasurement one thousand one hundred and forty five (1145) square yards i.e. 957 sq. metres or thereabouts being final plot No. 95-A of the Town Planning Scheme No. III of Vile Parle and all which piece of land is bounded as follows : that is on or towards the North by the Scheme Road, on or towards the South by Plot No. 93, on or towards the East by Plot No. 92 and on or towards the West by Plot No. 96.

M. J. MATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 29th September 1975
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Premabai w/o of Velji Laladhar.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Jeevan Builders & Associates.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Tenants as per schedule part II
(Person in occupation of the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-V,
LAKSHMI BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 30th September 1975

Ref. No. AR.V/239/2/74-75.—Whereas, I, J. M. Mehra being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 172, Entry No. 229 & new city S. No. 3235 to 3244 situated at Ghatkopar (and more fully described in the Schedule part I annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 12-2-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in Chapter.

THE SCHEDULE PART I

Khoti land admeasuring about 933 sq. metres Survey No. 172 Entry No. 229 and new city survey No. 3235 to 3244 and Municipal No. 110 N. Ward Nos. 6741(1), 6741(2), 6742 and 6743 situated at Khot Lane, Ghatkopar, Bombay, with building thereon.

SCHEDULE PART II

Room No.	Name of Tenants
1.	Natwarlal Maganlal
2.	Rajnikant Shivlal
3.	Usman Bhikhoo
4.	Pranshankar Narbhashankar
5.	Mohanlal Bhagwanji
6.	Ranybhai Karsondas
7.	Mohanlal Chhaganlal
8.	Kanilal Velji
9.	Jchhashankar Vallabhji
10.	Gordhanbhai Haja
Shop No.	
1.	Dhobi Jeroo Chhetanki
2.	Janardan Bhagwan Sane
3.	Usman Bhikhoo

J. M. MEHRA,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay

Date : 30th September, 1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 6th October 1975

Ref. No. AR.V/260/23/74-75.—Whereas, J. J. M. Mehra being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 27E Hissa No. 1 situated at Deonar—Kurla (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 24-2-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Dr. Rustom Ardeshir Irani. (Transferor)
- (2) Shri Jagdish Anant Kamat & Shri Kabbinochittu Subraya Prabhu. (Transferee)
- (4) M/s. Eastern Steel Industries, Shri A. M. Kamath, Shri S. A. Kamath. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of vacant land or ground situate at Deonar Taluka Kurla, District Bombay Suburban within Greater Bombay and Registration Sub-District of Bandra ad-measuring 5958 sq. yds. equivalent to 4982 square metres of thereabouts being a part of land bearing Survey No. 27E Hissa No. 1 and bounded as follows, that is to say on or towards the North by land bearing S. No. 10B (part) of Suburban Scheme No. II, on or towards the East by land bearing survey No. 34 of Deonar, and on or towards the South and West by a 44 feet wide road.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay

Date : 6th October 1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Shrimati Syedunnisa Begum W/o Mir Hassan Ali Khan, H. No. 4-1-1236/2, King Kothi Road, Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

(2) Shri Asadullah Himmathi S/o Hassan Himmathi, being minor represented by guardian mother Qamar Joker W/o Hassan Himmathi, H. No. 5-9-217, Chirag Ali Lane, Hyderabad.

(Transferee)

(3) King Circle, Restaurant represented by partners
(1) Hassan Himmathi and

(2) Mohd. Raza,
(Person in occupation of the property)

Hyderabad, the 29th September 1975

Ref. No. R.A.C. 127/75-76.—Whereas, I, K. S. Venkataraman, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5-8-644 to 646 situated at Abid Circle, Hyderabad situated at Nangal Jiwan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on 14-2-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act,' to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of double storied building bearing Municipal No. 5-8-644 5-8.646, admeasuring 33.445 Sq. metres situated at Abid Circle, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad.

Date : 29-9-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, 60/61, ERANDAWANA
KARVE ROAD, POONA-411004

Poona-411004, the 1st October 1975

No. C.A.5/February'75/Haveli-II(Poona)/236.—Whereas, I, H. S. Aulakh, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Sub Plot No. CTS. 100/2, situated at Gultekdi (Poona) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Haveli-II, Poona on 1-2-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated

in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

32—296G1/75

- (1) Shrimati Devibai D/o Lalchand Nanwani,
Alias Smt. Devibai Nathurmal Khaitani,
Sindhu House, Nanabhai Lane, Fort, Bombay-1.
(Transferor)
- (2) 1. Shri Harikishin Ladraram Pooorswani,
2. Smt. Renuka Harkishin Pooorswani,
52/4 Mira Society, Shankarshet Road, Poona-9.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold Open land at Sub-Plot No. CTS 100/2, Gul Tekdi, Poona city.

Area : 11550 sq. ft. (1155 Sq. Mtrs)
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 252 of 1st February, 75 at the Registering office, Haveli-II, Poona)

H. S. AULAKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 1-10-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 24th September 1975

No. IAC.Acq.III/SR.III/April/265(10)/75-76/3879.—
Whereas, I, S. C. Parija,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 12, Block L situated at New Delhi South Extension Part II, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 24-4-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Mahabir Exports and Imports Co. (P) Ltd., through its Mg. Director,
Shri Arvind Kumar Jain S/o Shri K. P. Jain,
519/1, G.T. Road, Shahdara, Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Kailash Chand Sharma and Shri Naresh Kumar Sharma ss/o Shri Satya Paul Sharma,
F-2/16, Krishan Nagar, Delhi, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land measuring 500 sq. yds. bearing Plot No. 12, Block No. L, situated in the residential colony known as New Delhi South Extension, Part II, New Delhi and bounded as under:—

East : Road
West : Service Lane
North : Road
South : Plot No. L-11

S. C. PARIJA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-III, New Delhi.

Date : 24-9-75

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 29th September 1975

No. R.A.C. 128/75-76.—Whereas, I, K. S. Venkataraman, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5-8-644 to 646 situated at Abid Circle Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Hyderabad on 14-2-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt Syedunnissa Begum W/o Mir Hassan Ali Khan, H. No. 4-1-1236/2, King Kothi Road, Hyderabad.
(Transferor)
- (2) Shri Rahmat Ali Himmathi S/o Hassan Himmathi aged 12 years minor represented by mother Smt. Qamar Jokar W/o Hassan Himmathi, 5-9-217, Chirag Ali Lane, Hyderabad.
(Transferee)
- * (3) King Circle, Restaurent represented by its partners
(1) Hassan Himmathi (2) Mohd. Riza.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period, of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Middle portion double storied building bearing No. 5-8-644 to 646, admeasuring 33.505 sq. metres situated at Abid Circle, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 29-9-75
Seal :

FORM ITNS—

(1) Dr. S. D. Kulasekaran & Shri Sanjai (Minor)
36, Goodanagaram Road, Gudiyattam, N.A.Dt.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Nomanbhai Hatimbhai Millwala,
Shri Saifuddinbhai Turabally Namuwala,
Smt. Khattonbai, Smt. Akhtarbai
Smt. Fatemabai Akberali Udaipurwala &
Smt. Nasemanbai Taherbai Millwala,
151, Broadway, Madras-1.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD,
MADRAS-6

* (3) Shri A. Guruswamy Reddy,
Shri N. Munuswamy Naidu,
Shri Abadul Gafoor,
Shri Rajagopal Mudaliar &
Smt. Kanta Amma,
75, Acharappan St., Madras-1.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Madras-6, the 29th September 1975

No. F.IX/5/54/74-75.—Whereas, I, G. Ramanathan, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 75, situated at Acharappan Street, Madras-1, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras on February 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land and building measuring 2 grounds and 645 sq. ft. bearing door No. 75, Acharappan Street, Madras (R.S. No. 5550/part).

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 29-9-75

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-1, 123, MOUNT ROAD,
MADRAS-6

Madras-6, the 29th September 1975

No. F.IX/5/69/74-75.—Whereas, I, G. Ramanathan, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 75, situated at Acharappan Street, Madras-1, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Madras on April 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of in any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Dr. S. D. Kulasckaran & Shri Sanjai (Minor)
36, Goodanagaram Road, Gudiyattam, N.A.Dt.
(Transferor)
- (2) Shri Nomanbhai Hatimbhai Millwala,
Shri Saifuddinbhai Turabally Namuwala,
Smt. Khattonbai, Smt. Akhtarbai
Smt. Fatemabai Akberaly Udaipurwala &
Smt. Nasemanbai Taherbai Millwala,
151, Broadway, Madras-1.
(Transferee)
- (3) Shri A. Guruswamy Reddy,
Shri N. Munuswamy Naidu,
Shri Abadul Gafoor,
Shri Rajagopal Mudaliar &
Smt. Kanta Amma,
75, Acharappan St., Madras-1.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land and building measuring 2 grounds and 645 sq. ft. bearing door No. 75, Acharappan Street, Madras (R.S. No. 5550/part).

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range-1, Madras-6.

Date : 29-9-75
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 1st October 1975

Ref. No. TR-73/C-67/Bombay/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty being the competent authority under section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5/2 (office No. 2D), situated at Russel Street, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay on 13-2-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such **apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Kamla R. Advani, 2. Kiran G. Advani, 3. Sarli S. Advani, 4. Parpati R. Advani, 5. Kamal D. Advani, 6. Jethi J. Advani, 7. Kavita S. Kamalani, 8. Saraswati R. Punwani, 9. Lilan K. Punwani, 10. Mohan P. Jhangiani.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 2D at 5/2 Russel Street, Calcutta, Floor space 707 sq. ft. and car parking space 116 sq. ft.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 1-10-75
Seal :

FORM ITNS

(1) Shri Kurban Hussain Hussanally.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Salebhai Yusufali

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Sofia Baim, Golam Ali
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Calcutta, the 1st October 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. TR-319/C-318/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 22, situated at Brabourne Road, Calcutta. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Government Place North on 18-2-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

1/3rd share of six storied building with land measuring 4K, 6 Ch, 12 sq. ft. more or less at 22, Brabourne Road, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 1-10-75

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 30th September 1975

Ref. No. IAC.Acq.III/SR.III/March/207(2)/75-76.—
Whereas, I, S. C. Parija,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. C-83 situated at New Delhi South Extension, Part II, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 3-3-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Joginder Kaur w/o S. Sohan Singh Chadha, r/o 26/B, Rajpur Road, Dehradun (UP).
(Transferor)
- (2) 1. Shri Bajj Nath s/o Shri Harichand
2. Shri Rajindra Nath, 3. Raghu Nandan
4. Narinder Nath ss/o Shri Bajj Nath,
all r/o 1708, Dariba Kalan, Delhi-6.
(Transferor)
- (3) 1. Shri Ram Saran Dass Khanna
s/o Shri Ram Rattan
r/o C-83, NDSE Part II, New Delhi.
2. Shri Kishan Lal Kapoor
s/o Shri Jiwan Lal Kapoor,
r/o C-83, NDSE Part II, New Delhi-49.
[Persons in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One and a half storeyed free hold house, built on plot No. C-83, measuring 500 sq. yds, situated in the residential colony known as New Delhi South Extension Part II, New Delhi in the area of village Masjid Moth Delhi State, Delhi and bounded as under :—

North : Plot No. C-85, and lawn
East : Plot No. C-82
South : Road
West C-84

S. C. PARIJA,
Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, New Delhi.

Date : 30-9-75

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 4th October 1975

Ref. No. IAC.Acq.III/SR.III/Feb/194(22)/74-75/4090.---

Whereas, I, S. C. Parija,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. J-22 situated at Malviya Nagar Extn. New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on 15-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

33—296GI/75

(1) Shri Yashovardhan s/o Shri T. P. Singh through Shri T. P. Singh, holding constituted Power of Attorney, 13-AB, Pandara Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri G. P. Shrivastava s/o late Dewan Shyam Kishore Lal and Smt. Raj Rani Shrivastava W/o Shri G. P. Shrivastava, r/o J-22, Malviya Nagar Extn., New Delhi.

(Transferee)

(3) Transferee

[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The term and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storeyed residential house No. J-22, on a leasehold plot of land measuring 418.065 sq. mtrs./500 sq. yds. situated in the colony known as Malviya Nagar Extn., New Delhi and bounded as under:—

North : Plot No. 23
South : Plot No. 21
East : Road
West : Service lane

S. C. PARIJA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, New Delhi,

Date : 4-10-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) Mrs. Asma Jafar Imam w/o Late Jafar Imam,
Fraser Road, P.S. Kotwali, Patna.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sardar Jodh Singh s/o Sardar Sohan Singh,
"Maya Niwas", Guru Govind Singh Ghat Lane,
P. S. Chowk, Patna City, Patna.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR, CENTRAL REVENUE
BUILDING, PATNA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned—

Patna. the 4th October 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons, which-
ever period expires later;

Ref. No. III-103/Acq/75-76/1237.—Whereas, I, J. Nath,
being the Competent Authority under section 269B of the
Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the
Official Gazette.

M. S. Plot No. 65 situated at Fraser Road, Patna
(and more
fully described in the Schedule annexed hereto), has been
transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in
the office of the Registering Officer
at Patna on 10th February 1975
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by
more than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration for such transfer as agreed to
between the parties has not been truly stated in the said
instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used here-
in as are defined in Chapter XXXA of
the said Act, shall have the same meaning
as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability
of the transferor to pay tax under the said Act in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

THE SCHEDULE

Land measuring more or less 2041 sq. ft. at Fraser Road,
Patna, bearing M. S. Plot No. 65, H. No. 84 (old) and 346
(new), Cr. No. 6, W. No. 2, Sheet No. 21

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or
which ought to be disclosed by the transferee for
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11
of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,
1957 (27 of 1957);

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons,
namely :—

Date : 4-10-1975
Seal :

FORM ITNS—

(1) Mrs. Asma Jafar Imam W/o Late Jafar Imam
Fraser Road, P. S. Kotwali, Patna.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sardar Harbhajan Singh s/o Sardar Sohan
Singh, "Maya Niwas" Guru Govind Singh Ghat
Lane, P. S. Chowk, Patna City, Patna.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR, CENTRAL REVENUE
BUILDING, PATNA

Patna, the 4th October 1975

Ref. No. III-104/Acq/75-76/1238.—Whereas I, J. Nath, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

M. S. Plot No. 65 situated at Fraser Road, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 6-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring more or less 2041 sq. ft. at Fraser Road, Patna, bearing M. S. Plot No. 65, M. No. 84 (old) and 346 (new) Cr. No. 6, W. No. 2; Sheet No. 21.

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date: 4-10-1975

Seal:

FORM ITNS

(1) Mrs. Asma Jafar Imam w/o Late Jafar Imam
Fraser Road, P. S. Kotwali, Patna.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sardar Santokh Singh s/o Sardar Sohan Singh,
"Maya Niwas", Guru Govind Singh Ghat Lane, P.S.
Chowk, Patna City, Patna.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR, CENTRAL REVENUE
BUILDING, PATNA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Patna, the 4th October 1975

Ref. No. III-105/Acq/75-76/1239.—Whereas, I, J. Nath, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M. S. Plot No. 65, situated at Fraser Road, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 7-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring more or less 2041 sq. ft. at Fraser Road, Patna, bearing M. S. Plot No. 65, H. No. 84 (old) and 346 (new) Cr. No. 6, W. No. 2, Sheet No. 21.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date : 4-10-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Mrs. Asma Jafar Imam w/o Late Jafar Imam,
Fraser Road, P. S. Kotwali, Patna.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(2) Sardar Amrit Singh s/o Sardar Sohan Singh,
"Maya Niwas", Guru Govind Singh Ghat Lane,
P. S. Chowk, Patna City, Patna.
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BIHAR, CENTRAL REVENUE
BUILDING, PATNA

Objections, if any, to the acquisition of the said property
may be made in writing to the undersigned :—

Patna, the 4th October 1975

(a) by any of the aforesaid persons within a period of
45 days from the date of publication of this notice
in the Official Gazette or a period of 30 days from
the service of notice on the respective persons,
whichever period expires later;

Ref. No. III-106/Acq/75-76/1240.—Whereas, I, J. Nath,
being the Competent Authority under section 269B of the
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing

(b) by any other person interested in the said immovable
property within 45 days from the date of the publi-
cation of this notice in the Official Gazette.

No. M. S. Plot No. 65 situated at Fraser Road, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Patna on 4-2-1975.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as
are defined in Chapter XXA of the said
Act, shall have the same meaning as given
in that Chapter.

for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid
property and I have reason to believe that the fair market
value of the property as aforesaid exceeds the apparent
consideration therefor by more than fifteen per cent of
such apparent consideration and that the consideration
for such transfer as agreed to between the parties has not been
truly stated in the said instrument of transfer with the object
of :—

THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of
the transferor to pay tax under the said Act, in
respect of any income arising from the transfer;
and/or

Land measuring more or less 2041 sq. ft. at Fraser Road,
Patna, bearing M. S. Plot No. 65, H. No. 84 (old) and 346
(new) Cr. No. 6, W. No. 2, Sheet No. 21.

(b) facilitating the concealment of any income or any
moneys or other assets which have not been or which
ought to be disclosed by the transferee for the pur-
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of
1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957
(27 of 1957);

J. NATH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section
(1) of section 269D of the said Act to the following persons,
namely :—

Date : 4-10-1975

Seal :

FORM ITNS—

(1) 1. Sayeed Ahmed, 2. Shafiq Ahmed
(Transferor)NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Shri Dr. Saidul Islam
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said pro-
perty may be made in writing to the undersigned—OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA(a) by any of the aforesaid persons within a period
of 45 days from the date of publication of this
notice in the Official Gazette or a period of
30 days from the service of notice on the res-
pective persons, whichever period expires later;

Calcutta, the 3rd October 1975

(b) by any other person interested in the said
immovable property within 45 days from the
date of the publication of this notice in the Official
Gazette.

Ref. No. TR-72/C-66/Cal-1/74-75.—Whereas, I. S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 28, situated at Elliot Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at 5 Govt. Place North, Calcutta on 1st February 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Undivided half share of vacant land measuring six cottahs of 25 sq. ft. at 28 Elliot Road, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date: 3-10-1975.

Seal :

FORM ITNS—

(1) 1. Sayeed Ahmed, 2. Shafique Ahmed.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Mumtaz Begum

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-
MISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
CALCUTTA

Calcutta, the 3rd October 1975

Ref. No. TR-71/C-65/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 28, situated at Elliot Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, on 1-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided half share of vacant land measuring six cottah and 25 sq. ft. at 28 Elliot Road, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 3-10-1975.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 1st October 1975

Ref. No. P. R. No. 251/Acq/23-462/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R. S. No. 633/2, land and structure situated at Sayaji Ganj, area near old Railway Station, Baroda. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 21-2-1975 and 24-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any monies or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Purshottambhai Bhailalbhai Patel,
Power of Attorney Holder
Hormanbhai Kishorbhai,
Sayaji Ganj, Baroda.
(Transferor)
- (2) Shri Thakkar Liladhar Vashrambhai, Opp. Railway
Godown, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and structure bearing R. S. No. 633/2 (Land ad-measuring 9 gunthas) situated in Sayaji Ganj, area near old Railway Station, Baroda as fully described in sale deeds registered under No. 1278 & 1279 of February 1975 by registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 1st October 1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 4th October 1975

Notice No. 81/75-76/ACQ.—Whereas, I, P. SATYANARAYANA RAO, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

C. S. No. 3140A

situated at Victoria Road, Hubli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Hubli under document No. 3473 on 29th March, 1975 for an apparent

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

1. (1) Shri Venkatesh Gururaj Chivate, Koppikar Road, Hubli.
- (2) Shri Srinivas Venkatesh Chivate, Film Distributors, Koppikar Road, Hubli.
- (3) Shri Chittaranjan alias Shashikumar Venkatesh Chivate, Koppikar Road, Hubli.
- (4) Dr. Jayaprakash Venkatesh Chivate, Hubli.
- (5) Shri Shantaram Venkatesh Chivate, Victoria Road, Hubli.
- (6) Shri Govind Venkatesh Ranade, Landlord, Vithobagalli, Hubli.
- (7) Vasudev Govind Kanade, M/G by Shri G. V. Kanade, Hubli.
- (8) Shri Gopal Narayan Nakhate, 2, Radha Manas, 5th Road, Shanta-cruz East, Bombay-55.
- (9) Shri Dheerendra Narayan Nakhate, Gandhinagar, Bhandra East, Bombay-53.
- (10) Shri Srinivas Narayan Nakhate, B/2, Gajanan Co-op. Housing Society Ltd., Capt. Deep Road, Mahim, Bombay-16.
- (11) Shri Ramachandra Narayan Nakhate, 3/15, Samarthangar, opp. Chuna Bhatti Station, Bombay-70.
- (12) Dr. Vithal Narayan Nakhate, Canada by GPA holder Shri S. N. Nakhate, Bombay-16.

(Transferors)

2. (1) Shri Pundaleeksa Tulajasa Habib,
- (2) Shri Murarsa Tulajasa Habib,
- (3) Shri Vasudevs Tulajasa Habib,
- (4) Shri Ramkrishnasa Tulajasa Habib,
- (5) Shri Laxmansa Tulajasa Habib and
- (6) Shri Dasharathsa Tulajasa Habib,

(Transferees)

- (3) Shrimati Siddavva Basappa Sangam, Firewood Merchant, Victoria Road, Hubli.

(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot in C. S. No. 3140A measuring 1817 7/9 sq. yds. situated at Ward No. 1, Victoria Road now called as Shri Jagadguru Gangadharswamy Murusawirmath Road, Hubli.

Boundaries :

- On the East : C. S. No. 3140B belonging to Sri K. V. Raju
- On the West : C. S. No. 3144, 3269-3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277 and 3279.
- On the North : Municipal Road.
- On the South : C. S. No. 3294/1—3294/2.

P. SATYANARAYANA RAO,
Competent Authority,Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 4-10-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD

Hyderabad, the 6th October 1975

Ref. No. RAC No. 130/75-76.—Whereas, I. K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2-2-1105/26 situated at New Nallakunta, Bagh Amberpet, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on 18-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Shakuntala Ranga Chari, W/o B. V. Rangachari, "Nandini" H. No. 2-2-1105/26 at New Nallakunta, Amberpet, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Smt. Sudesh W/o Zainulabuddin Khan, H. No. 8-2-676/1/A Road, No. 13 Banjara Hills, Hyderabad. (Transferee)
- (3) Shri B. V. Ranga Chari, H. No. 2-2-1105/26 at New Nallakunta, Amberpet, Hyderabad. (Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : Area : 1874.77 Sq. Yds. with Building No. 2-2-1105/26 known as "Nandini" at New Nallakunta, Bagh Amberpet, Hyderabad.

Boundaries :

East : Neighbours land.
North : Proposed road 40 ft. wide.
South : Proposed road 40 ft. wide.
West : Neighbours land.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 6-10-1975.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD

Hyderabad, the 6th October 1975

Ref. No. RAC-129/75-76.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Plot No. 6 situated at Domalguda, flanked by H. No. 1/2/593/31 and 1/2/593/29 situated at Domalguda, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Hyderabad on 15-2-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri B. Ranga Reddy, Rtd. Revenue Secretary, Land Lord, resident of Bholakpur, Hyderabad.
(Transferor)
- (2) Shri Amarjeet Singh S/o Harbajan Singh, R/o 1-2-593/31 at Domalguda, Hyderabad. Being minor represented by father guardian Shri Harbhajan Singh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : All the piece of land numbered as plot No. 6, forming part of the sanctioned layout No. 44/layout 1/71 dated 22-11-1971 admeasuring 600 sq. yds. equivalent to about 530 sq. mets. and bounded on the :

East : House M. No. 1-2-593/31,

West : House M. No. 1-2-593/29,

North : Public Road 30 ft. wide.

South : Andhra Vidyalaya Building,

situated at Gaganmahal Village, Domalguda, Hyderabad,

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 6-10-1975.

Seal :

FORM ITNS-----

(1) Mahalakshmi Land & Finance Co. (P) Ltd.
8-B, Jindal Trust Bldg. Asaf Ali Road,
New Delhi-1.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Hans Raj Dhingra S/o
Shri Lachman Dass R/o Flat No. 30,
Central Market, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th September 1975

Ref. No. 188/Acq/GBD/74-75/1440--Whereas, I. F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad, on 22-2-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable house property No. 136, Brindaban Gardens Colony situated at Vill. Pasonda, Pargana-Loni, Teh. Ghaziabad, Distt. Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 70,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 6-9-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 5th September 1975

Ref No. 13/Acq/Agra/75-76/1441—Whereas, I, F. J. Babadur being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer, at Agra on 22-2-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Kailash Nath S/o
Shri Ram Saran,
2. Smt. Phulu Devi W/o Mahendra Prasad R/o
Puniapara, Lohamandi, Agra. (Transferor)
- (2) Shri Vijai Kumar Jain S/o Padam Kumar Jain R/o
Lohamandi, Agra. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 23/85, Puniapara, Lohamandi, Agra transferred for an apparent consideration of Rs. 48,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-9-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th September 1975

Ref No. 16/Acq/Agra/75-76/1442—Whereas, I. F. J. Bahadur, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 10-3-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Jai Prakash Goswami
2. Shri Mahendra Kumar Goswami Ss/o Sri Jairam Dass, R/o Kare Ka Tal, Delhi Drawaja, Agra.
3. Sri Lajjaram S/o Gokal Chand, self and Authorised Rep. of His Wife Smt. Indrawati R/o Swadeshi Bima Nagar, Agra.
(Transferor)
- (2) Shri Shiv Charan Lal Agarwal S/o Jamna Das Agarwal, R/o Kadimwadi, Dhaulpur.
Present Add. 25, Innercity Ring Road, Agra.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 670 sq. yds. situated at Nagla Fadi, Distt. Agra transferred for an apparent consideration of Rs. 33,500/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-9-1975
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th September 1975

Ref No. 17/Acq/Agra/75-76/1443—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 10-3-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :

- (1) 1. Jai Prakash Goswami
2. Sri Mahendra Kumar Goswami Ss/o Sri Juiram Das, R/o Kare Ka Tal, Delhi Darwaja, Agra.
3. Shri Lajja Ram S/o Gokul Chand, self and Authorised Rep. of his wife Smt. Indirawati R/o Swadeshi Nagar, Agra.
(Transferor)
- (2) Dr. Chotey Lal Garg S/o Jamna Das Agarwal R/o Kachinwadi, Dhaulpur. Present Address : 25, Inner-city Ring Road, Agra.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 677 4/9 sq. yds. situated at Nagla Padi, Distt. Agra transferred for an apparent consideration of Rs. 33,872/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-9-1975
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th September 1975

Ref. No. 15/Acq/Agra/75-76/1444—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Agra on 10-3-75 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Jai Prakash Goswami
2. Shri Mahendra Kumar Goswami Ss/o Jairam Das R/o Kare Ka Tal, Delhi Darwaja, Agra.
3. Shri Lajjaram S/o Gokal Chand, self and authorised Rep. of Smt. Indrawati, his wife R/o Swadeshi Bima Nagar, Agra.

(Transferor)

- (2) Smt. Veenu Agarwal W/o Dr. Chotey Lal Garg, R/o 25, Innercity Ring Road, Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 675 7/9 sq. yds. situated at Nagla Padi, Distt. Agra, transferred for an apparent consideration of Rs. 33,789/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th September 1975

Ref. No. 18/Acq/Agra/75-76/1445—Whereas, I. F. J. Bahadur, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Agara on 12-3-75

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Jai Prakash Goswami,
2. Shri Mahendra Kumar Goswami Ss/o Sri Jairam Das, R/o Kare Ka Tal, Delhi Drawaja, Agra.
3. Shri Lajja Ram S/o Gokul Chand, self and authorised Rep. of his wife Smt. Indirawati R/o Bima Swadeshi Nagar, Agra.

(Transferor)

- (2) Sri Dau Dayal Agrawal S/o Sri Shiv Charan Lal Agrawal, R/o 25, Innercity Ring Road, Agra.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 673 2/9 sq. yds. situated at Nagla Padi, Distt. Agra, transferred for an apparent consideration of Rs. 33,661/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 16th September 1975

Ref. No. 64/Acq/Agra/75-76/1446—Whereas, I. F. J. Bahadur, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Agra on 21-3-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, of the following persons, namely :—

- (1) Shri Ram Narain S/o Lala Panna Lal Vaish R/o Barahpura, Balanganj, Agra.
(Transferor)
- (2) Shri Yatish Chandra S/o Shri Rajendra Prasad Vaish, R/o Pipal Mandi, Agra.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of house No. 31/55 and 31/56, Rawatpara, Agra transferred for an apparent consideration of Rs. 98,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 16-9-1975

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 5th September 1975

Ref. No. 191/Acq/D. Dun/74-75/1447—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 11-2-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri P. N. Kapoor, I.A.S.
2. Smt. Kamlesh Kapoor
3. Sri Arvind Kapoor,
4. Sri Anil Kapoor all members of H.U.F. R/oC-1-41, Pandara Park, New Delhi-3. (Transferor)

- (2) Shri Bhupendra Kohli,
65-J, Rajpur Road, Dehradun. (Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property No. 65-J, Rajpur Road, Dehradun transferred for an apparent consideration of Rs. 1,25,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 5-9-1975

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 16th September 1975

Ref. No. 283/Acq/Knp/74-75/1348—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering office at Kanpur on 21-3-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely:—

- (1) Shri Kamal Shukla S/o
Shri Laxmi Narain Shukla R/o 128/46 E-Block,
Kidwai Nagar, Kanpur.
(Transferor)
- (2) Shrimati Kamla Devi Misra
W/o Shri Om Prakash Misra R/o 152, Kassawan-
gali, Dasna Gate, Ghaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable house property No. 133/M/57, Kidwai Nagar, Kanpur transferred for an apparent consideration of Rs. 40,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 16-9-1975

Seal :

FORM ITNS

(1) Shrimati Sultan Jahan W/o
Late Shri Tajmeer Khan, R/o 112/1, Taj Mension,
Benajhabar, Kanpur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shrimati Asha Oberoi W/o
Shri G. S. Oberai R/o 7/202A, Swarup Nagar, Kan-
pur.
(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-
SIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 19th September 1975

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. 298/Acq/Kanpur/74-75/1449—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 6-4-1975

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable house property No. 112/1, Taj Mension, Benajhabar, Kanpur transferred for an apparent consideration of Rs. 45,000/-.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 19-9-1975
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 19th September 1975

Ref. No. 1/Acq/Kaimganj/74-75/1450—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule Shahjahanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kaimganj on 29-4-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Rajrani Widow of Shri Chandra Prakash, and
2. Shri Sriprakash S/o Chandra Prakash R/o
Moh. Majid, Distt. Farrukhabad. (Transferor)
- (2) 1. Shri Ashok Kumar, self and representative of
2. Shri Ajai Kumar
3. Ajit Kumar
4. Atul Kumar (minors) All sons of Shri Rajendra Singh Gangwar R/o Manjana, Shamshabad, Distt. Farrukhabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property (Agricultural land) No. 98 situated at Manjana, Teh. Kaimganj, Distt. Farrukhabad transferred for an apparent consideration of Rs. 50,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 19-9-1975
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 19th September 1975

Ref. No. 225/Acq/N.Nagar/74-75/1451—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffarnagar on 25-4-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument' of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

- (1) Shri Hari Cold Storage and Central Mills Co. (P) Ltd. Mazaffarnagar, through Managing Director Lala Madhav Kumar Swaroop S/o Lala Hariraj Swaroop R/o Kothi Rambagh, Muzaffarnagar. (Transferor)
- (2) 1. Dr. Ved Bhushan S/o Dr. Anand Prakash.
2. Smt. Shakuntla Bhushan W/o Dr. Ved Bhushan.
3. Sri Bankey Behari.
4. Sri Kunj Behari Ss/o Kasho Das R/o Muzaffarnagar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land situated at Sujdu, Pargana & Distt. Mazaffarnagar transferred for an apparent consideration of Rs. 1,94,600/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 19-9-1975
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Ram Nath Bhargava,, Shri Jagannath Bhargava and Shri Prem Nath Bhargava S/o Shri Chhajuram Bhargava, R/o 17/3(1), Mal Road, Kanpur.
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 16th October 1975

Ref. No. 16/Acq/Unnao/74-75/1655.—Whereas, I, F. J. Bahadur, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at As per schedule, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Unnao on 25-1-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section of section 269D of the said Act to the following persons, to-wit:—

(2) Shri Mohd. Gulzar S/o Noor Mohd., Shri Mohd. Sahid S/o Dost Mohd., Mohd. Nasim, and Mohd. Nayeem (minors) Sons of Shri Noor Mohd., Shri Modh. Khalid and Shri Mohd. Sajid (minors) Sons of Shri Dost Mohd. R/o H. No. 7373, Kassabpura, Sadar Bazar, Delhi-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 11 Bigha 4 Biswa 10 Biswansi, Bhumdhari Numbari 593, 594 and 595 and 588 situated at Vill. Shekhpur Dist. Unnao transferred for an apparent consideration of Rs. 75,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 16-10-1975

Seal :